द्वितीय माला, खण्ड ५४—अंक ४५

शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१
२५ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५४ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

द्वितीय माला खण्ड ५४--अंक ४१ से ५०--११ से २१ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र से १ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ४१--मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . .

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ से १४३६, १४३८ से १४४१, १४४४ से १४४७ और १४५१ से १४५४ . . ४८३५–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७, १४४२, १४४३, १४४८, १४४९ और १४५५ से १४५८ . ४८६२–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३६ से ३०७१ . . . ४८६८–८३

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़ लेने के बारे में ४८८३–८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४८८४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचीसवां प्रतिवेदन . . ४८८४

वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका . ४८८४

अनुदानों की मांगें ४८८५–४९२३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ४८८५–९४

प्रतिरक्षा मंत्रालय . ४८९५–४९२३

कृषि आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४९२३–२६

दैनिक संक्षेपिका ४९२७–३०

अंक ४२--बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४६२, १४६५ से १४७६ १४७० से १४७७ . . . . . ४९३१–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६३, १४६४, १४६८, १४६९ और १४७८ से १४८१ . . ४९५५–५८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ से ३१४४ और ३१४६ से ३२१७ ४९५८–५०२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

एस० एस० दारा जहाज में आग . ५०२७––२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५०२८

प्राक्कलन समिति––

एकसौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन ५०२९

अनुदानों की मांगें ५०२९–६९

प्रतिरक्षा मंत्रालय ५०२९–५९

सामुदायिक विकास तथा सहकार-मंत्रालय . ५०५९–६९

उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५०७०–७१

दैनिक संक्षेपिका ५०७२–७८

अंक ४३––गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१ /२३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ––

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९–५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३, और १४९५ से १५१८ ५१०२–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . ५११४–४६

दिनांक ९-३-६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ में शुद्धि

निधन संबंधी उल्लेख . ५१४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बंद हो जाने की संभावना ५१४७–४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५१४८–४९

प्राक्कलन समिति––

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन . . ५१४९–५००

पृष्ठ

समिति के लिए निर्वाचन--

विश्व-भारती . . ५०१०

अनुदानों की मांगें ५१५०-६४

सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५१५०-६४

कार्य मंत्रणा समिति . ५१६५

त्रेसठवां प्रतिवेदन . ५१६६-५२०२

दैनिक संक्षेपिका

अंक ४४--गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२१ से १५२५, १५२८, १५३० से १५३५ और १५३७ ५२०३-२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५२०, १५२६, १५२७, १५२९, १५३६ और १५३८ से १५५२ ५२२९-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३४५ . ५२३७-५८

स्थगन प्रस्ताव--

१३ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग हो जाना । ५२५८-५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५२५९-६०

प्राक्कलन समिति--

एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन ५२६०

कार्य मंत्रणा समिति--

त्रैसठवां प्रतिवेदन ५२६१

अनुदानों की मांगें ५२६१-७७

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---

व्यासीवां प्रतिवेदन . . . ५२७८

कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प---अस्वीकृत . ५२७८-८६

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प . ५२८६-९४

दैनिक संक्षेपिका . ५२९९-५३००

पृष्ठ

अंक ४५—शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ / २५ चैत्र, १८८३ (शक)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५३०१–०२
सभा का कार्य . ५३०२–०३
अनुदानों की मांगें . ५३०३–६३
इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय ५३०३–४५
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५३४५–६३
पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीरों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५३६३–६९
दैनिक संक्षेपिका ५३७०–७१

अंक ४६—सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ / २७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ से १५५५, १५५८, १५५९, १५६२ से १५६७, १५६९, १५७०, और १५७२ से १५७५ ५३७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५६, १५५७, १५६०, १५६१, १५६८, १५७१ और १५७६ ५३९९–५४०२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ से ३४१६ और ३४१८ से ३४२० ५४०२–३६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४३७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७
प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौतीसवां प्रतिवेदन ५४३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५४३८–९१
केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५४९१–९३
दैनिक संक्षेपिका ५४९४–९८

अंक ४७—मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ से १५८०, १५८२, से १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१, १५९३ से १९५९५ और १५९९ से १६०२ ५४९९–५५२५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १५८१, १५८६, १५९०, १५९२, १५९६ से १५९८ और १६०३ से १६१० . . . ५९१५-३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२१ से ३४९१, ३४९३ से ३५०२ और ३५०४ से ३५१३ ५५३१-७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . ५५७१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५७१-७२

अनुदानों की मांगें . . . ५५७२-५६२४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५५७२-८५

वित्त मंत्रालय ५५८५-५६२४

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५६२४-२७

दैनिक संक्षेपिका . . . ५६२८-३३

अंक ४८--बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१ / २९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्य १६११ से १६१५, १६१८, १६२०, १६२१ और १६२३ से १६२९ . ५६३५-५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६१७, १६१९, १६२२ और १६३० से १६३५ . . . . . ५६५९-६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१४ से ३५२३, ३५२५ से ३५५८ और और ३५६० से ३५७१ . ५६६४-९१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६९२

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ५६९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--

तिरासीवां प्रतिवेदन ५६९२

अनुदानों की मांगें ५६९३-५७३०

वित्त मंत्रालय ५६९३-५७२७

अणु-शक्ति-विभाग . ५७२८

संसद् कार्य विभाग . . ५७२८-३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक--पुरस्थापित ५७३०

वित्त विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ५७३०-३३

दैनिक संक्षेपिका . . . ५७३४-३८

अंक ४९——गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१/३० चैत्र, १८८३ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६४०, १६४२ से १६४६ और १६४९ से १६५४	५७३९——६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४१, १६४७, १६४८, १६५५ और १६५६	५७६३——६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७२ से ३६३८	५७६६——९३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	५७९३—९४
विशेषाधिकार का प्रश्न	५७९४—९५
स्थगन प्रस्ताव——	
ओटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु	५७९५—९६
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुडी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	
श्री शाहनवाज खां	५७९६—९७
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१——	
विचार करने का प्रस्ताव	५७९७—९८
खण्ड २, ३ और १	५७९८
पारित करने का प्रस्ताव	५७९८
वित्त विधेयक——	
विचार करने का प्रस्ताव	५७९९——५८३२
सभा का कार्य	५८३२
दैनिक संक्षेपिका	५८३३——३७

अंक ५०——शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१/१ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ से १६५९, १६६१ से १६७५ और १६७५–क	५८३९——६९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० और १६७६ से १६८३ . ५८६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३६, से ३७०१ ३७०३ से ३७२५ ५८७२—५६०५

स्थगन प्रस्ताव

बेला रोड पर डेरी किशनचंद में आग लग जाना . . ५६०५—०७

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य—

क्यूबा की स्थिति . . . . ५६०७—०६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५६०६—११

वित्त विधेयक, १६६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५६११—६१

दैनिक संक्षेपिका . . ५६६२—६७

नोटः—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—543 (Ai) LS—23-6-31—126

लोक-सभा

शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१
२५ चैत्र, १८८३ (शक)

———

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ४ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७२ में प्रकाशित राजस्थान चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९६१ ।

(दो) निम्नलिखित को रद्द करने वाली दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०३—

(क) बम्बई गेहूं (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९५६;

(ख) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९५७;

(ग) गेहूं (दक्षिण क्षेत्र निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८;

(घ) पश्चिम बंगाल गेहूं (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८;

(ङ) दिल्ली (गेहूं के आटे के आयात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९; और

(च) दिल्ली गेहूं और गेहूं की चीजें (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ ।

(तीन) दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०४ में प्रकाशित मनीपुर खाद्यान्न (लाना ले जाना नियंत्रण संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(चार) दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०५ में प्रकाशित बिहार खाद्यान्न (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

†मूल अंग्रेजी में

(पांच) दिनाक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०६ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(छः) दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०७ में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(सात) दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०८ में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(आठ) असम गेहूं तथा गेहूं की चीजें (निर्यात) नियंत्रण आदेश, १९५८ को रद्द करने वाली दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०९ ।

(नौ) पश्चिम बंगाल गेहूं अथवा गेहूं की चीजें (रेलवे बुकिंग पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ को रद्द करने वाली दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१० ।

(दस) दिनांक ६ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५११ में प्रकाशित मध्य प्रदेश रोलर आटे की मिलें (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) आदेश, १९६१ ।

(ग्यारह) दिनांक १० अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१२ में प्रकाशित बिहार खाद्यान्न (लाने ले जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल टी-२८४०/६१, २८४१/६१, २८४२/६१, २८४३/६१, २८४४/६१, २८४५/६१, २८४६/६१, २८४७/६१, २८४८/६१, २८४९/६१ तथा २८५०/६१ ।]

सभा का कार्य

†संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

१. खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान
२. वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान
३. शेष अनुदानों की मांगों पर मतदान
४. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनका पारित किया जाना :—

वित्त विधेयक, १९६१

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक, १९६१

भारी बंडलों पर चिह्न लगाना (संशोधन) विधेयक १९६० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठलराव (खम्मम) : संसद-कार्य विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कब होगी ?

†अध्यक्ष महोदय : हमने आरम्भ में मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर ६० घंटे नियत किये थे जिनको अब बढ़ाते बढ़ाते १३० घंटे कर दिया गया है । इससे अधिक समय बढ़ाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा । इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि एक समिति नियुक्त की जाय जो निश्चित समय में चर्चा के लिए मंत्रालयों का चुनाव करें । इस प्रकार मंत्रालयों की ठोस आलोचना का अवसर मिल जाया करेगा । संसद-कार्य मंत्री एक बड़े ही सरलचित्त मंत्री हैं और मैं समझता हूं कि वह कभी भी आलोचना किये जाने का अवसर नहीं देते हैं ।

अनुदानों की मांगें—जारी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय—जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा में इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी ।

†डा० कृष्णस्वामी (चिंगलपट): इस समय हमारे देश में शक्ति कोयला, बिजली तथा तेल से पैदा होती है । शक्ति ही देश में औद्योगिक तथा कृषि विकास के लिए आवश्यक होती है । कोयला, बिजली तथा तेल से १८ प्रतिशत शक्ति मिलती है । इस १८ प्रतिशत में से ७५ प्रतिशत केवल कोयले से मिलती है । यदि हम तेल को शक्ति का मुख्य साधन बना लें तो हमें अधिक सुविधा से शक्ति प्राप्त हो सकती है । हमें अभी तक निश्चित रूप में यह नहीं बताया गया है कि हमें आज कितना तेल चाहिए ? पांच वर्ष बाद हमें कितना चाहियेगा ? इन तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने क्या व्यवस्था की है ? तेल का आयात करने में क्या कठिनाइयां सामने आयेंगी :

सामान्यत: हमें अभी इतना ही पता है कि देश में शोधित लगभग ६० लाख टन तेल की मांग इस समय है । इसका दसवां भाग तो स्थानीय रूप से मिल जाता है तथा शेष ८० से ९० करोड़ रुपये की लागत से आयात किया जाता है । हमें आशा यही है कि आगामी पांच वर्षों में तेल की मांग बढ़ जायेगी और १९६६ तक हमें १४० लाख टन तेल की आवश्यकता होगी । यदि इस सारे तेल को ही देश में शोधित किया जाये तो भी आयात का व्यय २०० करोड़ रुपय होगा ।

इस प्रकार आवश्यक हो जाता है कि हम तेल का उत्पादन बढ़ायें । मैं मानता हूं कि हमारा देश बहुत विशाल है और यहां पर तेल की खोज करना बड़ा कठिन काम है । परन्तु फिर भी आवश्यक है कि हम तेल की खोज करने में कोई कसर न उठा रखें । परन्तु साथ ही साथ समय का भी ध्यान रखें कि शीघ्रता से खोज करके तेल का उत्पादन बढ़ा दिया जाये ।

बरौनी और नूनमती सरकारी क्षेत्र की परिष्करिणियां हैं । हमें यह महसूस करना चाहिये कि वे बिना साफ़ किये हुए तेल के परिष्करण की पर्याप्त क्षमता नहीं रखतीं । उनके लिये वित्तीय सहायता चाहिये । हमें यहां हिचक नहीं होनी चाहिये कि वित्तीय सहायता कौन देता है । मंत्रालय को इन सभी मामलों में संतुलित दृष्टिकोण तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिये । इसमें विलम्ब हमें बड़ा मंहगा पड़ रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्ण स्वामी]

देश में बिजली की कमी है, फिर भी हम बिजली की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। इससे विदेशों के लोग यही नतीजा निकालेंगे कि हम इसके बारे में गम्भीर नहीं हैं और वे हमारे देश में विनियोजन करने में हिचकेंगे।

हमें तेल समवायों के साथ करार करने में उचित शर्तें तो रखनी चाहिये, पर यह भी नहीं भूलना चाहिये कि देश के विकास की आवश्यकता सर्वोपरि है। हमें इसमें एकाधिकारी हित पैदा नहीं होने देना चाहिये ।

हमें अपने सभी उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली सुलभ बनानी चाहिये। तभी संतुलित विकास हो सकेगा ।

तेल मंत्रालय को समूचे राष्ट्र के हितों को सामने रखना चाहिये। आवश्यकता है एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की। यह समस्या तभी हल हो सकेगी जब एक अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाय ।

श्री जगन्नाथ राव (कोरापट्ट) : हमारे जैसे एक अविकसित देश में तेल परिष्करिणियां ही औद्योगीकरण की प्रतीक बन गई हैं।

विदेशी निजी समवायों को शुल्क-संरक्षण त्यागने और आयात किये गये बिना साफ हुए तेल की कीमतें घटाने के लिये तैयार करने का श्रेय माननीय मंत्री को ही दिया जाना चाहिये। फिर भी तेल सम्बन्धी नीति अभी अपनी निर्माणावस्था में ही है, उसमें दृढ़ता नहीं है। आवश्यकता इस बात की थी कि वह देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ आगे बढ़ती चले। पंचवर्षीय योजना में भी तेल-उद्योग को समुचित स्थान नहीं दिया गया है।

बिना साफ किये हुए तेल के लिये हम अभी मुख्यतः आसाम तैल-क्षेत्रों पर ही निर्भर हैं। खम्भात और अंकलेश्वर का तेल-उत्पादन अभी स्थायी नहीं हुआ है। हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तृतीय योजना की समाप्ति तक १४० लाख टन तक पहुंच जायगी। लेकिन हमारा तेल उत्पादन अभी कुल ४०—५० लाख टन तक ही पहुंचा है। यह काफी बड़ा अन्तर है। निजी क्षेत्र की परिष्करिणियों का भी उत्पादन लेखने पर, बिना साफ किये हुए ६० लाख टन और पेट्रोलियम उत्पादों की ३० लाख टन की कमी रह जाती है। सरकार इस अन्तर को पूरा करने के लिये क्या कर रही है?

नहरकोटिया में तेल का अनुमान १९५३ में लगाया गया था। तब से अभी तक अधिक कुछ नहीं किया गया है। इससे देश को विदेशी मुद्रा की बड़ी हानि हुई है।

देश में तेल का पता लगाने के लिये और डटकर काम होना चाहिये। देश में तेल की खपत और आवश्यकताओं का लेखाजोखा करने के लिए सर्वेक्षण किये जाने चाहियें। हमें तेल साफ करने की क्षमता की योजना २०—२५ वर्ष के लिये, दीर्घकालीन योजना तैयार की जानी चाहिये।

बरौनी और नूनमती परिष्करिणियां यदि एक ही स्थान पर होतीं, तो उनकी लागत कम बठती।

श्री विट्ठलराव ने गुजरात में दो छोटी परिष्करिणयों की स्थापना की बात की है। छोटी परिष्करिणियों पर सापेक्षतः अधिक व्यय होता है। पहले हमें यह पता लगा लेना चाहिये कि किसी क्षेत्र में कितना तेल मिल सकता है। पता लगाया जाना चाहिये कि उस क्षेत्र में किस किस्म का तेल मिलेगा। इस जानकारी के आधार पर ही, परिष्करिणियों की स्थापना का निर्णय किया जाना चाहिये। उसमें राजनीतिक विचारों को आड़े नहीं आने देना चाहिये ।

तेल उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन करने का तरीका यह है कि परिष्करिणी का नमूना और उसकी पद्धति बदल दी जाये। बरौनी परिष्करिणी की लागत ३८.२ करोड़ रुपये आई है, और उसकी उत्पादन-क्षमता केवल २० लाख टन की है। लागत बहुत ऊंची है।

आसाम परिष्करिणी की निर्माण लागत १८ करोड़ रुपये हैं और उत्पादन-क्षमता ७.५ लाख टन। अन्य देशों की परिष्करिणियों से इसकी तुलना की जानी चाहिये।

गैर सरकारी विदेशी समवायों द्वारा निर्मित पेट्रोलियम उत्पादों का क्रय-विक्रय इंडियन आयल कम्पनी के जरिये किया जाना चाहिये। इससे सम्बंधित करार १९५१ में किये गये थे, औद्योगिक नीति संकल्प यहां पारित होने के बहुत पहले। सरकार उन करारों की अधिक कड़ी शर्तों में ढिलाई लाने के लिये बात चीत कर सकती है जिससे दोनों का लाभ होगा।

विदेशी विनियोजकों की हिचक दूर करने की कोशिश की जानी चाहिये। उनकी अनुचित आलोचना नहीं होनी चाहिये।

'इंडियन आयल कम्पनी' जून, १९५९ में बनी थी। उसका उद्देश्य था पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण और क्रय-वक्रय करना। अभी तक आयात किये जाने वाले उत्पादों को स्टोर करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के तेल-उद्योग में स्थापित किये जाने वाले सभी कारखानों का प्रबन्ध एक एकीकृत व्यवस्था के अनुसार होना चाहिये। अभी इस समय ऐसी तीन कम्पनियां हैं—'आयल इंडिया', रिफाइनरीज़ लिमिटेड और 'इंडियन आयल कम्पनी'। इनका प्रबन्ध एकीकृत व्यवस्था के अनसार होने से इनकी कार्य कुशलता बढ़ेगी।

खम्भात और अंकलेश्वर से बम्बई तक पाइपलाइन द्वारा तेल ले जाने के बारे में सरकार क्या सोचती है? रेलवेज़ द्वारा परिवहन करने पर प्रतिटन तेल पर छः वर्ष में १२ करोड़ रुपये खर्च होंगे सरकार इस सम्बन्ध में अपना विचार बताये।

मशीनी चिकनाहट के काम के तेल के आयात पर हमें काफी विदेशी मद्रा खर्च करनी पड़ती है। इसके लिये तुरन्त एक संयंत्र लगाया जाना चाहिये।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का काम कोई बहुत सराहनीय नहीं रहा है। उसे देश को आत्म-निर्भर बनाने के अपने प्रयत्न जारी रखने चाहियें।

मैं आयोग की सीमाओं को भी समझता हूं। सरकार को उसे अधिक शक्तियां प्रदान करनी चाहिये।

आयोग १९६१ के अन्तिम चरण म खम्भात और अंकलेश्वर से प्रतिदिन १,५०० टन बिना साफ किये हुए तेल का उत्पादन शुरू कर देगा। अन्य नये तेल-कप तैयार करने और उनसे प्राप्त तेल की परीक्षा करने में काफी समय लग जायगा।

गुजरात में अभी तक जितने भी परीक्षण किये गये हैं, क्या उनके आधार पर वहां परिष्करिणी स्थापित करना उचित है?

तेल की किस्म की जांच करने से पहले, उसकी सूचना अखबारों में छपवा कर सनसनी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

[श्री जगन्नाथ राव]

समाचारपत्र रुद्रसागर जैसी छोटी मोटी दुर्घटनाओं को भी ले उड़ते हैं और राष्ट्र-विरोधी ंग से उसकी आलोचनायें करने लगते हैं । इन मामलों में हमें अधिक संयंत्र ढंग से चलना चाहिये ।

सरकार को खान तथा खनिज विनियमन अधिनियम, १९५७ की अनुसूची 'क' के अन्तर्गत सम्मिलित की जाने वाली संस्थाओं के पदों के नवीकरण के मामले में अपनी नीति पर अड़ रहना चाहियें ।

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, (इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय) स्टील माइंज़ एंड फ्यूल मिनिस्ट्रीसब उस काम के लिए जो इसने किया है, मुबारिकबाद की मुस्तहिक है । इन पिछले दस बारह सालों में जितनी एक्टिविटीज़ इस मिनिस्ट्री की बढ़ी हैं, जितना काम बढ़ा है, शायद और किसी मिनिस्ट्री का नहीं बढ़ा है । इसकी वजह शायद यह है कि हमने माइंज़ (खानों) को डिवलेप करने के काम को और ज्योलोजिकल सर्वे (भू-भौतिकीय सर्वेक्षण) के काम को काफी बढ़ाया है । सन् १९४७ से पहले इन दिशाओं में बहुत ही लिमिटिड (सीमित), बहुत ही महदूद काम किया गया था । लेकिन उसके बाद से इन कामों को बढ़ाने की बड़ी भारी कोशिश की गई है । म आपके सामने दो चार मिसालें रखूं तो आपको पता चल जायगा कि किस कद्र काम बढ़ा है । ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के काम को ही आप ले लीजिये । यह हमारे देश में आज से तकरीबन सौ साल पहले जारी किया गया था । लेकिन देश के तमाम हिस्सों में जो मिनरल वैल्थ छिपी हुई थी, उसका पता लगाने की कोशिश नहीं की गई । अब यह काम बढ़ता ही जा रहा है । सन् १९५० तक ज्योलोजिस्ट्स की जो तादाद थी वह सिर्फ १३९ थी जो आज बढ़ कर ५०० के करीब जा पहुंची है । लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि यह भी अभी काफी नहीं है, और इस के लिय हमें और भी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी । मिसाल के तौर पर सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में इंडिविजुअल स्टेट्स की तरफ से जो प्रोग्राम्स आये थे हम उन तमाम प्रोग्राम्स को फुलफिल नहीं करा सके । अब भी हिन्दुस्तान के अन्दर काफी हिस्से ऐसे मौजूद हैं जहां मिनरल वेल्थ छिपी हुई है, और उन को सव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है । मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसके लिये पूरी कोशिश की जाय तो कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो हम को बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़े । इसलिये मुझे इस के बारे में इतनी ही अपील करनी है कि इस प्रोग्राम का एक्स्पैन्शन किया जाय और ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश की जाय ।

जहां तक रिफाइनरीज (परिष्करिणियों) का सवाल है उस के बारे में भी गवर्नमेंट की जो पालिसी है वह काबिले तारीफ है । मैं इस बात के लिये खास तौर पर जोर दूंगा, और इस के लिये माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों हाउस में इस बात का यकीन भी दिलाया था कि प्राइवेट कम्पनीज जो एक्स्पैन्शन के लिये कोशिश करती हैं उन का एक्स्पैन्शन न किया जायगा क्योंकि पिछले दिनों जब रशियन तेल का सवाल आया तो उन्होंने उसे साफ करने से इन्कार कर दिया । अगर आप उन लोगों को एक्स्पेन्शन की इजाजत भी देते हैं और हमारे देश के अन्दर जो तेल पैदा होगा उस को साफ करने को उन से कहा गया तो उस में भी दिक्कत पैदा हो सकती है, इस का मुझे पूरा विश्वास है । आप को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन की पूरी कोशिश होगी जो आयल हमें यहां पर मिलता है उस को रिफाइन करने का जो प्रोग्राम हो वह फेल हो । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सजेशन पर स्ट्रिक्टली अमल किया जाय और उन को ज्यादा एक्स्पैन्सन की इजाजत न दी जाय ।

चौथी बात जो मैं इस के बारे में कहना चाहता हूं वह यह है, जैसा कि मैं ने अभी कहा भी था, कि जियोलाजिकल सर्वे का जो प्रोग्राम है उस को बढ़ाने की कोशिश की जाय। सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में इस के लिये ४ करोड़ ७० लाख रु० मखसूस किया गया था लेकिन जहां तक सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन का सवाल है, मुझे कहना पड़ता है कि प्लैन के तीन सालों में सिर्फ २ करोड़ ७० लाख रु० खर्च किया जा सका और अगले दो सालों में जो रुपया हम खर्च कर रहे हैं उसके बाद भी सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन का जितना रुपया है वह काफी बच जायेगा। इस के लिये भी थर्ड फाइव इअर प्लैन में और ज्यादा प्रोग्राम बनाया जाय ताकि हम देश के तमाम हिस्सों का सर्वे कर सकें। मैं यह बात इस लिये कहता हूं कि आप को अगर मैं बतलाऊं तो हमारे देश के अन्दर बहुत से हिस्से अब भी ऐसे मौजूद हैं जिन के अन्दर मिनरल वैल्थ छिपी हुई है। आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह प्रोग्राम कितना लिमिटेड है। मेरी जो अपनी कांस्टिटुएन्सी है उस के अन्दर भी इस किस्म की मिनरल वैल्थ (खनिज सम्पदा) छिपी हुई है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि उस को मालूम करने की, सर्वे करने की, अभी तक पूरी कोशिश नहीं की गई। पिछले दिनों "ट्रिब्यून" अखबार में एक आर्टिकल निकला था। उस के शुरू में जो कहा गया था, मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल सही है। जिस का मतलब यह है कि जिस तरीके से पंजाब ने खेती बाड़ी में तरक्की की है, अगर उसी तरीके से हम इंडस्ट्रीज में भी तरक्की करना चाहते हैं तो इस के लिये एक ही तरीका है कि महेन्द्रगढ़ जिले के अन्दर, वहां की खुश्क रेत के नीचे और पहाड़ियों के नीचे जो मिनरल वैल्थ छिपी हुई है उस का सर्वे किया जाय। और उस को काम में लाया जाय। मैं ने इस के लिय पिछले दिनों हाउस में बहुत से सवाल भी रखे थे और जब वहां पर पहले स्टेट्स बनी हुई थीं उन दिनों वहां पर जो सर्वे हुआ था उस तमाम सर्वे की बिना पर मैं कह सकता हूं कि वहां पर आयरन ओर, सिल्वर, गोल्ड, लाइम, मार्बल, सैन्ड ग्लास, फेल्डस्पार और कैल्साइट वगैरह वगैरह काफी मिकदार में मौजद हैं। यही नहीं बल्कि रेअर मिनरल्स जैसे यूरैनियम और प्लूटोनियम भी काफी मिकदार में मौजूद हैं। इसलिये मेरी अपील है कि थर्ड फाइव इअर प्लैन के दौरान में इस जिले के सर्वे के लिये एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाय। उस इलाके को डेवलप करने के लिये यही एक तरीका हो सकता है क्योंकि वहां पानी की आज कल कमी है और इंडस्ट्रीज के जरिये ही उस इलाके को ऊपर उठाया जा सकता है और जो इलाका अन्डर डेवेलप्ड है उस को देश के दूसरे हिस्सों के बराबर लाया जा सकता है।

इस के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारा इलाका आज अन्डर डेवलप्ड है उस का कारण पोलिटिकल (राजनीतिक) और हिस्टारिकल (ऐतिहासिक) भी है। यानी वहां के लोगों ने सन् १८५७ की पहली आजादी की लड़ाई में खूब जोरों से हिस्सा लिया। उस रोज से लेकर आज तक वहां के बहुत से अफसरों के दिमागों में वही पुरानी जहनियत काम कर रही है और उस इलाके की तरक्की के लिये पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। मुझ पूरा विश्वास है कि अगर इतने मिनरल्स पंजाब के किसी दूसरे इलाके जालन्धर या अमृतसर में होते तो वह कभी का जमशेदपुर या टाटानगर बन जाता। इसलिये मैं खास तौर पर इस बात के लिये अपील करता हूं कि इस सिलसिले में पूरा जोर दिया जाय और इसके लिये मैं दो चार तजवीजें भी पेश करना चाहता हूं।

मेरी सब से पहली तजवीज यह है कि एक पिग आयरन प्लैन्ट वहां पर आसानी से लगाया जा सकता है। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने भी इस मसले पर हमदर्दी से गौर करने का यकीन दिलाया था। वहां पर आयरन ओर काफी मिकदार में मौजूद है। पिछले दिनों जब वहां छोटी छोटी स्टेट्स बनी हुई थीं तो एक ब्रिटिश जियोलाजिस्ट मि० जर्विस वहां आये थे। उन का कहना था कि वहां पर २० मिलियन टन के करीब लोहा मौजूद है, जिस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसलिये मेरी अपील है कि इस के लिये पूरी कोशिश की जाय।

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

दूसरी बात यह है जैसा कि मैं ने अभी जिक्र किया था, कि वहां पर यरैनियम काफी मिकदार में मौजूद है। उस को भी मालूम करने की कोशिश की जाय। मैं इस बात पर इसलिये बहुत जोर देता हूं कि थर्ड फाइव इअर प्लैन में अगर यह स्कीम हो कि नार्दर्न इंडिया में सेकेन्ड एटमिक पावर स्टेशन बनाया जाय, और मेरे इलाके में यूरेनियम की पूरी खोज की गई, तो उस जगह से अच्छा दूसरा मुकाम हमारी सरकार को नहीं मिल सकता। यही वजह है कि मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूं।

इस के बाद मैं ग्राउंड वाटर के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इस मसले को हाउस के अन्दर कई दफा ला चुका हूं। आज भी मैं इस के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे ज़िले की हालत है उस में खेती बाड़ी का सवाल नहीं, बल्कि लोग पीने के पानी के लिये भी तड़पते हैं। गर्मी के मौसम में और सर्दियों में वहां पानी नहीं मिलता। जो थोड़ी बहुत बरसात होती है उस के पानी को ही वहां के लोग जमा कर लेते हैं और साल भर उस पर गुजारा करते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि इससे ज्यादा मुसीबत और क्या हो सकती है। इसके लिये एक ही तरीका है कि वहां जो अंडर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनका सर्वे किया जाय और पानी मालूम करने की कोशिश की जाय। इस बात के लिय मैं ज्यादा जोर इसलिये भी देता हूं कि पिछले दिनों जो कोशिश की गई वह ज्यादातर सड़कों के साथ साथ ही तजुर्बा करने की थी। लेकिन सड़कें जो उस जिले में बनी हुई हैं उनके साथ साथ पहाड़ों का सिलसिला भी बना हुआ है। इसलिये वह तजुर्बा नाकामयाब हो गया। अगर उस इलाके के दूसरे हिस्सों में, इंटीरियर में, कोशिश की जाती तो काफी पानी मिल सकता था। इसलिये मुझे पूरा विश्वास है कि इसके लिये कोशिश की जायेगी।

आखिर में मैं दो चार बातें जो हमारी लीज देने की पालिसी है उसके बारे में भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि इस पालिसी पर स्ट्रिक्टली अमल नहीं हो रहा है। हाउस में भी यह चीज आ चुकी कि हमारी रिन्यूअल की पालिसी है कि हम कम से कम लाइसेंसेज को रिन्यू करेंगे। मुझे यह बात इसलिये कहनी पड़ रही है कि आज हमारे देश में बहुत सी ऐसी फौरेन (विदेशी) फर्में मौजूद हैं जो कि इन माइन्स की मोनोपली (एकाधिकार) हासिल किये हुए हैं और हिन्दुस्तान का लाखों रुपया फारेन एक्स्चेंज (विदेशी मुद्रा) की शक्ल में मुनाफे के तौर पर बाहर जा रहा है। इसके लिये मैं दूर नहीं जाना चाहता। एक ही मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश में एक कम्पनी है जिसका नाम है सी० पी० एम० ओ० यानी सट्रल प्राविंसेज माइनिंग आरगेनाइजशन। यह एक ब्रिटिश फर्म है। यह सन् १९०० में कायम की गई थी जिसको आज तकरीबन ६१ साल हो गये। इस अरसे में इस कम्पनी ने कितना मुनाफा उठाया होगा और कितनी दौलत बाहर जा चुकी होगी, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। अभी भी वह इस बात के लिये दबाव डलवाने की कोशिश कर रही हैं कि उसको और आगे के लिए माइनिंग का लाइसेंस दिया जाए। मैं इसके लिए अपील करूंगा कि हमें इसकी हरगिज इजाजत नहीं देनी चाहिए चाहे वह कानून से या किसी भी तरीके से कितनी ही दिक्कतें क्यों न पैदा करने की कोशिश करे। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि हमारी दो पालिसीज़ होनी चाहिएं। एक पालिसी तो यह होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा फारेन फर्मों को इंडियनाइज करें ताकि उनका मुनाफा हमारे देश में रहे और उससे हमारे देश के लोग फायदा उठा सकें। दूसरे जो प्राइवेट माना-पलीज कब्जा जमाए बैठी हैं उनसे यही नहीं है कि वे फायदा उठा रही हैं बल्कि उनकी वजह से हमारे पबलिक सेक्टर की स्कीमों पर भी असर पड़ता है। हाउस में भी इस किस्म के सवालात

कई बार आए हैं और पबलिक सेक्टर को डाइरेक्टली या इनडायरेक्टली अंडरमाइन करने की कोशिश की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पबलिक सेटर कामयाब हो तो आपको इस तरफ सीरियली ध्यान देना पड़ेगा और माइनिंग के बारे में जो हमारी लीज इश्यू करने की पालिसी है उसको रिव्यू करना होगा।

आखिर में मैं यही अपील करना चाहपा हूं कि इस बा त की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जाए कि किसी भी फर्म को चाहे वह इंडियन हो या फारन हो फरदर लाइसेंस न दिया जाए बल्कि उसको नेशनलाइज (राष्ट्रीयकृत) किया जाए।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कोयले के सम्बन्ध में सरकार की नीति को पहले ही मंत्री जी ने कल दुहरा दिया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर उसके सम्बन्ध में मैं ज्यादा कुछ कहूं तो उसका कोई लाभ होगा। लेकिन जहां तक कोयले के उत्पादन का सवाल है, मैं कुछ बातें जरुर कहना चाहता हूं।

यह मानते हुए, जैसा कि मंत्री जी कहते हैं, कि आज की सूरत में जो कोयले की खदानें प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में हैं उनका वह राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते, मैं यह चाहता हूं कि भविष्य में इस बात का खयाल रखा जाना चाहिए कि जैसी आज परिस्थिति है वह न पैदा होने पावे जिसमें आप इन खदानों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते और प्राइवेट लोग उन पर कब्जा जमा लें। नए क्षेत्र उनको न मिलें और उन क्षेत्रों में सरकार स्वयं उत्पादन करे।

जहां मैं यह चाहता हूं कि प्राइवेट लोगों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लागू हो जाए, वहां मैं यह भी चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयले का जो उत्पादन लक्ष्य रखा गया है उसको बढ़ाया जाए। पता नहीं कि किस तरह से योजना आयोग ने और सरकार ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि देश में जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की भावना पैदा हो रही है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतना कोयला काफी होगा या नहीं। मेरा खयाल है कि जो तीसरी योजना के लिए ९ करोड़ २० लाख टन कोयले का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है यह देश की औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी नहीं होगा। हमको अगली पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रख कर ही नहीं बल्कि आने वाली बीस सालों की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर कोयले के उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि सन् १९८१ में हमारी कोयले की क्या आवश्यकता होगी और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश में जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की भावना पैदा हो रही है उसको देखते हुए हमको तीसरी योजना के आखिर तक १२ करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य स्थिर करना चाहिए और सन् १९८१ के अन्त तक यह उत्पादन ४० करोड़ टन तक पहुंच जाना चाहिए इस बीच में हम यह कर सकते हैं कि जो १२ करोड़ का लक्ष्य हम तीसरी योजना के लिए रखें उसको चौथी योजना में बढ़ा कर २० करोड़ टन कर दें। उसके बाद की योजना में हम ९ करोड़ टन और बढ़ा सकते हैं और आखिर में जो योजना सन् १९८१ में समाप्त होगी उसके लिए ११ करोड़ और बढ़ा कर ४० करोड़ कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रख सकते हैं।

हम किसी भी दृष्टिकोण से देखें, मुल्क में जो औद्योगीकरण की भावना पैदा हो रही है उसको देखते हुए सन् १९८१ तक हमको कोयले का उत्पादन ४० करोड़ टन तक करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिस तरह से अभी संकट आ रहा है औद्योगिक

[श्री ब्रजराज सिंह]

क्षेत्र में, उसी तरह बार बार संकट आते रहेंगे और हमारी सरकार का एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय पर दोषारोपण करता रहेगा। एक मंत्रालय कहेगा कि कोयला नहीं ढोया गया और दूसरा कहेगा कि कोयले का उत्पादन काफी नहीं हो रहा है । इसलिए यह अभी से निश्चित किया जाना चाहिए कि तृतीय पंचवर्षीय आयोजन के अन्त तक हमें कोयले का उत्पादन बढ़ा कर १२ करोड़ टन कर देना है ।

लेकिन जब कोयले के उत्पादन का प्रश्न आता है तो जो संकट इसकी कमी के कारण आए हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो कोयले का संकट आया उसके कारण न केवल उद्योगों को हानि उठानी पड़ी बल्कि घरों में जलाने के लिए भी कोयला नहीं मिला । इस मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय की नीति अच्छी तरह से खुली नहीं । यह पता नहीं चल सका कि किसकी गलती के कारण यह संकट आया । यह कहने से कि जुलाई में हालत अच्छी हो जाएगी और मुगलसराय से ऊपर को जो हिस्सा है उसको २०० वैगन अधिक कोयला मिलेगा, यह समस्या हल होने वाली नहीं है । उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ हमको इसके लिए कार्यक्रम निश्चित कर लेना चाहिए कि हम उस कोयले को किस प्रकार देश के विभिन्न भागों में भेज सकेंगे । अभी जो सरकार की तरफ से कमेटी बनायी गयी है और जो उसके सम्बन्ध में अखबारों में छपा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि समस्या का हल होने वाला नहीं है । इसलिए इस समस्या के हल के लिए मूलभूत रूप से नया तरीका अपनाना चाहिए जिससे जो लक्ष्य उत्पादन का हमने रखा है उसको उपभोक्ता केन्द्रों तक आसानी से पहुंचाया जा सके ।

मैं समझता हूं कि केवल रेलवे पर ही इस अतिरिक्त उत्पादन के वितरण की सारी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती । अकेली रेलवे मेरे विचार से जो हमारा लक्ष्य है उतने कोयले को नहीं ढो सकेगी । और जो २० साल बाद ४० करोड़ टन कोयले के उत्पादन का हमारा लक्ष्य होगा उसको ढोने की क्षमता रेलवे की सम्भव ही नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी से सरकार इस नीति पर चले कि न केवल रेलों द्वारा कोयला ढोने की योजना बनाए बल्कि नदियों द्वारा, समुद्र द्वारा और सड़कों द्वारा, यानी जो भी साधन देश के अन्दर उपलब्ध हो सकते हैं, सब साधनों का उपयोग कोयला ढोने के लिए करे । इन सब साधनों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए । इन सब तरीकों पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिए और यह लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि कितना कोयला रेलों द्वारा ढोया जाएगा, कितना सड़कों द्वारा, कितना नदियों द्वारा और कितना समुद्र द्वारा । इन सब साधनों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित कर देने चाहिएं । जब तक हम इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक ऐसी बातें पैदा होती रहेंगी कि कोयला ढोने के लिए रेलवे आवश्यक क्षमता पैदा नहीं कर सकी । और मुझे लगता है कि रेलवे कभी इतनी क्षमता पैदा नहीं कर सकेगी कि अकेले सब स्थानों पर पहुंचा सके । इसलिए मेरा सुझाव है कि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है तो हमको इसी समय लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस योजना के काल में कोयला ढोना होगा । कोयला उत्पादन के लक्ष्यों को निर्धारित करने के साथ साथ हमें यह भी निश्चित कर देना चाहिए कि हम उसको किस प्रकार देश के विभिन्न भागों में पहुंचा सकेंगे ताकि बाद में इस सम्बन्ध में कोई संकट पैदा न हो ।

मुझे अफसोस है कि सरकार ने अपने पालिसी रिजोल्यूशन में कोई परिवर्तन नहीं किया है और उससे प्रकट होता है कि वह प्राइवट व्यक्तियों को खदानों में काम करने में मदद दे सकती है और उनको उत्पादन करने में मदद दे सकती है । जो भी हो, लेकिन इतना हमें निश्चित करना पड़ेगा---यदि इनको हम अपने हाथ में नहीं ले सकते---कि कम से कम उनके मुनाफे को निश्चित कर दिया जाए । हम देखते हैं कि जब कभी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का सवाल आता है या और कोई बात आती है जिसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता हो तो कोयले की कीमत को बढ़ा कर उस के लिए पैसे का प्रबन्ध किया जाता है, कोई दूसरा तरीका उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता । मैं चाहूंगा कि सरकार उधर भी ध्यान दे और देखे कि वाकई कोयले के जो प्राइवेट मालिक हैं उनको और ज्यादा मुनाफा न मिले ।

कोयले के बाद मैं अपने मित्र श्री केशव देव मालवीय को यह जानते हुए कि जितना कुछ लक्ष्य पूरा होना चाहिए तेल के सम्बन्ध में और दूसरे मिनरल्स के सम्बन्ध में वह पूरा नहीं हुआ है, बधाई देना चाहता हूं और बधाई देने के माने यह नहीं हैं कि वह जिस नीति पर अभी चल रहे हैं वह नीति पूरे तरीके से सही है लेकिन मैं मानता हूं कि उसकी दिशा (डाइरैक्शन) सही है । वह इस बात की कोशिश कर र हैं कि तेल में प्राइवेट लोगों का जो निहित स्वार्थ है वह किसी तरीके से खत्म हो । मैं जानता हूं कि इसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें इसलिए पैदा होती हैं कि हमारे देश की नीति और सरकार की जो नीति है वह मिश्रित अर्थ व्यवस्था की है । जब उसका प्रश्न उठता है तो उसमें उनका एक विभाग पूरे तरीके से सीधे सोशलिज्म की नीति को अख्तियार नहीं कर सकता । उसे भी एक तरीके से मिश्रित होना पड़ता है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि तेल के मंत्री कुछ हिम्मत के साथ काम करते और इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोलूशन का हवाला अपने साथ रखते तो कम से कम हमारे देश में प्राइवेट जो तेल के हित हैं और खास तौर से विदेशी हाथों में हैं, अगर उनको अपने हाथ में नहीं ले सकते थे तो कम से कम एक काम तो जरूर ही कर सकते थे कि उनका मुनाफा कम कर सकते थे । लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस क्षेत्र में वह बुरी तरह असफल हुए हैं । पता नहीं कि सरकार की कोई इच्छा भी है कि नहीं कि हमारे देश में जो प्राइवेट विदेशी उद्योगपतियों का तेल उद्योग में हित है और जो बुरी तरह मुनाफा उठा रहे हैं, उसको किसी तरीके से कम किया जाय ?

मेरे पास संसद् की लाइब्रेरी से दिये हुए कुछ आंकड़े हैं । उसके अनुसार सन् १९५७ में विदेशी तेल कम्पनियों ने टैक्स को निकाल कर कुल नेट प्राफिट्स जो किये वह १४ करोड़ ९९ लाख रुपये का था अर्थात् करीब १५ करोड़ रुपये का नेट प्राफिट किया । यह प्राफिट मैं कुल कम्पनियों का बतला रहा हूं । इसी तररीके से सन् १९५८ में करीब १३ करोड़ रुपये का प्राफिट किया और १९५९ में भी इसी तरह से है । परसेंटेज जाकर ११–१२ के बीच में पड़ता है, करीब १२ परसेंट पड़ता है । अब विदेशी तेल कम्पनियों का जहां तक प्रश्न है उन्होंने अपने एम्पलाइज को और खासतौर से अपने विदेशी कर्मचारियों का वेतन स्तर बहुत ज्यादा रक्खा है और अन्य बहुत सी सुविधाएं दे रक्खी हैं । ज्यादातर मुनाफा या तो डैप्रीसिएशन में जाता है या विदेशी कर्मचारियों में जाता है और खास तौर से बड़े बड़े विदेशी कर्मचारियों के वेतनों में जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार किसी कारणवश देश में विदेशी पूंजी इनवैस्ट होने का अवसर देना चाहती है और इसलिए वह विदेशी तेल कम्पनियों को पूरे तरीके से अपने हाथ में नहीं ले सकती है,

[श्री ब्रजराज सिंह]

या आवश्यक पूंजी का उसके पास प्रबन्ध नहीं है, अथवा उसको अन्य क्षेत्रों को देखना है जिनमें कि पूंजी लगेगी, अगर यह कारण हों तो सरकार को कम से कम एक काम तो जरूर करना ही चाहिए जिसके लिए कि समय आ गया है कि उन विदेशी तेल कम्पनियों के मुनाफों को कुछ सीमित करना चाहिए । कोई इस तरह का एक तरीका निकालना चाहिए जिससे यह जो बेहद मुनाफा कमा रहे हैं उनको कुछ कम किया जा सके ।

इसी सदर्भ में अभी उस दिन की बात मुझे याद आ जाती है जब श्री मालवीय ने यहां पर कहा था कि वह विदेशी तेल कम्पनियों पर इसके लिए दबाव नहीं डाल सकते कि वे अपने यहां हिन्दुस्तानी कर्मचारी ही रक्खें । उन्होंने जोश में आकर यह भी कह दिया कि वे पूरी की पूरी हिन्दुस्तानियों की फौज को कैसे रख सकते हैं क्योंकि उनकी कीमतें कम करते हैं और जिससे कि शायब मुनाफा उनको कम हो रहा है और इसलिए उनको वे नहीं रख सकते । मैं बतलाना चाहता हूं कि यह बिलकुल गलत है कि कोई हिन्दुस्तानी कर्मचारियों की फौज है । हिन्दुस्तानी कर्मचारियों की यूनियन द्वारा दिये गये आंकड़ों से यह पता चलता है कि जितना काम है उसको देखते हुए वहां पर कम कर्मचारी हैं । वहां पर कर्मचारियों की संख्या में बढ़होत्री करने की गुंजाइश है लेकिन कर्मचारी बढ़ाने का तो वहां पर जिक्र ही नहीं है सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए उन कर्मचारियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार को इस बारे में जरा कड़ाई के साथ बर्ताव करना चाहिए । सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर यह हमारा मुल्क है और इसमें विदेशी लोग आकर मुनाफा कमा रहे हैं अब चूंकि विदेशी पंजी यहां पर इनवैस्ट कराने की अपनी नीति है इसलिए उनको बंद तो नहीं किया जा सकता लेकिन जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न आता है तो हिन्दुस्तानी कर्मचारियों की नौकरी की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, गारन्टी होनी चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या जितने लोगों का काम है उतने ही लोग काम कर रहे हैं या उससे कम लोग रक्खे जा रहे हैं ? इस नाम पर कि विदेशी लोगों को और ज्यादा वेतन देना है हमारे अधिकारियों को हटाया जा रहा है । अब इन लोगों को सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है कि वह अपनी यूनियन बनाते हैं, अपना संगठन बनाते हैं और उस संगठन के जरिए वह अपने देश के हितों की और अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करदे हैं । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उधर ध्यान दें और विदेशी तेल कम्पनियों के किसी ऐसे हमले जिसकी कि वजह से हिन्दुस्तानी कर्मचारियों पर हमला होता है, उन पर आघात होता हो, ध्यान रक्खें और ऐसे हमले को बर्दाश्त न करें । हमारी सरकार को उनसे कह देना चाहिए कि अगर हिन्दुस्तानी कर्मचारियों को अलग निकालने का प्रयत्न किया जाता है या कोई और ऐसी कोशिश की जाती है जिससे कि हिन्दुस्तानी कर्मचारियों की नौकरियों पर आघात पहुंचता है तो यह सरकार चुप नहीं रहेगी ।

जहां तक तेल के नये नये क्षेत्रों की खोज करने का सवाल है मैं उसका स्वागत करता हूं । सरकार की यह नीति कि देश में नये नये तेल के क्षेत्रों की खोज की जाय, प्रशंसनीय और स्वागत योग्य है । हमारे वहां नये नये तेल क्षेत्रों की खोज की जा रही है । लेकिन इसी के साथ हमें जल्दी से जल्दी यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो रिफाइनरीज तेल शोधक कारखाने कायम करने वाले हैं, वह जितनी भी जल्दी बन सकें बना लिये जाय ।

हमें मालूम है कि पिछले दिनों हम रूस के तेल को सिर्फ इसलिए नहीं ला सके हालांकि मंत्री जी ने बतलाया था कि वह दूसरे तेल की अपेक्षा ११ प्रतिशततः कम भाव पर मिलता था, क्योंकि हमारे पास रिफाएनरीज नहीं हैं जिनमें कि शोधन कार्य कर सकें। विदेशी कम्पनियों ने उसको रिफाइन करने से, शोधन करने से इंकार कर दिया। इसलिए समय आ गया है जब हम अधिक से अधिक अपने साधनों का इस्तेमाल करके अपने क्षेत्र में रिफाइनरीज कायम करें और इस तरीके से विदेशों का जो एक तरीके से उनके निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए दबाव हो सकता है, उससे हम अपनी रक्षा कर सकें।

अन्त में मैं कुछ शब्द स्टील के बारे में कह कर अपनी बात खत्म कर दूंगा। जहां इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि सरकार अपनी बहुत सी मुश्किलों के बावजूद पबलिक सैक्टर में स्टील के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए यह सदन और देश के वह नागरिक जिन्हें विश्वास है कि देश का भविष्य समाजवाद के रास्ते पर ही चल कर उज्ज्वल हो सकता है, यह चाहेंगे कि अधिक से अधिक सरकार अपने इसी रास्ते पर चले। लेकिन इसी के साथ जो लोग प्राइवेट सैक्टर के समर्थक हैं वह चाहते हैं कि ऐसा न हो क्योंकि उन लोगों को अपनी सफलता में शक होता है और आशंका होती है। इसलिए प्राइवेट सैक्टर के समर्थक लोग चाहते हैं कि देश में प्राइवेट सैक्टर अधिकाधिक बढ़ें। सरकार को देखना चाहिए कि पबलिक सैक्टर में उत्पादन पर जो खर्च आता है उसको क्या कुछ कम नहीं किया जा सकता है। उत्पादन के जो लक्ष्य हमने कायम किये हुए हैं क्या उनको हम समय के अंदर पूरा कर रहे हैं? रिपोर्टों और उनमें जो आंकड़े दिये गये हैं उनको देखने से मालूम पड़ता है कि उत्पादन के लक्ष्यों को हम समय के अंदर पूरा नहीं कर रहे हैं और उत्पादन का खर्च हमारा बढ़ता चला जा रहा है। देखने में यह आता है कि सुपरविजन और निरीक्षण पर जो खर्च आता है वह असली काम करने वाले आदमियों की तनख्वाहों पर जो रुपया खर्च होता है उससे कहीं ज्यादा पड़ता है। अफसरों की भरमार हो जाती है। मौके पर जो काम करने वाले मजदूर लोग होते हैं उन पर तो कम खर्च आता है लेकिन अफसरों पर ज्यादा खर्च होता है। पबलिक सैक्टर को यदि हमें अपने देश में सफल बनाना है और जैसा कि हम चाहते हैं तो हमें इस तरह की नीति निर्धारित करें कि निरीक्षण पर कम खर्च हो और खर्चा असली काम करने वालों पर हो और ऐसे होने से उत्पादन का खर्च कम हो सकेगा।

बुखारो में चौथा स्टील प्लांट लगाये जाने का जो सरकार का लक्ष्य है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी से इस तरह की नीति निर्धारित करें ताकि एस्टिमेट्स से जो खर्चा काफी बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है, वह न बढ़े।

यह निश्चित बात है कि कुछ सालों के अन्दर पबलिक सैक्टर में जो स्टील पैदा की जा रही है उसमें १००० करोड़ से ऊपर रुपया लग जायेगा। इस समय के एस्टिमेट देखें तो ६४६ करोड़ रुपया पबलिक सैक्टर में स्टील पर लगने जा रहा है। ४० करोड़ रुपये का इस साल का बजट है और ६०६ करोड़ रुपया लग चुका है। बुखारो में स्टील प्लांट लगने से यह खर्चा और बढ़ेगा और २०० करोड़ रुपये के ऊपर जाकर १ मिलियन टन का इस साल का लक्ष्य बन जाता है। इस तरह से १०० करोड़ रुपये खर्च करने से १ मिलियन टन का उत्पादन हो जायेगा।

इसी तरीके से हमारे पबलिक सैक्टर में तीन प्लांट्स हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है तो हमें वहां के लिए यह लक्ष्य बनाना चाहिए कि १०० करोड़ रुपये से ज्यादा एक

[श्री ब्रजराज सिंह]

मिलियन टन के विस्तार करने में खर्च नहीं होगा। १००० करोड़ या १२०० करोड़ रुपया अगले पांच साल में लग चुकेगा। मैं श्री मुरारका के इस सुझाव का विरोध करता हूं कि पबलिक सैक्टर में जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए अलग-अलग कारपोरेशंस बनाये जांय और उनके द्वारा उनका प्रबन्ध हो। जब इस सम्बन्ध में हम इतना रुपया खर्च करने जा रहे हैं, तो भले ही सरकार का एक अलग मंत्री हो, जिसका चौबीस घंटे का काम यह हो कि वह पब्लिक सैक्टर के स्टील उद्योग की देखभाल करे, लेकिन यह बिल्कुल उचित न होगा कि अलग-अलग कार्पोरेशन बना कर खर्च को बढ़ाया जाय और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाय, कि उनके काम में समन्वय न हो सके। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद जितने भी स्टील प्लांट हमने देश में बनाने हैं, उनको दृष्टि में रख कर और इस सम्बन्ध में सारी सम्भावनाओं को देखकर यह उचित होगा कि सरकार चाहे बिल्कुल अलग से एक मंत्री नियुक्त कर दे, जो चौबीस घंटे स्टील के काम को देखे, लेकिन वह सब काम एक ही कार्पोरेशन के अन्तर्गत होना चाहिए, जिससे खर्च कम हो और काम, नीति और उसके अमल में समन्वय हो सके।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशों से जो स्टील इम्पोर्ट किया जाता है, उपभोक्ताओं में उसका वितरण करने में बहुत गड़बड़ी होती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इधर भी ध्यान दें। हमने और जमींदारियां तो खत्म कर दी हैं, लेकिन जिन्हें एस्टाब्लिश्ड इम्पोटर्ज कहा जाता है, उनकी जमींदारी और एकाधिकार अभी तक बना हुआ है। आज स्थिति यह है कि केवल वही लोग बाहर से स्टील मंगा सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि इस बार में और कुछ नहीं हो सकता है, तो कम से कम यह काम स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन को दे दिया जाय और सरकारी क्षेत्र के द्वारा स्टील मंगाया जाये, जिससे यह मुनाफा उनके हाथ में न जाये और देश में जो वितरण हो रहा है, उसमें गड़बड़ी न हो और उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक स्टील मिल सके।

†**श्री वी० चं० मलिक** (धनबाद) : मैं माननीय मंत्रियों—सरदार स्वर्ण सिंह और मालवीय जी—को मंत्रालय के विभागों में कार्यक्षमता लाने के लिये बधाई देता हूं।

मालवीय जी ने जितने भी तेल-कूपों का छिद्रण कराया, लगभग उन सभी में तेल मिला है।

प्रसन्नता की बात है कि अब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिमी बंगाल में तेल अनुसंधान का प्रयास कर रहा है।

'बर्माशैल', 'काल्टैक्स' और 'आसाम आयल कम्पनी'—इन सभी निजी विदेशी फर्मों की क्षमता कुल मिलाकर ४४ लाख टन थी, जिसे उन्होंने ६३ लाख टन तक विस्तारित कर लिया है

सरकारी क्षेत्र की प्रस्तावित परिष्करिणियों की कुल क्षमता ५० लाख टन होगी, जिसे ६७.५ लाख टन तक बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, हम १५ लाख टन रूसी तेल का आयात कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय का अनुमान है कि तृतीय योजना की समाप्ति तक हमारे देश को १२८ लाख टन तेल की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिये मंत्रालय निजी परिष्करिणियों की क्षमता बढ़ाने की मंजूरी देने को तैयार है। लेकिन निजी फर्मों ने रूसी तेल का परिष्करण करने से मना कर दिया है। यदि उनको परिष्करिणियों के विस्तार की अनुमति दे दी जाये, तो विदेशी मुद्रा का व्यय बढ़ जायेगा, क्योंकि वे बिना साफ किया हुआ १३ लाख टन तेल का मनमाने ढंग से आयात करेंगी ।

इसलिये सरकार का यह निर्णय बिलकुल सही है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की तल-परिष्करिणियों को विस्तार की अनुमति नहीं दी जायगी ।

इन विदेशी निजी फर्मों ने रूस के सस्ते तेल से देश को वंचित करने के लिये साठगांठ कर ली है। वे अपनी ही शर्तों पर परिष्करिणियों का विस्तार करना चाहती हैं।

हम रूसी तेल का आयात बन्द नहीं करना चाहते।

इन विदेशी तेल समवायों का इतिहास काफी काला है। इन ब्रिटिश और अमरीकी समवायों ने विदेशी शासन-काल में कुछ रियायतें हासिल कर ली थीं। वे इतना ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं कि यदि उसे शिक्षा पर व्यय किया जाय तो देश के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है।

अब देश स्वाधीन हो गया है, इसलिये उनको राष्ट्रीय हितों के अनुकूल चलने के लिय बाध्य किया जाना चाहिये। हमें सरकार के सही निर्णय के लिये श्री मालवीय की साहसिकता को बधाई देनी चाहिये।

अब हमार देश के अपने तेल संसाधन विकसित हो रहे हैं। खम्भात का तेल बहुत बढ़िया किस्म का है ।

सरकार को इस्पात कारखानों पर होने वाले व्यय पर नजर रखनी चाहिये। इसलिये कि उनके व्यय के प्राक्कलन बढ़ते ही गये हैं। इस्पात कारखानों के लेखों की सही तौर पर लेखा-परीक्षा और छानबीन की जानी चाहिये ।

हमें योजनीकरण इस ढंग से करना चाहिये कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अनेक इस्पात कारखाने खोले जायें। तब तक उनकी उत्पादन लागत भी कम हो जायेगी । उनके लिये आवश्यक मशीनें हमारे अपने देश में बनने लगेंगी।

चित्तरंजन कारखाने को प्रत्येक इंजन के लिये ४०,००० रुपये के मूल्य की बायलर प्लेटों का आयात करना पड़ता है। अभी इस समय चित्तरंजन में लगभग १६० इंजन तैयार होते हैं, जिसका मतलब है कि ७० लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा उनके लिये आवश्यक बायलर प्लेटों के आयात पर खर्च होती है। इसलिये हमें बायलर प्लेटों का निर्माण अपने देश में आरम्भ करना चाहिये।

धातुकार्मिकी के काम के कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। इसलिये कि अभी उनका काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों को तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी बुनियादी प्रश्न छूट न पाये। एक आलोचना यह रही है कि प्राकृतिक संसाधनों के अनुसंधान-कार्य की गति बड़ी मन्द रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

हाल के कुछ वर्षों में भारत के भू-भौतिकी सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो ने अपनी कार्यवाही काफ़ी बढ़ा ली है। प्रतिवेदन में उसका यथेष्ट ब्यौरा जुटाया गया है। तकनीकी कार्यकर्त्ताओं और उपकरण को हासिल करने में हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

भारतीय खान ब्यूरो को उचित ढंग के तकनीकी कार्यकर्त्ता और उपकरण हासिल करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमने इसके लिये कई प्रशिक्षण योजनायें भी चालू की हैं, फिर भी तकनीकी कार्यकर्त्ताओं की कमी बनी हुई है।

उदाहरण के लिये, २८ फरवरी को प्रथम श्रेणी के २३४ पदों में से केवल ११४ भरे जा सके; द्वितीय श्रेणी के ५८ पदों में से केवल १५ अभी तक भरे जा सके; और तृतीय श्रेणी के १०९५ मंजूर शुदा-पदों में से केवल ६११ ही आज तक भरे जा सके हैं। हां, चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती।

इसके कई कारण हैं, एक यह भी है कि सरकार कम उपलब्धियां देती है। निजी क्षेत्र में उपलब्धियां कहीं ज्यादा हैं। इसलिये नये लोग निजी क्षेत्र की नौकरियां ज्यादा पसन्द करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि सरकारी नौकरी के लाभ क्या-क्या हैं। लोगों को यह समझने में थोड़ा समय लगेगा। हमने हाल में कुछ सुधार किये हैं। वेतन-वृद्धि भी की गई है। हम अभी संक्रमण काल में हैं। आशा है कि तृतीय योजना तक हम इस दिशा में संतोषप्रद प्रगति कर लेंगे।

श्री जगन्नाथ राव ने 'सेन्ट्रल प्राविन्सेज' मैंगनीज ओर लिमिटेड' का उल्लेख किया था। वह एक निजी खनन समवाय है, उसका पंजीयन लन्दन में हुआ था। उसके पास महाराष्ट्र में ११ और मध्य प्रदेश में ८ स्थानों के पट्टे हैं।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

वे पट्टे १९०१ में मंजूर किये गये थे। बाद में १९३१ में तीस साल के लिये उसका नवीनकरण किया गया था। उनके ८ पट्टे मार्च १९६१ में, ४ पट्टे १९६२ में, ४ पट्टे १९६३ में और १९६८, १९६९ और १९७० मे प्रतिवर्ष एक पट्टे की अवधि पूरी हो रही है। समवाय ने ३० वर्ष की अवधि के लिये उनका नवीकरण चाहा है। उनके प्रार्थनापत्र पुनरीक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार के पास आये थे।

केन्द्रीय सरकार ने खान तथा खनिज अधिनियम, १९५७ की धारा ८ की उपधारा (३) की व्यवस्था को देखते हुए, उसकी मंजूरी नहीं दी है। समवाय का विचार है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। सरकार अभी यह नहीं सोच पाई है कि उन खानों का भविष्य में क्या इंतजाम किया जाये। इसलिये समवाय को दो महीने का समय और दे दिया गया है। सरकार औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार उसके पट्टों का नवीकरण नहीं कर सकती। उसके लिये समुचित कारण होने चाहिये। इसलिये हम उसके विरुद्ध हैं। लेकिन हम यह अवश्य चाहते हैं कि उन लोगों का अनुभव व्यर्थ न जाये और हमें उनका सहयोग मिल सके। उनकी मशीनों इत्यादि का प्रश्न अभी देखना है। इसलिये सरकार इन कुछ महीनों में इस प्रश्न पर विचार कर लेगी।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अभी हाल में बना है। इस निगम ने उड़ीसा राज्य-सरकार के साथ आधे-आधे के आधार पर उड़ीसा खनन निगम में साझेदारी की है। उसने किरीबुरु में, जहां हमने जापान के साथ ४० लाख टन के निर्यात का करार किया है लौह अयस्क की खानों के विकास में मदद दी है। उसने मध्य प्रदेश में बेल्लाडिल्ला लौह अयस्क खानों, पन्ना में हीरे की खानों और राजस्थान के खेतड़ी में तांबे की खानों का विकास किया है। हम इस निगम के जरिये आगे से सारा खनन-कार्य सरकारी क्षेत्र में लाना चाहते हैं।

डा० कृष्णस्वामी ने मुझ पर आदर्शवादी दृष्टिकोण का आरोप लगाया है। व्यक्तिगत तौर पर, मुझे तो आदर्शवादी कहलाना अच्छा लगता है।

भारत सरकार की तेल सम्बन्धी नीति काफी सफल रही है। यदि हम भारत सरकार द्वारा घोषित नीति का कट्टरता से अनुसरण नहीं करते तो हमारे लिये देश में एक ऐसी कुशल पदाली का निर्माण करना संभव नहीं होता, जिसने तेल की खोज की है, जो शीघ्र ही अशोधित तेल का उत्पादन करने वाली है तथा जो मित्र देशों की सहायता से दो शोधनशालायें स्थापित कर रही है, और जो तीसरी शोधनशाला को सरकारी क्षेत्र में गुजरात में स्थापित कर रही है। यदि हमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट और दृढ़ निश्चय न किया होता तो हम तेल के वितरण या बिक्री के लिये नल नहीं लगाते और न सरकारी क्षेत्र के अधीन भारतीय तेल कम्पनी की ही स्थापना होती। मुझे विश्वास है कि समय आने पर इस नीति से लाभ होगा। यदि सरकारी क्षेत्र समवायों और विदेशी तेल समवायों के बीच में किसी प्रकार का अस्थायी मतभेद पैदा हो गया है तो वह निश्चय ही दूर हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे मित्र देश जहां इन विदेशी समवायो की स्थापना हुई है हमारे रवैये का गलत अर्थ नहीं लगायेंगे। इस सम्बन्ध में पारस्परिक सौदेबाजी से जो कठिनाइयां पैदा हो गई हैं उससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिये। अपितु हमें अपनी नीति पर दृढ़ रह कर स्थिति का मुकाबला करना चाहिये।

शोधनशालाओं के विस्तार के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में कुछ भ्रांति पैदा हो गयी है। यह कहा जाता है कि तीसरी योजना के अन्त तक पैट्रोलियम उत्पादों की खपत बढ़ कर १२० लाख से १४० लाख टन हो जायेगी। गैर सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं की वर्तमान क्षमता ६३ लाख टन है। सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाली शोधनशाला की क्षमता २७·५० लाख टन होगी। गुजरात शोधनशाला के स्थापित होने पर सरकारी क्षेत्र की क्षमता २० लाख टन और बढ़ जायेगी। इस प्रकार सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र की कुल क्षमता ११३ लाख टन हो जायेगी। सरकारी क्षेत्र में शोधनशालाओं के विस्तार के हमारे जो भावी कार्यक्रम हैं उनके अनुसार सरकारी क्षेत्र में तीसरी योजना के अन्त तक या चौथी योजना के प्रारम्भ तक कुल क्षमता १२० से १३० लाख टन हो जायेगी।

मैं उन्हें यह बात बताना चाहता हूं कि देश में १०० शोधनशालाओं के निर्माण के पश्चात् भी बाहर से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात होता रहेगा। यह आयात देश की कुल खपत का १० से १५ प्रतिशत तक हो सकता है। यदि हम तीसरी योजना के अन्त तक १३० लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत करेंगे तो इसमें १० या १५ प्रतिशत आयात किया जाने वाला तेल--डीजल कैरोसन--भी शामिल होगा। अतः यदि हमारी शोधन क्षमता ११५ या १२० लाख टन की हो तो हमारी खपत लगभग १४० लाख टन होगी। अतः तीसरी योजना तक शोधनशालाओं की क्षमता बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

[श्री के० दे० मालवीय]

चौथी योजना में हम क्या करेंगे इस बात पर तीसरी योजना के मध्य तक विचार किया जा सकता है। अतः भारत सरकार के समक्ष यह तर्क रखने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होगी या विदेशी शोधनशालाओं द्वारा यह कार्य अधिक आसानी से कर लिया जायेगा। दो वर्ष पूर्व कुछ अमेरिकन तेल विशेषज्ञों ने यह राय दी थी कि यदि ये शोधनशालायें सरकार का सहयोग चाहती हैं तो उन्हें वर्तमान शोधनशाला सम्बन्धी करार का संशोधन करना चाहिये तथापि उस समय उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। अतः हम भी उनकी शोधनशाला क्षमता में विस्तार करने की बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं। मुझे दुःख है कि उस समय उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

यह कहा गया है कि विदेशों से वार्ता करने में अनुचित विलम्ब किया जा रहा है और नहरकटिया में तेल की खोज भी बहुत पहिले ही हो जानी चाहिये थी। यद्यपि मैं ने इन आलोचनाओं पर इस आशा से ध्यान नहीं दिया कि यह भ्रांति स्वयं दूर हो जायेगी तथापि अब मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भ्रांति दूर कर दी जाये।

आसाम में आसाम तेल कम्पनी के कार्यों के अन्तर्गत पहिले तेल के कूएं की खोज १९५३ में हुई। १९५४ में चार अन्य कूप खोदे गये। इसके पश्चात डिगबोई से दूर तेल मिलने पर सरकार ने आसाम तेल समवाय से बातचीत शुरू की, क्योंकि दोनों ही पक्ष यह चाहते थे कि इस सम्बन्ध में कोई समझौता हो। १९५६ में आसाम तेल कम्पनी कुछ सिद्धांतों के अधीन एक कम्पनी बनाने को सहमत हो गयी। १९५४ के पश्चात भारत सरकार ने किसी भी मामले में यथा खोज, विकास, परिवहन अशोधित तेल का इत्यादि--ढिलाई नहीं की। इस सम्बन्ध में सारे कार्य इस प्रकार चलते रहे जैसे कि उन्हें खोज सम्बन्धी सारे कार्य करने का पूरा हक है। वस्तुतः आसाम तेल समवाय के साथ होने वाली बातचीत के दौरान हमारी औद्योगिक नीति कसौटी पर रखी गयी। अतः वे इस पर अधिक से अधिक १६ महीनों का विलम्ब कर सकते थे। यदि हम उनसे शोधनशाला इत्यादि का कार्य आरम्भ करने को कहते तो भी यह अधिक से अधिक १६ महीने पूर्व हो सकता था। अभी तक वे ९५ कूएं खोद चुके हैं तथापि यह निश्चय नहीं है कि उस क्षेत्र से कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन होगा। इस सम्बन्ध में किये गये अनुमान में परिवर्तन होता जा रहा है क्योंकि जितने कूएं खुदते जाते हैं उतनी ही उस क्षेत्र के बारे में जानकारी बढ़ती जाती है। इस प्रकार यदि इस सम्बन्ध में विलम्ब भी हुआ है तो एक वर्ष का, इससे अधिक नहीं। बातचीत के दौरान किसी कार्य में ढिलाई नहीं की गयी। यदि कुछ विलम्ब हुआ है तो वह नूनमती शोधनशाला को सरकारी क्षेत्र में लाने और राष्ट्र के हित में और अधिक फायदा करने के सम्बन्ध में हुआ है।

अब मैं गुजरात क्षेत्र के कार्य के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपनी भूलों में सुधार करके अपने कार्य की गति तेज करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। इस अवधि में हम ने बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया है। जब हमने कार्य आरम्भ किया था तब सरकारी क्षेत्र में एक भी भूतत्व-वेत्ता नहीं था। यह कार्य बहुत कठिन था। हम एक ऐसा कार्य करने जा रहे थे जिसका परिणाम निश्चित नहीं थे, न हमारे पास कर्मचारी थे, न उपकरण, न कोई उन्हें प्रशिक्षण देने को तैयार था और न ही लोग सरकारी नीति को क्रियान्वित करने वाले लोगों की बातें समझना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपना कार्य आरम्भ किया।

तेल की पहली खोज अंकलेश्वर में जून १९६० में हुई। वहां तेल की खोज का कार्य केवल २½ वर्ष पहिले प्रारम्भ किया गया था। अब तक हम वहां ८ या ९ कुएं खोद चुके हैं। अपनी सारी सीमाओं और गलतियों के बावजूद भी हमने जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। तथापि अभी भी हम वहां पर तेल की मात्रा का अनुमान नहीं लगा सकते हैं।

अब १ सितम्बर, से आरम्भ होने वाले प्रयोगिक उत्पादन कार्यक्रम के द्वारा हम वहां तेल की मात्रा का अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस से हमें तेल के उत्पादन के संबंध में अधिक सही जानकारी प्राप्त हो जायेगी। निसंदेह तेल के समाचारों के संबंध में जनता में काफी सनसनी पैदा हो जाती है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में प्रैस को काफी स्वतंत्रता प्राप्त है और तेल के कूओं से यदि जरा भी पानी या तेल निकलता है तो वह तुरंत संवादपत्रों में प्रकाशित हो जाता है।

मेरे लिये एक समस्या खड़ी हो जाती है और मुझे उस संवाद का खंडन करना होता है तथापि वातावरण इस प्रकार का पैदा हो जाता है जैसे कि मैं ने ही यह समाचार दिया है।

तथापि जनता धीमे धीमे संवादपत्रों में प्रकाशित समाचार तथा सरकारी विज्ञप्ति में प्रकाशित समाचार का अंतर समझने लगी है। मैं सभा से यह अनुरोध करता हूं कि वे सरकारी विज्ञप्ति में छपे हुए समाचारों पर ही विश्वास करें।

संभव है कि हमें खंभात के तेल क्षेत्रों से इस मात्रा में तेल उपलब्ध हो सके जिसका हम वाणिज्यिक रूप में उत्पादन कर सकें। तथापि हमें अभी तक गैस और तेल का अनुपात नहीं ज्ञात हुआ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि तीसरी योजना के अंत तक हम उतने अशोधित तेल का उत्पादन नहीं कर सकेंगे जितने की खपत होगी। तथापि इसका कोई चारा नहीं है। हम गुजरात में चार पांच जगहों में तेल की खोज कर रहे हैं। तेल की खोज में शीघ्रता करने के लिये हम ने गंगा के बसिन तथा कावेरी बेसिन में कई स्थानों पर तथा बिहार और आसाम में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इस योजना की अवधि में जैसलमेर में भी तेल की खोज की जायेगी। देश में चार लाख वर्गमील में तेल की खोज की संभावना है। इस में से ८० प्रतिशत स्थान में तेल नहीं प्राप्त होगा। अतः हम बारह ऐसे स्थानों की खोज कर रहे हैं जहां कि तेल की प्राप्ति हो सके। यदि हम उत्तर प्रदेश, बंगाल और आसाम के किसी स्थान में तेल प्राप्त कर सकें तो हम कह सकते हैं कि अब इस कार्य में खतरा कम हो गया है। तभी हम विदेशी समवायों से यहां आने के लिये कह सकेंगे।

जैसलमेर में हम ने अभी आरम्भिक कार्य किया है। तथापि वहां के कार्य में जो कठिनाइयां शामिल हैं उन के कारण शायद हम इतना कार्य अकेले नहीं कर पायें। अतः हम वहां तेल की खोज में विदेशी कम्पनियों की सहायता चाहते हैं।

खोज की संभावनाओं को और अधिक विस्तृत करने के लिये हम कुछ विशष प्रकार के स्थानों में काम कर के वहां के आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों से आशावादी भूतत्वीय संकेत मिलते हैं वहां तेल की खोज की अधिक संभावना रहती है। तथापि मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि अभी तक मुझे भारत में बहुत अधिक तेल वाले क्षेत्र प्राप्त नहीं हुए हैं संभव है ऐसे क्षेत्र हों ही नहीं।

मैं ने आपको तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य का एक मोटा विवरण दे दिया है तथा वे कारण बता दिये हैं जिन के कारण हम भारत सरकार द्वारा घोषित नीति का अनुसरण करना चाहता हूं। तथापि हम चाहते हैं कि यह नीति व्यावहारिक हो। तथापि

[श्री के० दे० मालवीय]

हमारी बुनियादी नीति यह होनी चाहिये कि मूल कार्य सरकार के हाथों में रहे । हम दूसरे देशों का सहयोग भी इस प्रकार लेवें कि मूल उद्देश्य हाथ से न जाने पावे । सरकार की यह नीति सफल सिद्ध रही है । इसी लिये सरकार तेल क्षेत्रों में सर्वांगीण कार्य कर रही है तीसरी योजना के दौरान परिवहन की ऐसी व्यवस्था कर ली जायगी कि व्यय अधिक नहीं होने पायेगा ।

श्री ब्रजराज सिंह ने कहा है कि हम तेल उत्पादों की कीमतों में कमी करने में समर्थ नहीं हुए हैं । इस संबंध में समस्त पैट्रोलियम उत्पादों में तदर्थ कमी से हमें लगभग ४० करोड़ रुपये का लाभ हुआ है ।

२० मई, १९५८ से ३० मार्च १९५९ तक ८·६४ करोड़, तत्पश्चात् ९ करोड़ रुपये, १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च १९६० तक १७·६७ करोड़, ३१–१०–६० से यह ११·१७ करोड़ हो गया । भारत सरकार को आवर्ती प्राप्ति लगभग १८ करोड़ होती है । उक्त सफलता को आप तुच्छ नहीं कह सकते हैं । अभी तक इस संबंध में बात चीत जारी है । विश्व बाज़ार में तेल की कीमतों में मन्दी आ गयी है तथा उत्पादन-कर्त्ता तथा खपत करने वाले देशों में अन्य कई कारण भी पैदा हो गय हैं । वस्तुतः इस संबंध में त्रिपक्षीय गुट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इस संबंध में जो वार्ता की जाती हैं वह बहुत जटिल होती हैं । उन में हम तानाशाही का रुख अख्तयार नहीं कर सकते हैं ।

हम उन लोगों का सहयोग चाहते हैं जिन के हाथों में स्थिति का अधिक नियंत्रण है । हम चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा का अपव्यय नहीं होने पावे । इसी उद्देश्य से हम ने रूस के साथ समझौता किया है जोकि हमें तेल की खोज करने तथा अपने पैट्रोलियम उत्पादों को रुपये के आधार पर बेचने में हमें सहायता कर रहे हैं । हम इस नीति पर पुरजोर अमल करना चाहते हैं । तीसरी योजना के दौरान हम रूस से २० लाख टन पैट्रोलियम उत्पादों की खरीद करेंगे । जो भी हम से रुपये के आधार पर पैट्रोलियम उत्पाद बेचना चाहे बेच सकता है हम प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हैं । इस प्रकार भारत सरकार की १९५६ की नीति पर अमल करने से हमें कई लाभ हुए हैं । मुझे विश्वास है कि इस नीति से राष्ट्र को लाभ होगा ।

†**सभापति महोदय** : बरौनी शोधन-शाला के संबंध में मंत्री महोदय की क्या राय है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : बरौनी शोधनशाला का किसी भी पक्ष से आय हुए कोटेशन से अधिक मूल्य नहीं दिया जा रहा है । बरौनी शोधनशाला बहुत जटिल होगी । उस में चिकनाई देने वाले तेल तथा अन्य वस्तुएँ बनायी जायेंगी । वह नहरकटिया के तेल से मोम तथा रंग निकालने का कार्य करेगी । इस में कुछ अधिक व्यय होगा । तथापि इसकी लागत बहुत अधिक नहीं होगी ।

†**श्री राजेश्वर पटेल** (हाजीपुर) : ऐसा है प्रतीत होता है कि मंत्रालय सभा में हुई आलोचनाओं से लाभ नहीं उठाना चाहता है । यद्यपि मंत्रालय का ध्यान कई बार इस ओर दिलाया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति में काफी विलम्ब हो रहा है तथा इस्पात संयंत्रों के लिये आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तथापि इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

यदि मंत्रालय ने प्राक्कलन समिति द्वारा दी गयी सलाह पर ध्यान दिया होता तो आज देश को विशेष प्रकार के इस्पात के आयात में २५ करोड़ रुपये व्यय नहीं करने होते । रूरकेला के कोल्ड रोलिंग मिल में विलम्ब होने के कारण हमें विदेशों से इस्पात का आयात करना पड़ रहा है ।

हमने १६५८ के प्रारम्भ में ही मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया था और कहा था कि कच्चे माल तथा अन्य सारे उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था कर ली जाय यदि ऐसा न किया गया तो संयंत्र समय पर काम नहीं कर सकता है तथापि अभी तक रूरकेला में कोल्ड रोलिंग मिल ने कार्य आरम्भ नहीं किया है और रूरकेला संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य भी नहीं कर रहा है ।

देश के औद्योगिक विकास में इस मंत्रालय को महत्वपूर्ण कार्य करना है । यदि हम सरकारी क्षेत्र के कार्य की आलोचना भी करते हैं तो हमारा उद्देश्य यह रहता है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग अधिक अच्छी प्रकार से कार्य करें तथापि लोग सोचते हैं कि हम सरकारी क्षेत्र के विरोधी हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार से यह काम किया जा रहा है उस से सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रति जनता में अविश्वास पैदा होगा ।

कल श्री मुरारका ने एक बात कही थी कि समस्याओं को अधिक कुशलता से निबटाने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को तीन यूनिटों में बांट दिया जाय। प्राक्कलन समिति ने भी इसी तरह का एक सुझाव रखा था । उस ने सुझाव दिया था कि "प्रत्येक परियोजना के लिये स्थानीय प्रबन्ध बोर्ड होना चाहिये जो सभी स्थानीय मामलों में स्वतंत्रता से काम करे । उस में जनरल मैनेजर और परियोजना के सभी विभागों के प्रमुख हों । तीनों परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय समन्वय की व्यवस्था हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा की जाय जो मुख्यतः नीति सम्बन्धी प्रश्नों, समान हितों के विषयों, धन की व्यवस्था, समवाय विधि की आवश्यकताओं आदि के परिपालन का विवेचन करे ।" यदि इन सुझावों की ओर ध्यान दिया जाय, तो छोटी छोटी समस्यायें दूर करने में प्रबन्धकों को बड़ी मदद मिलेगी ।

अब मैं एक-दो बातों की ओर खासकर फालतू पुर्जों की स्थिति की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करूंगा । वर्तमान आयोजन में एक सबसे बड़ा दोष यह था कि संयंत्र के साथ ही साथ फालतू पूर्जों का आर्डर नहीं दिया गया था । फालतू पुर्जों की कमी के कारण ही कुछ एकक समय पर या कुशलता पूर्वक चालू नहीं किये जा सके । फिर हम यह भी जानते हैं कि यदि हम फालतू पुर्जों को संयंत्र के साथ नहीं ले लेते तो हमें बाद में बहुत उंची कीमत देनी पड़ती है और यह पुर्जे मिलने में देर भी लगती है । चूंकि हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ है हमें फालतू पुर्जों के लिये विदेशी व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है और वे पुर्जे तैयार करने के लिये मनमाना समय लेते हैं । इसलिये परियोजना अधिकारियों ने मंत्रालय को आवश्यक मात्रा में फालतू पुर्जे खरीद लेने की सलाह दी थी । लेकिन अनुमान बढ़ जाने के डर से या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उन्होंने विपरीत निश्चय किया । हमें उन की जरूरत है और फिर भी हम ने कुछ समय के लिये उस को केवल स्थगित किया ।

आगे, कुछ अन्य कारणों से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है । आप जानते हैं कि ये संयंत्र बहुत बड़े, पेचीदे और अत्यधिक आधुनिक हैं । हमारे इंजीनियर और निरीक्षक कर्मचारी इन मशीनों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं और न ही उन्हें इन मशीनों को कुशलता से चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त है । इन्हें अनुभव न होने के कारण अक्सर मशीनें टूट-फूट जाती हैं और इस कारण फालतू पुर्जों का स्टाक होना और भी जरूरी हो जाता है ।

[श्री रामेश्वर पटेल]

डायरेक्टरों की रिपोर्ट के पृष्ठ ७ में इन फालतू पुर्जों के सम्बन्ध में कहा गया है कि :

"कुछ मामलों में वस्तुओं और फालतु पुर्जों की खपत की दर पहले अनुमानित दर से कहीं अधिक थी और सामान्य संभावनाओं पर आधारित स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग बहुत जल्द हो गया और इस प्रकार सामान्य उत्पादन में कमी हुई ।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि फालतू पुर्जों की कमी के कारण कई एककों को नुक्सान उठाना पड़ा ।

इन बातों की ओर ध्यान दिलाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम ४० लाख टन की नयी क्षमता के लिये आयोजन कर रहे हैं । भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला की वर्तमान क्षमता बढ़ाने तथा आरम्भ में १० लाख टन की नयी क्षमता का एक कारखाना बोकारो में स्थापित करने का विचार कर रहे हैं । पीछे एक दिन माननीय मंत्री से यह सवाल पूछने पर कि क्या इस देश में इस्पात की भावी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था उन्होंने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ इस्पात समिति द्वारा तैयार की गयी सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया जिस में बताया गया था कि १९७०–७५ तक देश की आवश्यकता २८० लाख टन हो जायगी । लेकिन विदेशी मुद्रा की कमी या कुछ अन्य कारणों से मंत्रालय ने यह तय किया कि तीसरी योजना अवधि में हम सिर्फ १०० लाख टन की सीमा तक ही विस्तार करें । इन आलोचनाओं को ध्यान में रखना अच्छा होगा ताकि तीसरी योजना के अन्त तक हम १०० लाख टन की क्षमता स्थापित कर सकें । फिर भी वह हमारी जरूरतों से कम ही रहेगी ।

विस्तार के सम्बन्ध में हमें इन रिपोर्टों में बताया गया है कि ७० लाख रुपये की लागत से भिलाई के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और दुर्गापुर तथा रूरकेला के लिये वह सेन्ट्रल डिजाइन्स आर्गनाइजेशन में तैयार की जा रही है । लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि बोकारो के लिये कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है या नहीं और यदि हां तो कहां तैयार की जा रही है ।

विस्तार की लागत के बारे में यह बताया गया है कि भिलाई के विस्तार के लिये विदेशी मुद्रा ४० प्रतिशत, दुर्गापुर के लिये ४८ प्रतिशत और रूरकेला के लिये ५५ प्रतिशत लगेगी । मैं नहीं समझ पाता कि इन कारखानों के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा में इतना अन्तर क्यों हो ।

विस्तार के मामले में एक दूसरी बात यह है कि हम ने इन तीन कारखानों में जितनी बड़ी धमन भट्टियां और खुली भट्टियां (ओपन हार्थ फर्नेस) बनायी हैं उससे दूने बड़े आकार की भट्टियां बनाने जा रहे हैं । हमारे कुछ विशेषज्ञों ने सरकार तथा इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय को सुझाव दिया था कि अधिक बड़ी भट्टियां अधिक किफायत मंद होंगी लेकिन हम ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और अब उस ओर ध्यान देने के लिये बाध्य किया जा रहा है ।

यह बताया गया है कि भिलाई में विस्तार की लागत ६२० रुपया प्रति टन, दुर्गापुर में ६३३ रुपया प्रति टन और रूरकेला में ११२५ रुपया प्रति टन होगी । इंगलैंड के इस्पात सम्बन्धी एक अखबार या पत्रिका में अभी हाल में लिखा गया था कि ७५० रुपये प्रति टन की दर से ब्रिटेन अपनी इस्पात क्षमता २६० लाख टन से ३४० लाख टन बढ़ाने जा रहा है । मैं नहीं समझ पाता कि नई क्षमता पैदा करने के लिये हम इतना अधिक क्यों खर्च करें । इस सम्बन्ध में आप को याद होगा कि नगर बस्तियां, उपोत्पाद और उसी तरह की चीजों को छोड़ कर भिलाई में प्रति टन लागत १३१० रुपये, दुर्गापुर में १३८० रुपये और रूरकेला में १७०० रुपये प्रति टन थी । इस सम्बन्ध में यह अधिक अच्छा होता

कि हम अन्य दो भारतीय संस्थाओं के अनुभव से लाभ उठाते और इस ओर ध्यान देते कि जब सरकारी क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम शुरू किया जाय तो वास्तविक उत्पादन क्षमता कम से कम उतनी अवश्य बनी रहे जितनी कि हम कायम कर सके हैं।

धातु मिश्रित इस्पात के उत्पादन के लिये आवश्यक क्षमता स्थापित करने के बारे में सरकार ने कोई निश्चय नहीं किया है। रिपोर्ट के पहले या दूसरे पृष्ठ में ही बताया गया है कि १९६० में ४६,१३१ टन धातु मिश्रित इस्पात का आयात किया गया था जब कि देश में अगले पांच साल में लगभग ५ लाख टन की आवश्यकता का अनुमान है। हम जानते हैं कि हमें काफी मशीनें और औजार केवल इस कारण विदेशों से मंगानी पड़ती है कि उन्हें तैयार करने के लिये हमारे पास कच्चा माल नहीं है। यदि हमें देश में विभिन्न प्रकार के धातु-मिश्रित इस्पात मिलें तो इतना अधिक तैयार माल आयात करने की जरूरत नहीं रहेगी। धातु-मिश्रित इस्पात कारखाने स्थापित करने में कठिनाई यह है कि हमारे पास तकनीकी जानकार लोग नहीं हैं लेकिन सरकारी क्षेत्र में अन्य कारखानों के पास तकनीकी जानकार लोग हैं। मैं नहीं जानता कि मंत्रालय ने उन्हें अब तक इन कारखानों को ऐसा इस्पात तैयार करने के लिये क्यों नहीं कहा। यदि वे अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ायें तो देश की कुछ आवश्यकता पूरी हो सकेगी और करोड़ों रुपये का आयात बच जायगा।

मुझे आशंका है कि जो विस्तार कार्यक्रम बनाया गया है वह इस प्रकार कार्यान्वित नहीं किया गया है कि सभा को यह विश्वास हो कि वह पूरा हो जायगा। मैं यह इस लिये कहता हूं कि बोकारो परियोजना के विषय में हम ने कुछ तय नहीं किया है कि उस कारखाने के लिये विदेशी मुद्रा कहां से मिलेगी। भिलाई तथा दूसरे कारखानों के बारे में अभी तक उन के विस्तार सम्बन्धी परियोजना रिपोर्टें तैयार नहीं हुई हैं। टाटा ने अपना विस्तार कार्यक्रम १९५२ में शुरू किया लेकिन मार्च, १९६१ तक वह विस्तृत क्षमता प्राप्त नहीं कर सके। इस लिये यदि हम फिर ढिलाई से आगे बढ़ते हैं तो मुझे सन्देह है कि तीसरी योजना के अन्त तक भी हम १०० लाख टन की क्षमता स्थापित नहीं कर सकेंगे।

†**एच० एन० गुहा** (बारसाट): मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय को इस सभा की ओर से तथा राष्ट्र की ओर से भी बधाई दी जानी चाहिये। दूसरी पंचवर्षीय योजना की संपूर्ण अवधि में बराबर यह शंका व्यक्त की जाती रही कि नियत मात्रा में कोयला उत्पादन करने की क्षमता सरकारी क्षेत्र में है या नहीं है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि उद्योगों की तथा देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये अनुमति दी जाये। कोयले के विषय में ऐसा कोई सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये, सिवाय इस बात के कि कोयले पर नियंत्रण विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में न रहे। जो भी हो, गैर-सरकारी क्षेत्र ने ४४० लाख टन का लक्ष्य पूरा कर दिया है, मैं समझता हूं कि यह अपने लक्ष्य से आगे बढ़ गया है। हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि सरकारी क्षेत्र में भी, मार्च, १९६१ के अंत तक प्रति वर्ष ६०० लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ है। इस प्रकार वह भी अपने लक्ष्य से आगे बढ़ चुका है। इस दृष्टि से यह एक सफलता है।

लेकिन इतना होने पर भी सम्पूर्ण देश में, प्रत्येक राज्य में, यहां तक कि कोयला उत्पादन करने वाले पश्चिम बंगाल राज्य में भी कोयले की कमी है। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र, अर्ध-नगरीय क्षेत्रों से, घरेलू इस्तेमाल के लिए कोलया न मिलने के बारे में कई पत्र प्राप्त

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एच० एन० गुहा]

हुए हैं। इसलिए मंत्रालय को उद्योगों के अलावा सामान्य उपभोक्ताओं के हितों की ओर भी ध्यान देना चाहिये । मैं समझता हूं कि ६०० लाख टन का लक्ष्य देश की आवश्यकताओं के आधार पर नहीं बल्कि उपलब्ध धन के आधार पर निर्धारित किया गया था । मुझे आशंका है कि तीसरी योजना के लिए ९७० लाख टन का लक्ष्य भी हमारी वास्तविक आवश्यकताओं से भी कम ही होगा ।

दूसरी योजना के तीसरे वर्ष के अन्त में या चौथे वर्ष के आरम्भ में मंत्री महोदय ने यह कल्पना की थी कि तीसरी योजना के लिए लक्ष्य लगभग १०५० लाख टन या ११०० लाख टन होगा । मैं नहीं जानता कि योजना आयोग ने ९७० लाख टन कैसे निर्धारित किया। देश के औद्योगिक विकास के लिए कोयला उत्पादन को सब से पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उपलब्ध धन की दृष्टि से लक्ष्य निर्धारित करना अकलमंदी नहीं है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि तीसरी योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से पहले मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें कि यह लक्ष्य वास्तव में देश की आवश्यकताओं के अनुमान पर ही आधारित हो ।

९७० लाख टन के लक्ष्य का अर्थ यह है कि दूसरी योजना से ३७० लाख टन अतिरिक्त उत्पादन होगा । इस अतिरिक्त उत्पादन में से १७० लाख टन गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए और २०० लाख टन सरकारी क्षेत्र के लिए रखा गया है । मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र में किये गये निदेश तथा दी गयी मशीनें और साजसामान से अतिरिक्त २०० लाख टन का उत्पादन कठिन नहीं होना चाहिये । लेकिन उत्पादन बढ़ाते समय हमें परिवहन की ओर भी ध्यान देना चाहिए । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की रिपोर्ट से पता चलता है कि १० कोयला खानों में २ कोयला खानों में अभी तक पूरी तरह से वाणिज्यिक उत्पादन शुरु नहीं हुआ है और दूसरी ६ कोयला खानों के लिए मुख्य कठिनाई रेलवे परिवहन का अभाव है। इसलिए कोयला खानों का विकास और उत्पादन बढ़ाते समय, परिवहन के सम्बन्ध में भी उचित व्यवस्था करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इस दृष्टिकोण से मेरी राय में सिंगारेनी की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि वह दक्षिणी भारत की पूरी नहीं तो आधी आवश्यकता पूरी की जा सके। मैं समझता हूं कि सिंगारेनी के लिए लगभग ५० लाख टन अधिक नियत किया गया है । मैं नहीं जानता कि यह लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है या नहीं ताकि भारत की अन्य परिवहन साधनों तथा रेलों पर बोझ कुछ कम हो जाये । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने रेलवे बोर्ड की सलाह के विरूद्ध करनपुरा कोयला खानों का विकास किया है और इससे परिवहन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। मैं नहीं जानता कि सरकार कानपुरा कोयला खान से कोयला ले जाने की क्या व्यवस्था करेगी । इसलिए सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त २०० लाख टन नियत करते समय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें कि वह विभिन्न क्षेत्रों में बराबर बांटा जाय जिससे परिवहन का बोझ कम हो सके। अभी तक कोयले का परिवहन सब से बड़ी कठिनाई रही है। और इस कारण गैर-सरकारी क्षेत्र की उत्पादन योजना में एक भारी संकट उत्पन्न हो गया है । फिर आग का खतरा भी है । इसलिए मंत्रालय इस ओर ध्यान दे कि परिवहन की एक सुसंगठित व्यवस्था कायम की जाय ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस बात का भी सुझाव दिया गया था कि सड़क परिवहन से कोयला ढोया जाय। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं क्योंकि सड़क परिवहन से कुछ कोयला बर्बाद होगा और कुछ कर वगैरह देने पड़ेंगे। फिर, सड़क परिवहन पूर्णतः गैर-सरकारी क्षेत्र में है और वह असंगठित दशा में है। लेकिन जब रेलें कोयला नहीं ढो सकतीं तब कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा और तब सड़क परिवहन का उपयोग करना ही होगा। इसलिए कोयला उत्पादन के साथ साथ कोयले के परिवहन की व्यवस्था पहले से की जानी चाहिये।

गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से कुछ शिकायतें हैं कि उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनकी सभी शिकायतें उचित हैं। कोयला मूल्य परिवर्तन समिति ने ३० महिने पहले यह सिफारिश की थी कि गैर-सरकारी कोयला खानों को राज सहायता के तौर पर कुछ उपकर दिया जाय और मुझे बताया गया है कि १ करोड़ रुपये से अधिक रकम इकट्ठी हो चुकी है लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है। यदि उपकर इकट्ठा लिया जा रहा है और उसका कुछ हिस्सा गैर-सरकारी कोयला खानों का देने का निश्चय किया गया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को वह रकम अदा करने में ३० महिने का समय क्यों लगा। यह बहुत छोटी बात है लेकिन इससे कोयला उत्पादन में कठिनाई होती है।

आगे, कोयला धोने के कारखानों का प्रश्न है। कारगली वॉशरी ने १९६० में अपनी कुल क्षमता का केवल ५० प्रतिशत कोयला ही धोया। वह कारखाना चार साल पहले स्थापित किया गया था और अब भी वह ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। मुझे बताया गया है कि रज्जु-पथ (रोप-वे) को भी क्षति पहुंची है और वॉशरी केवल अपनी क्षमता का ५० प्रतिशत ही कोयला धोता है। ऐसी स्थिति में मंत्रालय इस सम्पूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान दे। इसी प्रकार दुगडा, भोजूडीह और पथरडीह के वाशरीज़ के बारे में क्या हुआ पता नहीं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने बहुत अधिक उन्नति की है और इस रपोर्ट में भी इसका कुछ उल्लेख नहीं है।

मेरा निवेदन है कि कोयला खानों के विलय में बहुत ही कम प्रगति हुई है। जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है मेरा कहना है कि आडिटरों ने समवायों की सही स्थिति नहीं बताई। उन्हें सरकार अथवा संसद् से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। हमें यह भी बताया जाना चाहिए कि क्या पश्चिम बंगाल में छेदन कार्य बन्द कर दिया गया है। कलकत्ते में तेल साफ करने का कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए। तेल की खपत का भारत भर में सब से बड़ा केन्द्र कलकत्ता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, इस्पात, खान और ईंधन मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, और उन के सहयोगी श्री मालवीय, अपने विभाग को जिस तत्परता और परिश्रम से चला रहे हैं, उस के लिय वे साधुवाद के पात्र हैं। परन्तु इस आवश्यक और महत्वपूर्ण विभाग से सम्बन्धित इस प्रकार की जानकारियां म उनको देना चाहता हूं, जिन के विषय में वह गंभीरता पूर्वक विचार करें, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह जो इतने परिश्रम और तत्परता से अपने विभाग को देश के लिय उपयोगी बनाना चाहते हैं, उस के सम्बन्ध में इस प्रकार की कठिनाइयां न आ जायें कि उस के मनचाहे परिणाम न निकलें।

जहां तक इस्पात उद्योग का सम्बन्ध है, हमारे देश में जितने विकास-कार्यक्रम चल रहे हैं यह उद्योग उन सब कार्यक्रमों की रीढ़ की हड्डी हैं। योजना की सफलता, खाद्यान्नों का उत्पादन

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

और छोटे बड़े उद्योग-धन्धे इसी पर निर्भर करते हैं। सरकार न दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात-कारखानों का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया है। मैं इस्पात उद्योग से सम्बन्धित इस्पात कंट्रोलर के कलकत्ता स्थित कार्यालय के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सुझाव भी देना चाहता हूं । मुझे दुख है कि इस कार्यालय को जितनी तत्परता के साथ कार्य करना चाहिये, वह नहीं कर रहा है और उस का स्वाभाविक परिणाम यह है कि देश के इस प्रमुख व्यवसाय को जितनी उन्नति करनी चाहिये थी, वह नहीं हो पाई है और इस विभाग की शिथिलता, अकर्मण्यता और पक्षपातपूर्ण नीति के कारण करोड़ों रुपये की हानि देश के इस उद्योग को पहुंच रही है ।सब से बड़ी बात यह है कि इस कार्यालय में कोई निश्चित नीति नहीं है । जो निर्णय आज किया जाता है, कल वह ज्यों का त्यों रह सकेगा, यह कोई आवश्यक नहीं प्रतीत होता । उदाहरण के लिये मैं कुछ बातें आप को बताना चाहता हूं।

अप्रैल-सितम्बर, १९५९ के लाइसेंस पीरियड में एक्चुअल यूज़र्ज़ से वास्तविक उपभोक्ताओं से कहा गया कि वे तार के लिये अपने इन्डेंट भेजें, ताकि लोहा तथा इस्पात कंट्रोलर उसी आधार पर बाहर से माल आयात कर सके । पहले तो उन के प्रार्थनापत्र बहुत समय तक विचाराधीन रहे और फिर विभाग का विचार बदल गया तथा वास्तविक उपभोक्ताओं से कहा गया कि वे इम्पोर्ट लाइसेंस के लिये फिर प्रार्थनापत्र भेजें । इस प्रकार काफी लम्बे समय तक वास्तविक उपभोक्ताओं को इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं मिले जिस से उन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।

और भी ऐसी ही अनिश्चित नीतियां और कार्यक्रम हैं, जोकि समय समय पर सामने आते रहते हैं। यह भी देखा जाता है कि इस्पात कंट्रोलर की तरफ से इम्पोर्ट लाइसेंस सदा लाइसेंस पीरियड के अन्त में, जोकि चार पांच महीने का होता है, जारी किये जाते हैं। उनके जारी करने में प्रायः देरी होती है, और देरी भी इतनी की जाती है कि अन्त में आ कर लाइसेंस जारी किये जाते हैं। कई बार व्यापारी वर्ग ने इस कार्यालय को मैमोरेंडम भी दिये हैं और सरकार को भी इस प्रकार के आवेदन पत्र दिये हैं लेकिन अभी तक इस कार्यालय की नीति में किसी प्रकार का कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है ।

विदेशी मुद्रा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । विदेशी मुद्रा की राशियां नियत न होने के कारण जब लाइसेंस जारी करने बन्द कर दिये जाते ह तो इस से कुछ इम्पोर्टर्ज़ को तो पहले ही आयात लाइसेंस मिल जाते हैं और बहुत से इन से वंचित रह जाते हैं और उन को अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इस गूढ़ पहेली के रहस्य का भी आप को पता लगाना चाहिये और देखना चाहिये कि विदेशी मुद्रा के अर्जन में इतनी देरी क्यों होती है ।

इसी कार्यालय के सम्बन्ध म एक और महत्वपूर्ण बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वह है स्टाकिस्टों की और एजेंटों की नियुक्तियों के संबंध में । इस्पात कंट्रोलर के विभाग में रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट्स, कंट्रोल स्टाकिस्ट्स और हैंडलिंग एजेंट्स की नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है और बहुत ही निरंकुश ढंग से इस कार्यालय के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं । इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में न तो यह देखा जाता है कि पिछला इन का अनुभव कितना है और न ही यह देखा जाता है कि जिन की नियुक्तियां की जा रही हैं, उन के पास वित्तीय साधन भी हैं या नहीं और

न ही उन की योग्यता को देखा जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि अयोग्य आदमियों की नियुक्तियां कर दी जाती हैं। सब से बड़ी योग्यता जो नियुक्ति की है वह यह है कि जिस आदमी की इस आफिस में सीधी पहुंच होती है, उस की नियुक्ति आसानी से हो जाती है और यह नहीं देखा जाता है कि उस को इस काम का अनुभव है या नहीं। जैसे एक व्याज पर पैसा देने वाला व्यक्ति था वह अधिकारियों तक अपनी पहुंच रखता था। उस को वहां पर हैंडलिंग एजेंट बनाया गया। इसी तरीके से एक स्टेनोग्राफर था उस को कंट्रोल स्टाकिस्ट बनाया गया। अगर किसी को जिस को उस काम का अनुभव नहीं है, नियुक्त कर दिया जाता है, तो उस का परिणाम यह होता है कि कार्य उतनी कुशलता से और दक्षता से नहीं हो पाता है जितनी कुशलता और दक्षता से वह होना चाहिये। कंट्रोलर के विभाग द्वारा यह जो नीति अपनाई गई है यह बड़ी ही दुर्बल नीति है। आज जब हम समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं तो इतना तो हमको अधिकार है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, तो उस की ओर हम निर्देश कर सकें, उस को बता सकें और यह कह सकें कि यहां पर यह कमजोरी है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इस विभाग में जो कर्मचारी हैं, वे थोड़ी सी आलोचना भी यदि उनकी कर दी जाती है तो उस को सहन नहीं कर पाते हैं और इस का परिणाम यह होता है कि किसी का स्टाक होल्डरशिप रद्द कर देते हैं और किसी को किसी दूसरे प्रकारों से परेशान करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार के उदाहरण मेरे नोटिस में आये हैं, इस वास्ते मैं आपके सामने इन को रख रहा हूं। इस्पात कंट्रोलर की नुक्ताचीनी करने का अर्थ यह हुआ है कि एक व्यापारी की इसी तरह स्टाक होल्डरशिप रद्द कर दी गई। लोग नुक्ताचीनी अथवा शिकायत करने से इसीलिय डरते हैं और समझते हैं कि अगर इस प्रकार की चर्चा की जाय तो सम्भव है कि उन को परेशान किया जायगा।

एक और बात इस विभाग के संबंध में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। इंडेंट देने में भी यहां पर बहुत देरी होती है। सामान्यतः उत्पादकों के पास इंडेंट देने में पन्द्रह दिन से अधिक का समय नहीं लगना चाहिये। पर होता यह है कि इस्पात कंट्रोलर ऐसे इंडेंट देने में महीनों लगा देता है और स्टाक रखने वालों को पता नहीं चलता है कि इस बीच में उन के इंडेंटों पर क्या निर्णय हुआ है। इस्पात कंट्रोलर द्वारा जो इंडेंटों की योजना बनाई जाती है, उस का उद्देश्य इस्पात का उत्पादन और वितरण और वर्तमान पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं के आधार पर नियत होना चाहिये। सब श्रेणियों के इस्पात का संतुलित उत्पादन और वितरण होना चाहिये। पर यह विभाग इस में सर्वथा असफल रहा है। रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट्स और एक्चुअल यूज़र्स के इंडेंट बम्बई के कलकत्ता या मद्रास के उत्पादकों द्वारा तैयार होते हैं। इसी तरह से कलकत्ता वालों के बम्बई या दिल्ली के अन्दर तैयार होते हैं जो बड़ी विपरीत चीज है।

दो इस विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक मद्रास में और दूसरा बम्बई में। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में सब से बड़ी कमजोरी की बात यह है कि जो अधिकारी वहां पर आपने रखे हैं पहले तो उन को बहुत अधिक अधिकार नहीं दिये हुए हैं लेकिन जितने अधिकार दिये भी गये हैं, उन का भी वे पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जब कोई भी व्यापारी या कारखाना या व्यापारी संस्थान उन को कोई आवेदन पत्र देता है और कुछ कठिनाइयां उन के सामने उपस्थित करता है तो उन का काम यह है कि व उस को कंट्रोलर के आफिस में कलकत्ता भेज देते हैं और वहां से उस के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट आफिसिस में हैं। किसी उत्तर के देने में देरी होती है तो एक मंजा हुआ और घिसा पिटा

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

सा उत्तर भेज दिया जाता है कि विचार किया जा रहा है और समय आने पर उत्तर दिया जायगा, इसी प्रकार से अगर इन कार्यालयों से ऐसा भी उत्तर लोगों को प्राप्त हो जाय तो भी संतोष हो । पर इस प्रकार का भी आज वहां से उत्तर नहीं आता है । कहीं से कोई पत्र जाता है तो उस को कलकत्ता भेज दिया जाता है और वहां से जो संदेश प्राप्त होता है, उस को व्यापारी के पास पहुंचा दिया जाता है, इस तरीके से ये क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं। सिवाय एक पोस्ट आफिस की तरह काम करने के उनकी कोई दूसरी विशेष उपयोगिता नहीं है । आप को चाहिये कि मद्रास और बम्बई के क्षेत्रीय कार्यालयों को इस प्रकार का निर्देश आप दें कि जो भी पत्र उन के पास आयें, उस का कम से कम एक सप्ताह में कुछ न कुछ उत्तर आवेदनकर्ता के के पास वे अवश्य भेज दें । ये दोनों ही कार्यालय सुस्ती और अकर्मण्यता के शिकार होते जा रहे हैं। इन के संबंध में आपको कोई दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिये ।

अभी जो हमारे देश में नये कारखाने खुले हैं या जो पहले से चल रहे हैं, उन में देशी इस्पात के संबंध में कंट्रोल्ड स्टाकिस्ट्स नियत किये गये हैं लेकिन उन के संबंध में भी सार्वजनिक रूप से कोई नोटिस नहीं निकाला गया है । इस का परिणाम यह हुआ है कि अपने अपने अपने आदमियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। होना यह चाहिये था कि इस प्रकार की जो नियुक्तियां की जायें, उन के बारे में सार्वजनिक रूप से विज्ञापन दिय जायें, नोटिस निकालें जायें ताकि जो उन कामों को करने की योग्यता रखते हैं, वे भी आवेदन पत्र दे सकें और यह काम उनको मिल सके, जो इस को करने के लिये सक्षम हें । चूंकि काम इस तरह से नहीं किया गया है, इस का नतीजा यह हुआ है कि व्यापारी वर्ग में असन्तोष की मात्रा बढ़ती जा रही है । मैं चाहता हूं कि जब आप अपने विभाग को एक व्यवस्थित विभाग बनाना चाहते हैं तो इसके सम्बन्ध में आप समय समय पर निरीक्षण करें और देखें कि क्या कमियां हैं और उन को दूर करने का प्रयत्न करें । जो श्रेय आप लेना चाहते हैं, वह न लेकर उनकी उदासीनता और लापरवाही के कारण आप अपश्रेय के भागी बनते हैं।

अब मैं बदलाव के सौदों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । कच्चे माल की व्यवस्था करने में राज्य व्यापार निगम ने कुछ बदलाव के सौदे की स्वीकृति दी थी और ये सौदे हमारे लिए उपयुक्त भी थे । बजाय इस के कि दूसरे देशों से माल मंगा कर उन को विदेशी मुद्रा दें, यह अधिक अच्छा था कि उस के बदले में हम अपने देश का सामान ही उन को दें । ऐसी हालत में इन सौदों का होना देश के लिए हितकर ही हो सकता है । माल के बदले माल देने से विदेशी विनिमय पर कोई भी किसी किस्म का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सौदों के सम्बन्ध में काफी हद तक सावधानी नहीं बरती गई है । इस्पात मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने पीछे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बतलाया था कि देश में साढ़े ६२ हजार टन विदेशी ऐसे इस्पात का आयात हुआ है कि जिस के बदले में कोई निर्यात यहां से नहीं किया गया । यह भी पता चलता है कि उस आयात किए हुए माल का बहुत अधिक मूल्य देना पड़ा है । सच्चाई तो यह है कि इस प्रकार के जो सौदे होते हैं उनको इतना छिपा कर रखा जाता है कि किसी को भी उन के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं चलता है । ऐसे सौदों के सम्बन्ध में न तो कोई सावजनिक नोटिस ही निकाला जाता है और न ही कुछ और कार्य किया जाता है, केवल उन्हीं लोगों को इसकी सूचना दी जाती है जो अधिकारियों के कृपा पात्र होते हैं। इस का परिणाम यह होता है कि जो दूसरे व्यापारी हैं, वे उन से वंचित रह जाते हैं। सरकार का फ़र्ज़ है कि वह इस बात का ध्यान

रखे कि उन्हीं लोगों को आयात लाइसेंस दिए जायें जो आवश्यक माल का निर्यात कर सकें। परन्तु इस विषय में सावधानी न रखने से मेरा अनुमान है कि देश को और हमारी सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई है ।

ये जो बदलाव के सौदे होते हैं उनका मन चाहे ढंग से वितरण किया जाता है । होता यह है कि जो आयातकर्त्ता बदलाव के सौदों की योजना में माल मंगाते हैं उन्हें यह भी छूट रहती है कि वे जिसे चाहें माल दे दें। क्योंकि ऐसे माल की देश में कमी थी अतः उन लोगों ने वह माल अपने ही लोगों को दिया। जिन उपभोक्ताओं को उस माल की जरूरत थी उन्हें वह नहीं मिल पाया। भारत सरकार को चाहिये कि ऐसे बदलाव के सौदे के सम्बन्ध में एक कमेटी बिठा कर के अच्छी तरह से जांच कराये और देखे कि इन से देश को लाभ हुआ है अथवा कुछ अधिकारियों ने कुछ फर्मों के साथ पक्षपात कर के इस तरह के सौदों में देश को और हमारी सरकार को हानि पहुंचाई है ।

बदलाव के सौदों के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चन्द व्यापारी ही इस से लाभ उठा रहे हैं। हमारे देश में इस्पात के करीब पांच हजार व्यापारी हैं लेकिन ये जो बदलाव के सौदे होते हैं ये केवल दो दर्जन व्यापारी ही कर रहे हैं। और इन दो दर्जन व्यापारियों में भी ९० प्रतिशत व्यापारी अकेले कलकत्ता नगर के ही हैं। यह बात उसी प्रकार से है जैसे कुलिहया में गुड़ फोड़ना कहते हैं। थोड़े से लोगों तक यह बात सीमित हो कर रह गई है। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कलकत्ते में जो इस्पात कंट्रोलर का आफिस है, उसका फिर से आप निरीक्षण करायें और देखें कि इतनी ज्यादा गलत बातों का यह कार्यालय क्यों शिकार होता जा रहा है । सम्भव है कि आप के प्रशासन को भी आगे चल कर इस से लांछित होना पड़े। इसलिए इस कार्यालय के संबंध में विशेषरूप से आपको पता लगाना चाहिये .....

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे पांच मिनट और दिये जायें क्योंकि मुझे और भी बहुत सी बात कहने को हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मेंबर साहब रह जायेंगे और उन को वक्त नहीं मिल सकेगा। इसलिए मुझे अफसोस होगा। माननीय सदस्य दो तीन मिनट में खत्म कर लें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बहुत अच्छा ।

इस कार्यालय में अनियमिततायें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उन सब को इतने थोड़े से समय में गिनाना तो कठिन है परन्तु उदाहरणस्वरूप एक ही बात मैं आप से कहना चाहता हूं एक जहाज भर कर अभी हाल में लाखों रुपये के इस्पात पदार्थों का गैर-कानूनी तरीके से भारत में आया था। इस जहाज में जो सामान आया बाद में न जाने कैसे उसको आथोराइज्ड घोषित कर दिया गया। यह रहस्यपूर्ण बात है । आश्चर्य की बात तो यह है कि इस्पात कंट्रोलर के नाक के नीचे इस प्रकार की घटनायें होती हैं। आप पता तो लगाय कि इन सब बातों के पीछे रहस्य क्या है ?

इसी प्रकार से इस्पात कंट्रोलर जो टेन्डर देते हैं, उस में रहस्य क्या है कि उन टेन्डरों की शर्तें इतनी सख्त होती हैं कि हर एक व्यापारी उन टेन्डरों को नहीं ले पाता। इसका परिणाम यह होता है कि जो चतुर, चालाक व्यापारी हैं, जो हर तरह के रास्तों को जानते हैं वे वहां पहुंच

जाते हैं और टेन्डर ले लेते हैं, यानी टेन्डरों की शर्तें इतनी सख्त होती हैं कि उन से दूसरे व्यापारी तो हतोत्साहित हो जाते हैं और टेन्डर नहीं ले पाते। मैं चाहता हूं कि उन के संबंध में सार्वजनिक रूप से विचार किया जाय ताकि सब लोग टेन्डरों को प्राप्त कर सकें।

अन्त में दो बातें कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मैं विशेष रूप से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में कहना चाहता हूं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी ३४वीं रिपोर्ट में लिखा है कि अगस्त, सितम्बर, १९५४ में हमारी वर्क्स हाउसिंग मिनिस्ट्री ने एक कम्पनी के संबंध में उस की सभी शाखाओं को ब्लैक लिस्ट पर रखने का आर्डर निकाला, और वह आर्डर सारे मंत्रालयों को प्रचारित कर दिया गया। लेकिन इस पर भी उस कम्पनी से संबंधित लोगों ने किसी और नाम से दूसरी कम्पनी खोल ली, जिसे सन् १९५४ के अन्दर करीब ५२ ठेके जिन की कीमत लगभग २३ करोड़ रु० बैठती थी, आयरन ऐंड स्टील कंट्रोल आर्गेनाइजेशन ने दिये। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार यह विभाग इतनी उदासीनता और शिथिलता से कैसे कार्य कर रहा है। अक्तूबर, १९५६ में इस्पात मंत्रालय ने अलग से एक आर्डर निकाला जिस में इस फर्म के साथ कोई बिजिनेस न करने को कहा गया था। लेकिन उस आर्डर के बावजूद भी उस कम्पनी को दस ठेके दिये गये और इस में देखने योग्य बात यह है कि आयरन एन्ड स्टील कंट्रोल आर्गेनाइजशन को इस आर्डर के बारे में मालूम था कि इस कम्पनी के भागीदार वही लोग हैं जिन की कम्पनी को ब्लैक लिस्ट पर रखने का आदेश जारी हो चुका था। लेकिन इतनी जानकारी होते हुए भी यह कार्यालय बराबर शिथिलता पर शिथिलता बरतता चला जा रहा है।

इसी प्रकार से एक और चीज कलकत्ते के एक पत्र में प्रकाशित हुई थी। मैं इस में विस्तार से तो नहीं जा सकूंगा लेकिन उस में आंकड़े दिये गये हैं तमाम बातों के कि किस प्रकार से एक कम्पनी थी जिस ने दो या तीन लाख रुपये से अपना व्यापार आरम्भ किया और दो वर्षों के अन्दर उसने १४ करोड़ का व्यापार किया और उस में ५० लाख रुपये का लाभ कमाया। २ लाख रु० से व्यापार आरम्भ किया जाय, दो वर्ष के अन्दर १४ करोड़ रु० का व्यापार हो और ५० लाख रु० कम्पनी को लाभ हो तो स्पष्ट बात है कि कोई गलत रास्ता इस प्रकार का अपनाया गया है जिस से जितनी कम्पनियां इस प्रकार की हैं वे इस्पात कंट्रोलर कलकत्ता के कार्यालय में पहुंच कर आफिसर्स से मिलकर अनुचित लाभ उठा रही हैं। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि कलकत्ता में इस्पात कंट्रोलर का जो कार्यालय है उस के संबध में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति आप निर्धारित करें और उस के द्वारा इस कार्यालय की पूरी छानबीन करें। अच्छा तो यह होता कि इस कार्यालय को किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाय।

†**श्री टे० सुब्रमण्यम** (बल्लारी) : इस्पात और लोहा ही हमारी औद्योगिक प्रगति का आधार है। इसके लिये हमें देश में ही काफी कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है, यह हमारे सौभाग्य की बात है, परन्तु उत्पादन के क्षेत्र में हम इस मामले में अन्य सभी बड़े बड़े देशों से पीछे हैं। हमारे इस्पात के तीनों कारखानों का काम शुरू हो गया है, परन्तु खेद है कि उत्पादन पूरा नहीं हो रहा। देश में इस्पात की जितनी आवश्यकता है, उस अपेक्षित मात्रा में इस्पात उपलब्ध नहीं हो रहा। परन्तु आशा की जा रही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

वितरण के संबंध में लोगों को शिकायत है कि इस्पात का वितरण सन्तोषजनक नहीं है और लाइसेंस समय पर नहीं दिये जाते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की पूरी तरह जांच होनी चाहिये और इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लघु उद्योग और कृषि क्षेत्र को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इस के साथ ही हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि देश में धातु मिश्रित इस्पात, और विशेष इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जाय। मेरा यह भी सुझाव है कि यदि इस मामले पर सरकार विचार करना चाहे तो इस प्रकार के इस्पात के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित करने के लिए भद्रावती बहुत अच्छी जगह है। वहां यह कारखाना शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए। १९६२ में इस स्थान पर बिजली भी काफी मात्रा में उपलब्ध होने लगेगी।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए नये यूनिट स्थापित किये जाने चाहिये। दक्षिण भारत में इसकी काफी गुंजाइश है। इस प्रकार का एक यूनिट बेल्लारी जिले में स्थापित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में काफी मात्रा में लोह खनिज उपलब्ध हो सकता है। दक्षिण भारत में री रोलिंग मिलों की स्थापना की भी काफी गुंजाइश है। कई केन्द्रों में इसे स्थापित किया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि दक्षिण भारत में इसे आरम्भ करने के लिए सम्भव सुविधायें दी जानी चाहियें। इस से आर्थिक लाभ तो होगा ही परिवहन की समस्या भी काफी हल होगी।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : आत्म निर्भरता के लिए इस्पात खान और ईंधन का होना बड़ा ही आवश्यक है। इस के बिना कोई देश भी प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता। इस्पात की खपत को हमारे जीवन स्तर का परिमाप समझा जाता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज सरकारी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन की ओर अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु मुझे इस बात को बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि भिलाई कारखाने को छोड़कर अन्य सभी इस्पात कारखानों का कार्य असन्तोषजनक रहा है।

दुर्गापुर के इस्पात कारखाने में कर्मचारियों में बहुत असंतोष है। इस कारखाने में विभिन्न कारखाना अधिनियम के उपबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। कर्मचारियों को परियोजना भत्ता नहीं दिया जा रहा। सुरक्षा के उपायों का भी पालन नहीं किया जा रहा। सारे नगर में किसी स्कूल की व्यवस्था नहीं की गयी, जहां कि कर्मचारियों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। विदेशी प्रविधिज्ञों का व्यवहार भी सन्तोषजनक नहीं है। इस के अतिरिक्त भी कर्मचारियों को कई और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सारी बातें तभी सामने आ सकती हैं जब कि इस मामले के सभी अंगों की पूरी जांच की जाय। यह भी बड़ी खेदजनक बात है कि आरक्षी विभाग भी कारखाने की सुरक्षा की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहा है।

कोयले के संबंध में दो कठिनाइयां प्रायः देखने को आती हैं। सब से बड़ी कठिनाई परिवहन की है, दूसरी कठिनाई यह है कि बढ़िया कोटि का कोयला बहुत ही कम उपलब्ध होता है। परिवहन की कठिनाइयों को अधिक बैगनें देकर दूर किया जा सकता है। यदि कोयला क्षेत्रों का विकास किया जा सके तो कुछ कोयला सड़कों के द्वारा भी पहुंचाया जा सकता है। तटीय नौवहन द्वारा कोयला पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक जहाज उपलब्ध किये जाने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

बढ़िया कोयले का उत्पादन भी एक महत्व पूर्ण समस्या है। घटिया कोयले की कोटि को सुधारने के लिये कोयला साफ करने के कारखाने बहुत महत्वपूर्ण हैं। बढ़िया कोटि के कोयले के नये क्षेत्र खोज निकालने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये। इस दिशा में एक यह भी उपाय हो सकता है कि हम विभिन्न प्रकार के कोयले का मिश्रण आरम्भ कर दें। यह प्रयोग किया जाना चाहिये।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस लोह अयस्क में लोहे की मात्रा ६५ प्रतिशत से अधिक हो उसका किसी भी हालत में निर्यात नहीं किया जाना चाहिये। यह भी मेरा सुझाव है कि लोहे की खानों में मशीनों से काम होना चाहिये।

†**श्री ओझा** (झालावाड़): हम अभी हाल ही में दूसरी योजना को पूरी कर के तीसरी योजना में प्रवेश कर रहे हैं। यह बात भी स्पष्ट है कि केवल औद्योगीकरण से ही देश आगे जा सकता है और देश के लोग समृद्धिशाली बन सकते हैं। अभी तक तो हमारे अधिकतर देशवासी पिछड़े हुये हैं। यह बात तो स्पष्ट ही है कि हमने देश के सारे साधन इस मंत्रालय के हवाले कर दिये थे, और जो कुछ सम्भव था उसे करने में कसर बाकी नहीं रखी। मंत्रालय को भी इस दिशा में कुछ जागरूकता से काम लेना चाहिये।

मेरा निवेदन है कि हमें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि इस्पात कारखानों से निर्धारित समय हमें लाभ प्राप्त होने लगे। यदि तुरन्त ही इस प्रकार की व्यवस्था न की गयी तो देश की जनता में निराशा व्याप्त हो जायेगी। इस बात के महत्व को मैं स्वीकार करता हूं कि हमें इस्पात उद्योग को, जो कि भारी उद्योगों का आधार है, शक्तिशाली बनाने के लिये अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये।

उद्योगों के वितरण को देखते हुए और परिवहन के गतिरोधों से बचने के लिये और री-रोलिंग मिलें स्थापित की जानी चाहिये। यह सर्वत्र अनुभव किया जा रहा है कि कोयले के बढ़ते हुए उत्पादन के बावजूद देश में उस की कमी चली आ रही है। रेलवे मंत्रालय और इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय में समन्वय का नितान्त अभाव है। इस दिशा में सब से अधिक हानि पश्चिमी क्षेत्र को पहुंची है जहां कि कारखाने इसी संकट के कारण बन्द हो रहे हैं। यद्यपि यह भी ठीक ही है कि कोयल उत्पादन का ६०० लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस सम्बन्ध में मेरा एक और निवेदन भी है। कोयला ले जाने के लिये निर्वहन व्यवस्था पर्याप्त नहीं हैं। जहाज के माल भाड़े की दरें रेलवे की अपेक्षा बहुत अधिक हैं, अतः जहाजों से लाया गया कोयला उद्योगों के लिये महंगा रहेगा। मेरा मत यह है कि कोयले के लिये कोई संग्रह दर होनी चाहिये अथवा सरकार पश्चिमी किनारे के पास माल के यातायात व्यय का कुछ भार वहन करे ताकि कोयला खरीदने वालों को कोई हानि न हो। यह भी उल्लेखनीय है कि गुजरात के उद्योग बिजली के अभाव में क्षति उठा रहे हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि उन के लिये मट्टी के तेलों अथवा डीजल की व्यवस्था करे। अंकलेश्वर और खम्भात में तेल साफ करने के कारखाने स्थापित किये जाने चाहिये। सौराष्ट्र में बाक्साइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसे अल्यूमीनियम बनाने के लिये काम में लाने के प्रयत्न किये जाने चाहिये। क्यों कि यह बाक्साइट व्यर्थ ही पड़ा है न इस से कोई लाभ उठाया जा रहा है और न ही इसे बाहर ही भेजा जा रहा है ताकि और कुछ नहीं तो विदेशी विनिमय ही प्राप्त किया जाये। इसी में ही देश का हित है।

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : विभिन्न क्षेत्रों से आये विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया है । लगभग २४ सदस्यों ने चर्चा में भाग ले कर इस विषय पर अपने विचारों को प्रकट किया है । हम दूसरी योजना को समाप्त कर तीसरी में प्रवेश कर रहे हैं, अतः सदस्यों की इस दिशा में तीव्र अभिलाषाओं को मैं समझता हूं । मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने विभिन्न प्रकार सुझावों को हमारे समक्ष रखा है ।

मेरा निवेदन है कि दूसरी योजना में कोयले के लिये ६०० लाख टन वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है । सच तो यह है कि १९६१ के आरम्भ के तीन महीनों का औसत उत्पादन देख कर आशा है कि अतिरिक्त उत्पादन का जो १३५ लाख टन का लक्ष्य है उस से कुछ अधिक उत्पादन हो जायेगा । सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की खानों में लक्ष्य की पूर्ति हो गयी है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सामने जो अनेक कठिनाइयां हैं उन को देखते हुए यह सफलता बड़ी श्रेयस्कर है । औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अनुसरण में जब सरकार ने देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किया था, तो सभी तरह के लोगों ने आलोचना की थी परन्तु यह बात, कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने भी अपना अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया है, सिद्ध करती है कि हमारी नीतियां यथार्थवादी और व्यवहारिक हैं । और उन के अच्छे परिणाम निकले हैं ।

अखबारों में यह आम आलोचना हुई है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को विस्तार का अवसर नहीं दिया जा रहा और सरकारी क्षेत्र अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकता किन्तु ऐसी चीज नहीं है । मैं प्रसन्नता से यह बताना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र ने ही नहीं अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र ने भी अपना काम पूरा किया है । जब दोनों क्षेत्रों में उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति हो गयी है तो इस का मतलब यही है कि इस सम्बन्ध में जिस भी नीतियों का अनुसरण किया गया था वे वास्तविक रूप में यथार्थ थीं और उन से परिणाम निकले हैं । यदि गैर-सरकारी क्षेत्र का मार्ग अवरूद्ध किया जाता तो कैसे उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती थी । योजनाबद्ध काम में हमें कुछ सीमाओं के अन्दर काम करना है । यदि सीमाओं के अन्दर रह कर काम न करें तो कई प्रकार के असंतुलन पैदा हो जाते हैं । जब दोनों क्षेत्रों में उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति हो गयी है तब इस प्रकार की आलोचनायें किसी भी प्रकार का महत्व नहीं रखतीं ।

अब मैं वह लाभ बताना चाहता हूं जो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लक्ष्यों की पूर्ति से हुए हैं । पहली चीज तो यह है कि कुछ नये क्षेत्रों का विकास किया गया है; दूसरी चीज यह कि जहां लोक हित के ख्याल से लाभ का विचार त्याग कर भी खानों को चालू रखना था, उन्हें वैसे ही रखा गया है, । गिरीदीह की खान इसी प्रकार का एक उदाहरण है । इस के बाद यंत्रीकरण की दिशा में भी आधारभूत काम किया जा चुका है । यदि हम कोयले का उत्पादन आवश्यकतानुसार बढ़ाना चाहते हैं तो खानों का यंत्रीकरण अत्यावश्यक है । चौथे छोटे कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधायें दी जा रही हैं । खान इंजीनियरों आदि के प्रशिक्षण के लिये तो संस्थायें पहले से ही थी परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था अभी से हुई है । प्रशिक्षण स्कूल तालचेर, कर्गाली, कुरसिया, गिरीदीह और भूटकुंड में स्थित हैं । इन में आए साल ८३२ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाया करेगा । आवश्यकतानुसार हम इन सुविधाओं को और भी बढ़ायेंगे । सामान्य दृष्टी से देखने पर प्रतीत होगा कि खानों में मालिक और मजदूरों के सम्बन्ध अच्छे ही रहे हैं । निगम ने अच्छा लाभ कमाया है और राज्य को काफी राजस्व प्राप्त हुआ है । यद्यपि गिरीदीह की खान हानि में चली है तथापि निगम ने लाभ ही दिखाया है । अतः हमें इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिये । लाभ की वास्तविक मात्रा की जानकारी माननीय सदस्य प्रतिवेदन में से देख सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

इन हालात में हम नयी योजना को भरोसे से शुरू कर सकते हैं। श्री ब्रजराज सिंह आदि ने पूछा कि तीसरी योजना का हमारा लक्ष्य पर्याप्त है या नहीं? हमें याद रखना चाहिये कि कोयला सेवा सम्बन्धी वस्तु है। इसलिये पहले देश की स्थिति की रूपरेखा बनती है और उस के बाद इस चीज का अंदाजा लगाया जाता है। सारी स्थिति अर्थात लगाये जाने वाले कारखानों आदि की पूरी स्थिति को देखकर ही कोयले का अनुमान लगाया जाता है। इस लि निश्चित रूप से यह बात कभी नहीं कही जा सकती कि यह लक्ष्य ठीक है या नहीं।

इस कोयले के उत्पादन के लक्ष्य का सम्बन्ध उस सामूहिक प्रयास से होगा जो कि हम तीसरी योजना में करने जा रहे हैं। हमें रेलवे के लिये कितने कोयले की जरूरत होगी, इस्पात उद्योग के लिये कितने कोयले की आवश्यकता होगी, अन्य चीजों में कितना कोयला खर्च आयेगा आदि सब बातों का हिसाब लगाना होगा। इस के बाद फिर इस चीज का भी हिसाब लगाना होता है कि धातु उपयोगी कितने तेल की आवश्यकता होगी और कितना किस प्रकार का कोयला तापिय बिजली घरों के लिये चाहियेगा। इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही सही तरीके का अनुमान लगाया जाता है।

इस लिये आर्थिक दृष्टि से यह चीज अच्छी न होगी कि अन्य चीजों का उत्पादन उतना ही रखा जाये और कोयले का उत्पादन बढ़ा दिया जाय। मैं इस बात को भी दुहराना चाहता हूं कि एक निश्चित अवधि के बाद निरन्तर उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों का पुनरीक्षण किया जाया करेगा और यदि यह पता चल गया कि किसी तरफ कोई परिवर्तन हो गया है यानि कि औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता बढ़ गयी है या तापीय बिजली घरों को ज्यादा कोयले की जरूरत होने लगी है तो उसी दृष्टि से कोयले के उत्पादन के लक्ष्य भी बढ़ा दिये जाया करेंगे। इस कारण इन सब बातों को सोच कर हमें यथार्थ से दूर नहीं भागना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या दक्षिण भारत में भी खाना पकाने के काम के लिये कोयले का प्रचार हो रहा है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** नेवेली से जो ब्रिकेट्स मिलेगी उन्हें इसी काम के लिये इस्तेमाल किया जायेगा।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच ३७० लाख टन अतिरिक्त कोयले के आवंटन की भी कोई व्यवस्था करनी है। वस्तुत: अब कोयले की आवश्यकता वर्गानुसार होगी और हमें यह देखना होगा कि इस्पात संयंत्रों को चालू रखने के लिये कितने कोयले की आवश्यकता होगी। इस लिये इन सब बातों की ओर हमें ध्यान रखना होगा।

यह ११७ लाख टन अतिरिक्त कोयला जो गैर-सरकारी क्षेत्र को आवंटित किया गया है उस अतिरिक्त उत्पादन का द्योतक है जिसकी आशा हमें कुछ एक निर्दिष्ट कोयला खानों से हैं। मैं ने यह बात कई बार स्पष्ट की है कि जो गैर-सरकारी खानें इस विस्तार कार्यक्रम में भाग ले रही हैं वह बाद में खुद ही काम के विस्तार के लक्ष्य निर्धारित करेंगी और इस प्रकार का लक्ष्य वैसे ही निर्धारित नहीं किया जाया करेगा।

हमने एक कार्यकारी दल बनाया जिसने गैर-सरकारी उद्योग से बातचीत की है और उनकी क्षमता को जांचा परखा है। कोयले की किस्म आदि बातों पर भी यथोचित ध्यान

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया है और तब जाकर हमने १७० लाख टन कोयले के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है । इस लक्ष्य के अनुसरण में जो कदम उठाये जायेंगें उन्हें बड़े ध्यान से देखा जायेगा ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी प्रकार की असफलता न रहे ।

इसलिए तीसरी योजना के लिए मात्रा तथा कोटि, दोनों दृष्टियों से जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं वे वास्तविक और यथार्थ हैं । हमें आशा है कि हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होंगे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने उन कठिनाइयों का उल्लेख किया है जो कोयले के यातायात से देश के कतिपय हिस्सों में पैदा हुई है । यद्यपि मैं समय समय पर इस चीज का स्पष्टीकरण करता रहा हूं तथापि बारबार यही समझा जाता रहा है कि शायद मुझ और रेलवे मंत्री में कुछ विवाद है । वस्तुतः हमारे अंदर कोई मत वैमित्य नहीं है और इस मामले में पूरा एक मत है । सभी स्तरों पर दिन प्रतिदिन की स्थिति का सावधानी से अवलोकन किया जाता है और जो कुछ भी हो सकना संभव है वह सभी कुछ हम करते हैं ।

१९५६ में ४०० लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ । कुल कोयला जो भेजा गया उसकी मात्रा ३५५.२ लाख मीट्रिक टन थी। रेलवे के द्वारा ३३७.१ लाख मीट्रिक टन कोयला ढोया गया और दूसरे तरीकों से १८.१ लाख टन । १९६० में ५२६.१ लाख टन कोयला निकाला गया । इसमें से ३१.६ लाख टन कोयला रेलवे से भिन्न अन्य साधनों से बाहर भेजा गया । ज्यादातर कोयला ट्रकों में भेजा गया था । ४३१.७ लाख टन कोयला रेलवे ने ढोया । इसमें से कुल ४६३.३ लाख टन कोयला ढोया गया । इससे प्रकट है कि कोयले के संभरण में काफी तेजी से काम हुआ है ।

यह प्रगति तो टन भार की थी । डिब्बों के सम्बन्ध में भी काफी प्रगति हुई है । १९५६ में, बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र से ३४०५ माल डिब्बे बाहर गये जिनमें से १३६४ मुगलसराय के उत्तर की दिशा में गये । उसके बाद १९६१ में बंगाल बिहार क्षेत्र से ४६९३ डिब्बे लादे गये । इस वर्ष की दैनिक औसत ५९०२ रही जब कि १९५६ की दैनिक औसत ४२६५ थी । इस से प्रकट है कि काफी वृद्धि हुई है । किन्तु इस पर भी पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों को कठिनाइयां हैं । मेरा विचार है कि भविष्य में और भी हालत सुधर जायेगी क्योंकि औसतन २०० डिब्बों की वृद्धि की जानी है । जब कुछ कोयला समुद्र के मार्ग से जायेगा तो डिब्बे बचेंगे और इधर के राज्यों की आवश्यकताएं काफी हद तक पूरी हो सकेंगी ।

यह तो ठीक है कि यह स्थिति संतोषजनक नहीं किन्तु ऐसी स्थिति को एक ही दिन में तो हल नहीं किया जा सकता । हमें सब से पहले तो यह देखना चाहिए कि इस्पात कारखानों और अन्य संस्थापनों को आवश्यकतानुसार कोयला प्राप्त हो रहा है । हां, ईंटें बनाने के भट्टों को जरूर कोयले की कमी देखनी और सहनी पड़ती रही है । हमें भी उन के कष्ट का ज्ञान है । जब मुगलसराय से इधर की यातायात स्थिति सुधर जायेगी तब संभरण की सामूहिक स्थिति काफी सुधर जायेगी ।

जहां तक खानों के पास कोयले के भंडार का प्रश्न है उसके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यातायात की कठिनाई के कारण ऐसा होना अनिवार्य है । इस में सुधार करने की भी कोई बात सोचनी है । शायद ऐसे किया जाय कि पहले उत्पादन थोड़ा कम किया जाय और जब भंडार कम हो जायें तब उत्पादन को बढ़ा दिया जाय । इस स्थिति

[सरदार स्वर्ण सिंह]

का यह इलाज भी हो सकता है कि अनेक स्थानों पर कोयला इकट्ठा कर दिया जाय। इससे डिब्बे खाली हो कर आते जायेंगे और यातायात सुगम हो जायेगा। इस कारण सरकार इस चीज पर ध्यान दे रही है। राज्य सरकारों की पारस्परिक वार्ता के फलस्वरूप कुछ प्रगति इस दिशा में हुई भी है।

इस के बाद यह भी कहा गया है कि सारे देश में कोयले का एक समान मूल्य होना चाहिए। हमने इस बात पर बड़ी सावधानी से विचार किया है। अब भी थोड़ी राज सहायता भी दी जा रही है।

रेलवे मंत्रालय ने भी टेलीस्कोपिक भाड़े की दरें अपना रखी हैं। ज्यादा दूर कोयला ले जाने पर अतिरिक्त भाड़ा नहीं लगता।

किन्तु तब भी निकट भविष्य में भाड़े की समान दरें अपनाने की कोई गुंजायश नहीं है। इसमें अनेक प्रकार की व्यावहारिक और राजनीतिक बातें हैं। कुछ उद्योग जो खानों के निकट ही विकसित हुए हैं ऐसे हैं जिन्हें अब यह नहीं कहा जा सकता कि वह कोयले के लिए ज्यादा कीमत अदा करें। अतः इस मामले पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है और निकट भविष्य में कोयले के समान मूल्यों के होने की कोई संभावना भी नहीं दिखती।

अब मैं श्रमिक सम्बन्धों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। कोयले के क्षेत्र में उत्पादन संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति कदापि न हो सकती यदि श्रमिकों का सहयोग प्राप्त न होता। नियोजकों तथा श्रमिकों के सम्बन्ध सामान्य रूप से अच्छे ही रहे हैं।

इस्पात के बारे में माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं उनका उत्तर देने से पूर्व मेरी इच्छा यह है कि पहले मैं उन बातों का उल्लेख करूं कि दूसरी योजना में हम क्या कुछ कर सके हैं। यद्यपि इन सब बातों के तथ्यों का हमें पता है परन्तु मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि राउरकेला में कोक ओवन आदि भट्टियों के लिए अक्तूबर १९५६ में आर्डर दिये गये थे। भिलाई का आर्डर मार्च १९५६ में दिया गया था। दुर्गापुर का करार अक्तूबर, १९५६ में पूरा किया गया था। यह दूसरी योजना का प्रथम वर्ष था।

अब देखना यह है कि वास्तविक काम कितना हुआ और इस समय विकास की स्थिति क्या है? गत वर्ष मैं ने बताया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपना विस्तार कार्य लगभग पूरा कर लिया है और तीन नये इस्पात उपक्रमों में उत्पादन शुरू हो चुका है और काम संतोषजनक ढंग पर चल रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र का काम तो पूरा हो चुका है और आशा है कि वह उत्पादन को ठीक ढंग से करता ही जायगा। सरकारी क्षेत्र से भी निर्माण सम्बन्धी काम पूरा होने को है। भिलाई का कारखाना सिंटरिंग संयंत्र को छोड़ कर लगभग पूरा हो चुका है। राउरकेला में ब्लूमिंग मिल, स्लैबिंग मिल, प्लेट मिल और छड़ बनाने की मिल लगभग सभी तैयार हैं। दुर्गापुर में अभी धमन भट्टी पूरी होनी बाकी है। दो खुली भट्टियां वहां तैयार हो चुकी हैं। दुर्गापुर और राउरकेला में शेष एककों से इस वर्ष के मध्य तक उत्पादन शुरू हो जायगा। ६० लाख टन की उत्पादन क्षमता भी पूरी तरह से स्थापित हो जायगी। शायद तीनों कारखानों को निर्धारित उत्पादन करने में थोड़ी देर लगे। पर हमें आशा है कि अगले वर्ष इस समय तक हमारे शिक्षित कारीगरों का पूरा सहयोग हमें मिलने लगेगा।

अब मैं सभा को उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं । दूसरी योजना में हमने तीन इस्पात के कारखानों की स्थापना और गैर-सरकारी क्षेत्र के दो कारखानों के विस्तार का लक्ष्य बनाया था । योजना के प्रथम दो वर्षों में उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई क्योंकि एक ओर विस्तार का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा था और दूसरी ओर नये कारखानों की स्थापना की जा रही थी । इस कारण उत्पादन नहीं हो सका । सब से पहले अतिरिक्त उत्पादन १९५८–५९ में हुआ और उत्पादन की मात्रा १,९९,००० टन तक जा पहुंची जबकि योजना के प्रारंभ में उत्पादन इतना न था । १९५९–६० में ७,००,०६१ टन अतिरिक्त इस्पात का उत्पादन किया गया ।

†**श्री च० द० पांडे** (नैनीताल) : इस्पात का या लोहे का ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस्पात का उत्पादन अधिक हुआ है । वर्ष १९६०–६१ में १३,४३,००० टन इस्पात का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है । इस प्रकार कुल मिला कर २३ लाख टन का अधिक उत्पादन हुआ है । इस अतिरिक्त उत्पादन के कारण कुछ विदेशी विनिमय बचा भी है । इस अतिरिक्त उत्पादन का प्रयोग उन उपभोक्ताओं ने किया है जिन्हें कि इसकी बहुत आवश्यकता थी । अगर हमारा उत्पादन इसी रफ्तार से चलता रहा तो हम उतने इस्पात का आयात कम कर सकेंगे जो कि अब हम अपने देश में उत्पादन करने लगे हैं । अगर हमने यह मात्रा आयात की होती तो इसके लिये हमें १४० करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की जरूरत पड़ती ।

इस दौरान में जो अतिरिक्त कच्चा लोहा तैयार हुआ है उसके कारण भी २८ करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की बचत हुई है । इस प्रकार प्रारम्भिक अवस्था में भी हम इस्पात की मद में १४० करोड़ तथा कच्चे लोहे की मद में २८ करोड़ की विदेशी विनिमय बचाने में सफल हुए हैं । अतः ये आंकड़े ध्यान में रखने चाहियें क्यों कि कुछ लोग इन संयंत्रों की आलोचना करने लगते हैं और इसकी कठिनाइयां ही बताने लगते हैं ।

वर्ष १९६१–६२ के अनुमानित उत्पादन के बारे में भी मैं ने कुछ आंकड़े तैयार किये हैं । ऐसी आशा है कि द्वितीय योजना के शुरू में उत्पादन के जो आंकड़े थे उनकी अपेक्षा २३ लाख टन इस्पात का उत्पादन अधिक होगा । अन्दाज से कुल उत्पादन ३५ लाख टन होगा । इस्पात तथा कच्चे लोहे से अधिक उत्पादन के कारण १५० करोड़ के विदेशी विनिमय की बचत हो जायेगी । इस तरह तीसरी योजना के पहले वर्ष में विकास कार्यों के लिये काफी मात्रा में विदेशी विनिमय की बचत होगी ।

काफी सोच विचार के बाद तीसरी योजना में उत्पादन का लक्ष्य प्रतिवर्ष १०० लाख टन निर्धारित किया गया है । यह उत्पादन लक्ष्य तीनों संयंत्र तथा बोकारो में उत्पादित किये जाने वाले इस्पात को मिला कर निर्धारित किया गया है । निवेली के लिगनाइट के परिणामों को देख कर ही यह बताया जा सकता है कि दक्षिण में लिगनाइट कारखाना स्थापित करने की संभावना है । यह उत्पादन का लक्ष्य तीसरी योजना के अन्त का है । इस योजना के दौरान में हमारा उद्देश्य इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये प्रयत्न करना है ।

शुरू में कुछ लोगों ने कहा था कि इस्पात के इन संयंत्रों का इतना विकास करने की क्या आवश्यकता है क्यों कि हमारी आवश्यकतायें इतनी अधिक नहीं होंगी । लेकिन उपभोक्ताओं तथा

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

इस्पात के उपयोग करने वालों की मांगों को देखने के बाद पता चलता है कि यह लक्ष्य ठीक है। अतः अब सब लोग यह समझने लगे हैं कि यह लक्ष्य हमारे देश की आवश्यकताओं एवं मांगों के अनुकूल ही है।

वर्तमान तीनों संयंत्रों का विकास स्वाभाविक ही है। भिलाई दुर्गापुर तथा रूरकेला कारखानों में ब्लूमिंग मिल, स्लेबिंग मिल आदि लग गई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आशा है कि यह निरन्तर अधिक उत्पादन करने में समर्थ होंगी। और आज कल जो इकाइयां कम काम भी कर रही हैं वे भी भविष्य में अधिक काम करने लगेंगी और इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था ीक हो जायेगी। अतः व्यावहारिक, तथा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के इन तीनों संयंत्रों का विकास अच्छा है।

बोकारो में इस्पात संयंत्र डालने के बारे में गत वर्ष तक निश्चय नहीं हुआ था। अब इस के बारे में दृढ़ निश्चय कर लिय गया है। और इस ोजना का काम आगे बढ़ाने के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। माननीय सदस्यों द्वारा जो यहां सुझाव दि े जाते हैं उन पर मेरे द्वारा तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। एक माननीय सदस्य का कहना है यदि हम यह कार्य बहुत आसानी एवं बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन उन का ऐसा सोचना ठीक नहीं है।

इन परियोजनाओं के विस्तार का प्रश्न हमारे विचाराधीन है। इस सम्बध में हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स अच्छा कार्य कर रहा है। बोकारो के काम के बारे में अवश्य ही कुछ कहा जा सकता है लेकिन उस के बारे में भी पहिला प्रतिवेदन आ चुका है और इस विस्तृत प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा वहां कुछ काम भी शुरू हो गया है। वहां बस्ती बनाने के बारे में कुछ प्रबन्ध हो चुके हैं। वहां के लिये पानी और बिजली की व्यवस्था के बारे में हम बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

इन तीनों संयंत्रो के लागत मूल्य के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है। यह बात ठीक है कि इन का लागत मूल्य ३०० करोड़ से बढ़ा कर ६०० करोड़ हो गया है। यह व्यय इतना अधिक क्यों बढ़ गया है इस लिये यह आवश्यक है कि इस पर विचार कर लिया जाये। १९५६ तथा १९५७ में इन सयंत्रो के व्यय के बारे में जो आंकड़े दिये गये है उन में कारखानों के पास बस्तियां बनाने जमीन, खदानों तथा अन्य बहुत सी मदों की लागत सम्मिलित नहीं थी। १३ अगस्त, १९५७ को मैं ने बताया था कि रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर पर क्रमशः १७०, १३१ और १३८ करोड़ रु० व्यय होंगे। आखिर बस्ती बनाने आदि पर भी तो खर्च होता है। इन मदों पर अलग अलग से कितना व्यय हुआ यह आंकड़े तो हमारे पास नहीं हैं लेकिन इन सभी खर्चों को हम ने संयंत्रों के साथ जोड़ दिया है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि व्यय बढ़ गया है। संयंत्र के लिये प्रारम्भ में जो राशि रखी गई थी उस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। संयंत्रों पर किये जाने वाले व्यय के बारे में तो आंकड़े हम ने तैयार कर लिये हैं लेकिन अलग अलग मदों के आंकड़े तैयार नहीं हैं।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्तर इतना ही है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के आस पास बस्ती नहीं बनायी जाती। वैसे तो सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना के पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि टाटा की विकास योजनाओं पर जो व्यय हुआ है तथा सरकारी क्षेत्र में इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी पर जो व्यय हुआ है उस को देखने से यह स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र के तखमीने गैर-सरकारी क्षेत्र के तखमीने से कम है। मेरा तो उद्देश्य केवल यही बताना है कि हम ने शुरू में जो तखमीने लगाये थे उन में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। इन संयंत्रों पर व्यय करने के लिए शुरू में १२० करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। ये आंकड़े आज से ४ वर्ष पूर्व दिये गये थे उन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

दुर्गापुर के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से अभी दो या तीन दिन हुए तभी हमें प्रतिवेदन मिला है और हम उस की जांच कर रहे हैं। उन का अनुमान है कि इस संयंत्र पर १८६ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। ऐसा अनुमान था कि कुल ५६० करोड़ रुपये व्यय होगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह राशि अब ६०५ करोड़ रुपये है। व्यय की कुल वृद्धि लगभग ७ या ८ प्रतिशत है वह वास्तविक व्यय के आधार पर हुई है। यह तो मैं नहीं कहता कि वृद्धि नहीं हुई है। वृद्धि तो हुई है। इस वृद्धि की अच्छी तरह जांच की जायेगी और यह देखा जायेगा कि यह व्यय ठीक था अथवा नहीं तथा किन किन विभिन्न मदों के अन्तर्गत यह व्यय हुआ है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा।

मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह तखमीने बार बार बदल दिये गये थे। क्योंकि १९५६, १९५७ तथा १९५८ में बार बार यही आंकड़े दिये गये थे। अगर इन आंकड़ों में कुछ हेर फेर दिखाई भी गई है तो वह हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रथम प्रतिवेदन के बाद ही दिखाई गई है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि इन आंकड़ों को बार बार संशोधित किया गया था और किसी ने उस की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार का आरोप लगाना बिल्कुल गलत तथा न्यायसंगत नहीं है।

प्राक्कलन समिति ने रूरकेला के बारे में अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है। मंत्रालय तथा संयंत्रों के प्रतिनिधियों ने प्राक्कलन समिति को समझाने का प्रयत्न किया बाद में चल कर सरकार प्राक्कलन समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार करने अथवा उन को अस्वीकार करने के बारे एक वक्तव्य देती है। प्राक्कलन समिति ने जो भी आपत्तियां उठाई हैं उन से हमें लाभ ही हुआ है। उन आपत्तियों के बारे में यहां कुछ कहना ठीक नहीं है। यह बात ठीक नहीं है कि जब इन संयंत्रों के बारे में आंकड़े दिये गये थे तो अन्य मदों के आंकड़े तैयार नहीं थे। आंकड़े तो तैयार थे लेकिन विस्तृत रूप से तैयार नहीं थे। क्योंकि प्रायः बस्तियां बनाने, बिजली लगाने पानी आदि की व्यवस्था करने के बारे में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो उस में अन्त समय तक यह पता नहीं चलता कि कितना व्यय होगा। बस्तियों के बारे में कुछ अतिरिक्त व्यय हुआ करता है।

अब एक प्रश्न सामने यह आता है कि जब अतिरिक्त व्यय हुआ था तो उस की पूर्वानुमति क्यों नहीं ली गई थी। एक अच्छे प्रशासनकर्त्ता के लिये यह बड़ा कठिन काम है कि वह स्वीकृति मिलने तक काम को रोके रहे।

ऐसी परिस्थितियों में मेरा यही सुझाव है कि हमें तखमीनों पर अधिक जोर नहीं देना चाहिये। क्योंकि यदि तखमीने से अधिक खर्च करने पर बहुत जोर दिया गया तो उस से अधिक राशि के तखमीने बनने लगेंगे जो उचित नहीं होगा। हमारे तखमीने वास्तविक तखमीने हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव यह भी है कि हमारे तखमीने दृढ़ होने चाहियें ताकि प्रशासन करने वाले को सदैव ही अपनी स्थिति का आभास बना रहे।

श्री प्रभात कार (हुगली) : माननीय मंत्री ने कहा कि सदन में जो आंकड़े बताये जाते हैं उन का बहुत कठोरता से पालन नहीं किया जाना चाहिये।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा तात्पर्य यह नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता था कि सरकार की नीति यह है कि प्राक्कलन यथार्थवादी होने चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कहते हैं कि यदि प्राक्कलन के संबंध में अधिक कड़ाई बरती जायेगी तो प्राक्कलन बढ़ा चढ़ा कर बनने लगेंगे जो उचित नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं आप को और सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपने अधिकारियों को इस प्रकार के उदार प्राक्कलन नहीं बनाने देंगे और उन की जांच के मामले में पहले जैसी ही कड़ाई बरतते रहेंगे। यदि कोई अतिरिक्त व्यय होगा तो हम उन से स्पष्टीकरण देने के लिये कहेंगे। मैं इस प्रकार की आलोचना को बुरा नहीं कहता और यदि इस प्रकार की आलोचना की जाती है तो उस का उत्तर दिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा का तात्पर्य केवल इतना है कि प्राक्कलन वास्तविक व्यय से बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होने चाहियें ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस के लिये मैं समझता हूं कि वर्तमान प्रशासकीय प्रक्रिया ही अधिक अच्छी है जिस में प्राक्कलनों का कड़ाई से पालन कराया जाता है और अधिक व्यय होने पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य स्पष्टीकरण ही चाहते हैं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ये वृद्धियां, जैसा कि मैं ने संकेत किया है, ७ या ८ प्रतिशत तक ही हैं जो बहुत अधिक नहीं हैं । फिर भी यदि वे स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वह किया जायेगा ।

प्राक्कलनों के सम्बन्ध में इतना कहने के बाद में यह निवेदन करूंगा कि कुछ बातें स्थानीय महत्व की भी कही गई थीं तथा उन का निर्देशन करना अपने कर्तव्य पालन में चूक होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मुरारका ने कुछ विदेशी पत्रों के उद्धरण पढ़ कर सुनाए थे जिन में यह कहा गया था कि हमारे इस्पात संयंत्रों की स्थिति ठीक नहीं है तथा वे पनप नहीं सकेंगे ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समाचारपत्रों की कद्र करता हूं चाहे वे इस देश के हों अथवा अन्य देशों के । परन्तु समाचारपत्रों में प्रकाशित सभी बातें ठीक नहीं होती हैं और यदि उन के लिये हमें जिम्मेदार ठहराया जायेगा तो हमारे लिये बहुत कठिन होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को यह बताना चाहिये कि वह बात सच है या नहीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: कभी कभी विदेशी पत्रों में प्रकाशित बातों का प्रतिवाद करने में झुंझलाहट होती है । उदाहरण के लिए आजकल चीन के पत्रों में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं कि समस्त भारत हमारी नीति के विरुद्ध है । इस प्रकार के समाचारों के आधार पर कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वे एक विशेष उद्देश्य से प्रकाशित किये जाते हैं । जहां तक जर्मनी के पत्रों में प्रकाशित समाचारों का सम्बन्ध है वहां एक पत्र ऐसा है जिसमें सनसनीखेज बातें प्रकाशित हुआ करती हैं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वह पत्र कैसा है । माननीय मंत्री को केवल इतना बताना चाहिए कि प्रकाशित समाचारों में कितनी सच्चाई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सरकार से पत्रों में प्रकाशित समाचारों का प्रतिवाद करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए । मेरा निवेदन है कि यह समाचार इतना निराधार है कि उसका जिम्मेदार स्तर पर प्रतिवाद किया जाना आवश्यक नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह सभा को वास्तविक स्थिति बताये । यदि समाचार पत्रों में कोई बात प्रकाशित होती है तो माननीय मंत्री को यह बताना चाहिए

†मूल अंग्रेजी में

कि वह ठीक है या नहीं। पहले भी सभा में इस प्रकार की बातें कही जा चुकी हैं। दुर्गापुर में २० फीट के पाइल लगाये जाने थे परन्तु १० फीट के ही लगाये गये। उसी प्रकार रूरकेला में धमन भट्ठी के खराब हो जाने से उत्पादन पूरा नहीं हो सका। अतः यह आज कोई नई बात नहीं है।

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं इन सब का स्पष्टीकरण किये देता हूं। जहां दुर्गापुर के पाइलों का सम्बन्ध है, मैंने एक विस्तृत वक्तव्य दिया था और मेरा विचार था कि मैंने सभा को यह समझा दिया था कि उनमें खराबी थी और सम्बन्धित सार्थ से उसे दूर करने के लिए कहा गया था। जहां तक उत्पादन में कमी होने का प्रश्न है, उसके बारे में भी मैं बता चुका हूं और मंत्रालय के प्रतिवेदन में भी उसका उल्लेख है। मैं अथवा कोई भी व्यक्ति दोषों को छिपाना नहीं चाहता क्योंकि वैसा करने से उनका निराकरण नहीं हो सकेगा।

मेरा निवेदन है कि हमें समाचारपत्रों में प्रकाशित बातों के आधार पर कोई गलत धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। समाचार पत्रों को हमारे कार्य की आलोचना करने का अधिकार है यह ठीक है परन्तु वह आलोचना सदा बिल्कुल ठीक नहीं होती है। हो सकता है कि इस सार्थ के जर्मनी में कुछ विरोधी हों। जब कोई आलोचना प्रकाशित होती है तो हम उसके बारे में जांच कराते हैं और यदि कोई गलती होती है तो उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। उसकी सूचना सभा को भी दी जाती है। परन्तु यदि ऐसी आलोचनाओं के बारे में सभा में कुछ न कहा जाये तो सामान्यतः यही समझा जाना चाहिए कि वे गलत हैं। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य बहुत सतर्क रहते हैं और उनके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं और यदि कोई गंभीर बात होती है तो मेरा भी यह कर्त्तव्य होता है कि उसकी सुचना सभा को दूं।

जहां तक श्री मुरारका के निर्देश का सम्बन्ध है, वह 'डेली टैलीग्राफ' में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा कि कोलम्बो योजना मिशन ने यह कहा है कि यहां गुरिल्ला युद्ध चल रहा है। इस मिशन के नेता ने इन चीजों को देखने के पश्चात् मेरे साथ विस्तृत बातचीत की थी। उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे जिनकी जांच की जा रही है। उनमें से कुछ सुझाव क्रियान्वित भी किये जा चुके हैं। वह हमारे अनुरोध पर ही कार्यकरण की जांच करने आया था। उन्हें सुधार के लिए सुझाव पेश करने थे। डेली टैलीग्राफ में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उसे मैंने देखा नहीं है परन्तु मैं उसे अधिकृत विवरण नहीं मानता हूं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि न तो उनके प्रतिवेदन में यह बात कही गई है और न मेरे साथ बातचीत में उसका उल्लेख किया गया था।

फिर उन्होंने जर्मनी के समाचारपत्रों में प्रकाशित कुछ बातों का उल्लेख किया। यह ठीक है कि जर्मन समाचारपत्रों में भी कुछ आत्म आलोचना होती है। इसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि उससे कार्य में सुधार होगा। हम प्रत्येक बात का प्रतिवाद नहीं करना चाहता क्योंकि उससे भी उन पर कुछ दबाव पड़ेगा। मैं जानते हैं कि हमारा जर्मनी के साथ क्या समझौता है। ये सब बातें ठेके में सम्मिलित हैं और यदि कोई संयंत्र ठीक काम नहीं करेगा तो हिन्दुस्तान स्टील उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ठेके की बातों के सम्बन्ध में मेरे लिए ब्यौरे में जाना ठीक नहीं होगा। परन्तु मोटे तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि रूरकेला में अन्य संयंत्रों की तुलना में अधिक कठिनाइयां हैं। स्वयं हिन्दुस्तान स्टील के प्रतिवेदन में इसका उल्लेख है। मुझे खुशी है कि अनेक सदस्यों ने उस प्रतिवेदन से उद्धरण पेश किये हैं। इससे मालूम होता है कि वह प्रतिवेदन बहुत निष्पक्ष है क्योंकि उसमें ऐसी बातें भी सम्मिलित हैं जो उनके पक्ष में नहीं हैं। परन्तु खेद है कि माननीय सदस्य उन्हीं पंक्तियों पर ध्यान देते हैं जिनमें किसी दोष का संकेत होता

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

है तथा उसके आगे की पंक्तियों को छोड़ देते हैं जिनमें उन बातों का स्पष्टीकरण किया गया होता है । मेरा निवेदन है कि हमें पूरे प्रकरण को पढ़ कर ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, अन्यथा नहीं ।

फिर दक्षिण के सदस्यों---श्री मुहम्मद इमाम, श्री सुब्रमण्यम और श्री थानू पिल्ले---ने तीन बातें कही हैं । उनमें से एक सिंगरेनी के सम्बन्ध में है । श्री त० ब० विट्ठल राव ने भी उसका उल्लेख किया । सिंगरेनी से अतिरिक्त उत्पादन ३० लाख टन है और वह उन के साथ परामर्श करके ही निर्धारित किया गया है । यह ठीक है कि यदि उनसे अथवा मध्य भारत की अन्य खानों से अधिक उत्पादन होने लगे तो दूरस्थ क्षेत्रों की वहन की दूरी कम हो जायेगी । इस दृष्टि से हम यह जांच कर सकते हैं कि क्या उन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

कुछ सदस्यों ने दक्षिण में कच्चे लोहे के संयंत्र अथवा इस्पात संयंत्र की स्थापना का सुझाव दिया । मैं इसके बारे में अनेक बार स्थिति समझा हूं अतः पुनः सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं । फिर भी मैं यह दोहरा देना चाहता हूं कि यदि निवेली लिगनाइट के परीक्षण सफल हुए तो दक्षिण में एक कच्चे लोहे के संयंत्र की स्थापना की जा सकेगी । इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश से भी मांग आई है और उसकी जांच की जा रही है तथा यदि वहां का लौह अयस्क उचित किस्म का हुआ और सिंगरैनी के कोयले का उपयोग किया जा सकेगा तो मैं ऐसे अधिकाधिक संयंत्र खोलना चाहूंगा ।

यद्यपि हमारे लोहे के संसाधन बहुत हैं परन्तु धातुकार्मिक कोयला देश के समस्त भागों में उपलब्ध नहीं है और बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना भी सीमित संख्या में ही की जा सकती है । परन्तु फिर भी यदि उपलब्ध स्थानीय संसाधनों को बंगाल-बिहार क्षेत्र से धातुकार्मिक कोयला लिए बिना उपयोग में लाया जा सके तो इस दिशा में हमें प्रयत्न करना चाहिए । दक्षिण में कच्चे लोहे का उत्पादन करने वाला एक छोटा संयंत्र कोयम्बटूर में पहले ही मौजूद है । एक हमने चांदा के लिए मंजूर किया है जो महाराष्ट्र में है और बिहार-बंगाल की मुख्य पट्टी से बहुत दूर है ।

इसी प्रकार श्री रामकृष्ण गुप्त ने महेन्द्रगढ़ की मांग पेश की । वहां भी लौह अयस्क उपलब्ध है परन्तु कोयले का प्रश्न है । भिलाई अथवा किसी अन्य भाग से कोयला मंगा कर उसको पिघलाने की संभावना की भी जांच की जा सकती है । उद्यमियों को योजनायें पेश करनी चाहिएं और यदि वे आर्थिक एवं प्रविधिक दृष्टि से संभव होंगी तो हम देश के समस्त भागों में छोटे संयंत्र स्थापित करना चाहेंगे । इन संयंत्रों को छोटा कहा जाता है परन्तु एक लाख टन की क्षमता के कच्चे लोहे के संयंत्र में भी लगभग छै या सात करोड़ रुपये की लागत लगती है । इस प्रकार के बड़े संयंत्रों के मुकाबले में ही छोटे हैं अन्यथा वे काफी बड़ी परियोजनायें हैं । उदाहरण के लिए भद्रावती में ३०,००० से ३५,००० टन प्रति वर्ष उत्पादन हो रहा है । इस प्रकार एक लाख टन की कच्चे लोहे की क्षमता वाला संयंत्र भी काफी बड़ा है और यदि देश के विभिन्न भागों में ऐसे बहुत से संयंत्र हो जायें तो न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा वरन् उद्योग का चारों ओर विभाजन भी हो जायेगा ।

जहां तक भद्रावती का सम्बन्ध है, प्रबन्धकों द्वारा उसकी क्षमता १ लाख टन बनाने के लिए व्यवस्था की जा चुकी है । भारत सरकार उसे विशेष किस्म के इस्पातों और एलाय इस्पातों का उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है । कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था । हमने निर्धारण कर लिया है और यहां भी यह कहा जा चुका है कि विशेष किस्म के इस्पातों के उत्पादन के लिए दुर्गापुर में स्थापित किये जाने वाले संयंत्र के

अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी उनके उत्पादन की क्षमता हो सकती है और भद्रावती को उनके उत्पादन के लिए अवश्य ही प्रोत्साहन दिया जायेगा। मैंने भद्रावती के सम्बन्ध में ठोस प्रस्ताव मांगे हैं और उनके प्राप्त हो जाने पर हम विशेष इस्पातों के उत्पादन के लिए कदम उठायेंगे।

फिर मैं इस्पात के कंट्रोल के प्रश्न को लूंगा। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अपने समस्त भाषण में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के कार्यकरण पर प्रकाश डाला है। यह भाषण कुछ समय पूर्व अधिक उपयुक्त रहा होता जब कि संभरण सामान्यतः कम था। उन्होंने आयात लाइसेंसों और आयोजन पर जोर दिया। मुझे विश्वास है कि जहां तक संभरण की स्थिति का सम्बन्ध है, कुछ चीजों को छोड़कर अब कमी भूतकाल की चीज रह गई है। शेष चीजों के सम्बन्ध में हमारी नीति कंट्रोलों को ढीला करने की है। हो सकता है कि ब्यौरे की बातों के सम्बन्ध में कुछ वास्तविक कठिनाइयां हों परन्तु उनका निराकरण कराने का स्थान अन्यत्र है। इस प्रयोजन के लिए हम ने दो समितियां नियुक्त की हैं——लोहा तथा इस्पात मंत्रणा समिति और उसकी एक उप-समिति। इन में उपभोक्ता, व्यापारी और उत्पादक सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तथा उप-समिति के सभापति इस्पात नियंत्रक हैं। मैं माननीय सदस्य के टिप्पण लोहा तथा इस्पात नियंत्रण के पास भेज दूंगा और मुझे विश्वास है कि यदि कोई वास्तविक कठिनाइयां होंगी तो उनकी जांच की जायेगी।

रिरोलिंग मिलों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया था। मैंने यह घोषणा की थी कि छोटी रिरोलिंग मिलें बिना लाइसेंस के भी चलाई जा सकेंगी। हम इसके बारे में जांच करा रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में बड़ी रिरोलिंग मिलें हैं उनकी क्षमता पर्याप्त है अथवा नहीं। यदि हम देखेंगे कि कुछ नई मिलों की मंजूरी देना आवश्यक है तो हम वैसा अवश्य करेंगे।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** (पाटन) : गुजरात में कोई रिरोलिंग मिल नहीं है अतः क्या माननीय मंत्री इस संबंध में गुजरात का विचार करेंगे?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : गुजरात में रिरोलिंग मिलें हैं——बड़ौदा और भावनगर में। फिर भी नए प्रस्तावों की जांच की जा रही है और यदि किन्हीं क्षेत्रों में उनकी कमी महसूस की जाएगी तो हम नई मिलों की मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं ने इस्पात कंट्रोलर के कार्यालय के सम्बन्ध में दो आपत्तियां उठाई थीं जिन के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता । एक तो यह कि इस्पात के पदार्थों से भरा हुआ पूरा जहाज इस देश में आया, जो कि अनआ राइज्ड तरीके से आया। इस्पात कंट्रोलर के होते ए उसे कैसे आथराइज किया गया? दूसरी चीज यह कि मैं ने एक ऐसी फर्म की चर्चा की थी जिस ने २ या ३ लाख रु० से अपना कारोबार शुरू किया और दो साल के अन्दर उस ने १४ करोड़ रु० का कारोबार किया। इस के सम्बन्ध में भी मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ जानकारी दी जाय।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे विचार से एक जहाज भर सामान चोरी से लाए जाने की बात ऐसी है जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। मैं घड़ियों अथवा सोने की चोरी से लाए जाने की बात तो मान सकता हूं। परन्तु यह बात विश्वसनीय नहीं है कि एक भरा हुआ जहाज लाया जाय और उसका पता न लग सके। परन्तु चूंकि माननीय सदस्य ने सभा में यह बात कही है इसलिए मैं उसके बारे में जांच करूंगा और यदि कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उचित कार्यवाही की जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

दूसरी बात लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में व्यक्त किए गए विचारों के संबंध में है। मैं उसके संबंध में अंतिम उत्तर देने के पूर्व उसकी भली प्रकार छानबीन करना चाहूंगा। मैं बहुत खराब स्थिति में हूं क्योंकि जिस समय इस सार्थ को ब्लैक लिस्ट में सम्मिलित किया गया बताया जाता है उस समय मैं निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री था और उसी समय में उसे व्यादेश दिए गए। यह बात वर्ष १६५६ के आस पास की है। जैसे ही लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ मैंने स्वयं उसके बारे में जांच की थी और जो सूचना मैं अभी तक एकत्रित कर सका हूं वह मैं सभा को बताना चाहूंगा।

मुख्य आरोप यह है कि व्यादेश एक ऐसे सार्थ को दिए गए जिसके मुख्य सार्थ को ब्लैक लिस्ट में सम्मिलित किया गया था। जिस संबद्ध सार्थ का व्यादेश दिए गए थे वह ब्लैक लिस्ट में नहीं था और चूंकि उस समूह के अनेक सार्थों को ब्लैक लिस्ट में सम्मिलित किया गया था तथा वह संबद्ध सार्थ उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था इसलिए लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्य को अनुचित नहीं कहा जा सकता यदि उन्होंने उस सार्थ से खरीद बन्द नहीं की।

आरोप का दूसरा भाग यह है कि बाद में उस सार्थ के ब्लैक लिस्ट में सम्मिलित कर लिए जाने पर भी उसे कुछ व्यादेश दिए गए। यह ऐसी बात है जिसके संबंध में जांच की जाने की आवश्यकता है। परन्तु प्रारंभिक छानबीन से मालूम हुआ है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में भी ऐसे दस मामलों का उल्लेख है जिनमें लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को ब्लैक लिस्ट किए जाने की सूचना दिए जाने के बाद भी व्यादेश दिए गए थे। इन दस में से सात मामलों में टेंडर की स्वीकृति का पत्र भेजा जा चुका है। कहना नहीं होगा कि वह स्वीकृति अंतिम है और बाद की कार्यवाहियां केवल औपचारिक हैं।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** (पुदुकोटै) : जब उस फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था तो उसे टैंडर कैसे जारी किया?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जब उस फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था तब उसे कोई टैंडर नहीं जारी किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक दम तो किसी को ब्लैक लिस्ट नहीं कर दिया जाता है। उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। प्रश्न यही उठता है कि जब किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही हो रही हो तो उसको टैंडर किस प्रकार जारी कर दिया गया?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश उसको नहीं दिए गए थे क्योंकि ब्लैक लिस्ट करना कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है। केवल उस फर्म के साथ हमारा लेन देन बन्द हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारी केवल एक आदेश दे देता है कि उस फर्म के साथ लेन देन न किया जाय।

ब्लैक लिस्ट करने के आदेश लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा जारी किए जाते हैं जब कि टैंडर आदि जारी करने का काम संभरण मंत्रालय का है। प्रश्न यही उठता है कि जब किसी फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का प्रस्ताव लोहा तथा इस्पात मंत्रालय के विचाराधीन है तो संभरण मंत्रालय को इसका किस प्रकार पता लग सकता है। इसके विपरीत संभरण मंत्रालय यदि कोई काम कर रहा है तो इस्पात मंत्रालय को उस काम के बारे में जानकारी किस प्रकार होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने इस बात का उल्लेख इस कारण किया है कि मामला यहां का पर उठाया गया है । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को लोक लेखा समिति के सामने उठाया जाना चाहिए था । परन्तु जब इसको यहां पर उठाया गया है तो मैं ने यह उचित समझा कि सभा को ठीक स्थिति से अवगत करा दूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतादान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८३	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय. . .	३६,४८,०००
८४	भूतत्वीय सर्वेक्षण	२,९०,७५,०००
८५	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . .	३७,१९,५१,०००
१३२	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	७२,१६,९१,०००

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

वर्ष १९६०–६१ के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३७	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . .	६८,१७,०००
३८	वन	८८,३८,०००
३९	कृषि	३,९४,०३,०००
४०	कृषि अनुसंधान	५,७३,४९,०००
४१	पशु-पालन	९९,४२,०००
४२	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . .	१०,६९,४६,०००
१२१	वनों पर पूंजी व्यय	५,३२,०००
१२२	खाद्यान्नों का क्रय	१,९७,३८,०१,०००
१२३	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	४८,९४,४५,०००

†श्री वें० प० नायर (क्विलोन) : श्रीमान्, आरंभ में ही मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इस सत्र में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे और उनके जो उत्तर मुझे मिले उनसे मेरी संतुष्टि नहीं हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सबसे पहले पी० एल० ४८० के अधीन किए गए समझौते को लीजिए । मैं यह समझता हूं कि यह समझौता बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कुछ उद्धरण खाद्य तथा कृषि की स्थिति १९६० पुस्तक से देता हूं जो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने प्रकाशित की है । उसमें बताया गया है कि अमरीका में बहुत सा गेहूं इकट्ठा होता जाता है क्योंकि वहां पर उसकी खपत नहीं हो पाती है । इसलिए १९६० के पूर्वार्द्ध में यह समझौता किया गया था कि चार वर्ष की अवधि में अमरीका भारत को १६० लाख टन गेहूं तथा १० लाख टन चावल दे ।

इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि अमरीका ने भारत को खाद्यान्न सहायता देने के उद्देश्य से नहीं दिए हैं अपितु इस उद्देश्य से दिए हैं कि फालतू गेहूं को बेचने की समस्या हल हो जाये ।

अब प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि इस समस्या को हल करने के लिए भारत को ही क्यों चुना गया । इसका उत्तर भी इसी प्रतिवेदन में दे दिया गया है । वह यह है कि अमरीका से गेहूं का निर्यात करने वालों ने इसका निर्यात बिल्कुल बन्द कर दिया था और उनको केवल एक यही देश दिखाई देता था । इसीलिए मैं समझता हूं कि विशेष शर्तों पर भारत को गेहूं इसीलिए दिया गया है जिससे अमरीका की फालतू गेहूं की समस्या हल हो जाये ।

यह गेहूं परिवहन व्यय समेत ३३० रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा गया था । इसमें १४० रुपये प्रति टन ऋण, १४० रुपये प्रति टन अनुदान तथा ५० रुपये अमरीकी दूतावास तथा अमरीकी गैर सरकारी व्यवसाय के लिए थे अर्थात् ४२$^1/_2$ प्रतिशत ऋण, ४२$^1/_2$ प्रतिशत अनुदान तथा १५ नये पैसे दूतावास तथा गैर-सरकारी व्यवसाय के लिये थे । यदि ४२$^1/_2$ प्रतिशत ऋण पर ४$^1/_2$ प्रतिशत सूद लगाया जाये तो पता लगता है कि ४० वर्ष में यह ४$^1/_2$ प्रतिशत धन ९२ प्रतिशत हो जाता है । यदि हम इसी प्रकार गणना करें तो स्पष्ट हो जाता है कि ३३० रुपये प्रति टन गेहूं खरीदने पर अमरीका को ३१९ रुपये प्रति टन मिल जाते हैं जब कि आस्ट्रेलिया हमको ३०५ रुपये प्रति टन गेहूं देने को तैयार है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री कृपा करके हमें बतायें कि उन्होंने अमरीका से गेहूं लेने का क्या लाभ देखा । हमने कृषि कार्यक्रमों पर १५०० करोड़ रुपये व्यय कर दिये । ३० प्रतिशत से ६७ प्रतिशत खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा लिया और अब ३० से ४० प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य बना लिया । जिसके द्वारा १००० लाख से १०५० लाख टन उत्पादन बढ़ जायेगा । मैं नहीं जानता कि ऐसा होने पर भी सरकार को किन कारणों से यह १८० लाख टन गेहूं आयात करने की जरूरत महसूस हुई । मेरा अपना विचार है कि इतनी मंहगी दरों पर अमरीका से इतना गेहूं खरीदने से हमारे किसानों का उत्साह नष्ट हो जायेगा और कृषि उत्पादन बढ़ाने के सिलसिले में हमारे अधिकारी आत्मतुष्ट हो जायेंगे ।

पशु पालन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा २०,००० रुपये का विनियोजन करने का विचार है परन्तु हमने मत्स्यपालन समेत पशु पालन पर केवल ५० करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी है । १९५६ की पशुगणना के अनुसार हमारे देश में ३००० लाख पशु हैं, १००० लाख मुर्गियां हैं । परन्तु दूध बहुत ही कम मिलता है । हमारी वर्तमान गायों की अब ऐसी हालत है कि एक औंस दूध निकालने के लिए उसको मारा पीटा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में गायों के दूध का औसत प्रति ऋतु उत्पादन १६० किलोग्राम है जब कि पाकिस्तान का ६१३ किलोग्राम, मलाया का ५२० किलोग्राम, नीदरलैंड्स का ४,०४० किलोग्राम, तथा इज़रायल का ४,१६० किलोग्राम है। हम गायों की केवल पूजा करते हैं, न उसे खिलाते हैं और न ही ऐसा कोई प्रयत्न करते हैं जिससे वह अधिक दूध देने लगे ।

मांस का भी यही हाल है। १६३६ में दैनिक भोजन में मांस के ११ कैलोरीज होती थी जो अब १६६० में ६ कैलोरी हो गई हैं। पाकिस्तान में यह कैलोरीज़ ११ से २४ हो गई हैं। अण्डे में भी हम १ कैलोरी रोज़ लेते हैं जब कि इज़रायल में ७७ तथा अमरीका में ८० ली जाती हैं । सरकार से पूछे जाने पर वह इसके हमें तीन कारण बताती है । पहला पशुओं का कमजोर होना। दूसरे इनको चारा ठीक न मिलना तथा तीसरे इनकी उचित देखभाल न होना। सरकार ने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा २ करोड़ पशुओं की देख भाल करने के लिए गोशालायें, गोसंवर्द्धन योजनायें बनाई हैं और इस प्रकार उसका विचार १ करोड़ रुपये प्रति दिन व्यय करने का है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना ठीक होगा ? मैं तो समझता हूं कि सरकार को साहस से काम लेना चाहिए और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताये गये सुझाव के अनुसार गाय के मांस को सुखा कर निर्यात करना चाहिए जिससे कुछ विदेशी मुद्रा मिल सके। राष्ट्र के विकास के लिए भावनाओं को दूर रखने की आवश्यकता है ।

हमारे देश में पशुओं का बड़ा महत्व है और ६० प्रतिशत किसान अपनी खेती बैलों के द्वारा ही करते हैं। परन्तु मुझे यह बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि देश के ५० प्रतिशत पशुओं के खाने के लिए भी चारा उपलब्ध नहीं है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि कृपा करके इस ओर ध्यान दें ।

सरकार ने मत्स्यपालन की ओर भी ध्यान नहीं दिया है। समुद्र तट से कुछ मील समुद्र में जाने पर ही आपको बिना किसी प्रयत्न के बहुत मछली मिल सकती है। परन्तु अफसोस है कि हमारे देश का २,६०० मील लम्बा तट होने पर भी केवल ४० लाख रुपया ही समुद्र से मछली पकड़ने के लिए आवंटित किया गया है। दूसरी योजना में भी अन्य मशीनों पर तना धन व्यय किया गया परन्तु मछली पकड़ने का जहाज नहीं खरीदा गया ।

मैं जानता हूं कि तट के निकट मछली पकड़ने के बारे में बहुत प्रगति की गई है। मत्स्यपालन टैक्नालाजी की केन्द्रीय संस्था में मछली पकड़ने के गीय, टैकल, क्राफ्ट बनाये गये हैं। मंडपम के मैरीन रिसर्च इस्टीट्यूटने भी बड़ा अच्छा काम किया है। परन्तु मुझे पता लगा है कि इस संस्था के वैज्ञानिकों को समुद्र में नहीं जाने दिया जाता है । मेरा माननीय मंत्री से सुझाव है कि वह वैज्ञानिकों को समुद्र में जाने की अनुमति दे जिससे वह लोग नवीनतम आंकड़े इकट्ठे कर सकें। योजना आयोग से ५० करोड़ रुपये का अनुदान मांगें जिससे समुद्र से मछली पकड़ने का काम बढ़ाया जा सके।

श्रीमान् भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् एक रजिस्टर्ड समाज है। इस पर करोड़ों रुपये व्यय किये जाते हैं परन्तु अफसोस है कि कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है । यह पूछे जाने पर कि इस परिषद् में नारियल पर कब गवेषणा हुई थी, उत्तर मिलता है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। यह संस्था इस प्रकार काम कर रही है। मेरा सुझाव है कि इस संस्था को मंत्रालय में मिला देना चाहिए और इसका मुख्य पदाधिकारी कोई वैज्ञानिक होना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि पशु पालन तथा मत्स्यपालन के कार्यक्रम में परिवर्तन करें।

[श्री वें० प० नायर]

सरकार को सूअरों के विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं कि सूअर जल्दी जल्दी बच्चे देता है। इसलिये यदि इसमें रुपया लगाया जाय तो शीघ्र ही वह रुपया वापस मिल सकता है। मंत्री महोदय को सूअर की इस प्राकृतिक प्रकृति का लाभ उठाना चाहिए।

†श्री शंकर पांडियन (टंकासी) : उपाध्यक्ष महोदय यह बताया गया है कि इस वर्ष हमारे खाद्यान्नों का उत्पादन ७५० लाख टन हो जायगा। हमें इसकी प्रसन्नता है। परन्तु इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि पहली योजना के आरम्भ में हमें बताया गया था कि सरकार का उद्देश्य देश को खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने का है। अब दूसरी योजना भी समाप्त हो गई है परन्तु वह उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। अतः हमें अपनी योजनाओं का पुनः परीक्षण करना चाहिए।

भारतीय खाद्य समस्याओं के बारे में फोर्ड फाउन्डेशन ने यह कहा है कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का बहुतायत से प्रयोग किया जाना चाहिए। परन्तु उर्वरकों का सीमित उत्पादन होने के कारण इनका प्रयोग कम होता है। हमें प्रयत्न करना चाहिए जिससे तीसरी योजना के अन्त तक पर्याप्त उर्वरक देश में उत्पन्न होने लगें। इसके साथ साथ विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से मेरा यह भी अनुरोध है कि जब तक भारत में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक इसका आयात करने के लिए सहायता दें। सरकार को यह भी प्रयत्न करना चाहिए, कि देश में उर्वरकों के मूल्य कम कराये जिससे किसान आसानी से इनका प्रयोग कर सकें।

सरकार को यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि किसानों को अपनी उपज के न्यूनतम मूल्य मिल जायें। मैं समझता हूं कि सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। परन्तु मैं नहीं जानता कि अब तक उन्होंने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया है।

अमरीका, कनाडा आदि देशों में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था बनाये रखने के लिए भाण्डागारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। परन्तु मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया है। किसान को न्यूनतम मजूरी दिलाने के लिए भाण्डागार बनाने नितान्त आवश्यक हैं।

किसानों को खेती के आधुनिक तरीके बताये जाने चाहिए। उन्हें उर्वरकों के प्रयोग की, कीटाणुओं को मारने की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करके वहां की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

मैंने सुना है कि अखिल भारतीय कृषि औजार समिति ने यह सिफारिश की है कि किसानों को सुधरे हुए औजार दिए जायें। मेरा सुझाव है कि इन सुधरे औजारों के निर्माण की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए जिससे किसानों को सस्ते मूल्य पर मिल सकें।

मुझे खेद है कि सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में कोई समान नीति नहीं बनाई है। प्रत्येक राज्य अपनी अपनी समझ के अनुसार काम कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा फार्मूला बना रही है जिसके द्वारा समान रूप से अधिकतम सीमा निर्धारित हो सके।

मेरा अन्त में यही कहना है कि छोटे किसानों को छोटे हाथ से चलाये जाने वाले ट्रैक्टर दिये जाने चाहिए जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में अधिक वृद्धि हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामी रेड्डी (कड़पा) : मैं आरम्भ में मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश में एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर दिया है कि खाद्यान्नों की कमी होने की आशंका जनता को नहीं रही है ।

पर्याप्त भांडार इकट्ठा कर लिए गए हैं और गेहूं के खण्ड समाप्त कर दिये गये हैं । हमें आशा है कि चावल के खण्ड भी समाप्त कर दिये जायेंगे । परन्तु ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि इससे हमारी सभी कठिनाइयां दूर हो गई हैं क्योंकि अभी तो प्रति वर्ष ५० लाख टन खाद्यान्नों का आयात सरकार कर ही रही है ।

पिछले दो तीन वर्षों में तिलहन, रुई तथा जूट का उत्पादन भी नहीं बढ़ा है । मेरा यही सुझाव है कि खाद्यान्नों आदि का उत्पादन बढ़ाने का काम आपतकालीन स्थिति में होने वाले काम के समान होना चाहिए क्योंकि हाल की जनगणना से मालूम हो चुका है कि हमारे देश की जनसंख्या पहले से बहुत बढ़ गई है । यदि सरकार उर्वरकों को लागत मूल्य पर बेचे तो उसकी कीमत ३०० रुपये प्रति टन से अधिक नहीं हो सकती है । तथापि सरकार उसे ३८० रुपये प्रति टन बेच रही है । इस प्रकार सरकार का ५० रुपये प्रति टन का लाभ लेना तथा राज्य सरकारों को ३० रु० प्रति टन लाभ लेने की अनुमति देना अनुचित है ।

सरकार को इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये कि किसानों को उर्वरक कम मूल्य में उपलब्ध हो ।

राज्यों को उर्वरक उन की मांग के आधार पर दिये जाते हैं । मेरे विचार से इस के स्थान पर राज्यों को उन की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही उर्वरक दिये जाने चाहियें ।

यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्रालय किसानों को उपकरणों के हेतु लोहा और इस्पात का संभरण करने में समर्थ हो गया है । तथापि उन्हें उक्त इस्पात वास्तविक आवश्यकता के आधार पर दिया जाना चाहिये ।

यह हर्ष का विषय है कि छोटे पैमाने की सिंचाई के संबध में जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा हो गया है । तथापि इस ओर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाये । सरकार को चाहिये कि जहां साधारण कुएं नहीं बन सकें वहां नलकूप खोदे जायें ।

खाद्यान्नों के परिवहन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है अतः इस ओर सरकार को आवश्यक ध्यान देना चाहिये । अभाव वाले क्षेत्रों को खाद्यान्नों का यातायात करने के लिये और अधिक मालगाड़ी के डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अनुदानों पर बहस के अवसर पर मैं इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि १४ वर्षों के बाद भी अभी तक खाद्यान्न के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है ।

अभी हमारे मित्र श्री नायर ने पी० एल० ४८० के समझौते की बात उठाई थी । मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि वह समझौता कहां तक वाजिब है । लेकिन उस का महत्व इस दृष्टि से है कि आज इतने साल बीत जाने पर भी इस देश में चार वर्ष के अन्दर १ करोड़ ७० लाख टन गल्ला ७ अरब रुपये की लागत से अमरीका से मंगाया जायेगा । उसी के साथ साथ यूनाइटेड अरब रिपबलिक, श्याम, कैनाडा, बर्मा और दूसरे मुल्कों से भी देश के अन्दर गल्ला मंगाया जा रहा है । इस का सीधा मतलब यह है कि गल्ले के मामलों में जो आत्मनिर्भरता हम को इन पिछले १४ वर्षों के अन्दर प्राप्त कर लेनी चाहिये थी, वह आज तक प्राप्त नहीं हो पायी है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक बेसिक इंडस्ट्रीज की मशीनों के बनाये जाने का सवाल है, उन को भी अभी तक हम बनाने की हालत में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० ना० सिंह]

नहीं हैं। लेकिन फिर भी अपने उद्योगों के लिये जो कच्चे माल की आवश्यकता है, कृषि के द्वारा जो कच्चे माल के देने का सवाल है उस कच्चे माल को भी हम इस देश में पूरे तौर से पैदा नहीं कर रहे हैं। पिछले साल ६ लाख गांठ रूई की अमरीका से मंगाने की बात हुई और वह मंगाई गई। इस स्थिति को देखते हुए मैं सरकार के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि जब तक कृषि और खाद्य के सम्बन्ध में वह मौलिक रूप से अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगी तब तक वह इस खाद्यान्न की समस्या को हल नहीं कर सकेगी। इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी जमीन नीति के सम्बन्ध में फैसला करना पड़ेगा। इस के साथ ही सरकार को किसानों के सम्बन्ध में अपनी दाम नीति तथा कर नीति के सम्बन्ध में भी फैसला करना पड़ेगा।

जहां तक जमीन नीति का ताल्लुक है यह जमीन के मालिकाने से मध्यवर्तियों के खत्म करने के प्रश्न को अभी भी पूरे तरीके से हल नहीं किया जा सका है। सन् १९६० और ६१ की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अभी तक यह हल नहीं हो पाया है। अभी तक असम, गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास के राज्यों में मध्यवर्तियों की पूरे तोर से समाप्ति नहीं हुई है। अभी तक उन राज्यों में मध्यवर्ती पड़े हुए हैं। जो खेतीबाड़ी करे जमीन उस के हाथ में जाय, यह सिद्धान्त पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है। अभी भी हजारों बीघा जमीन के बड़े मालिक पड़े हुए हैं। जहां पर कि आप ने मध्वर्तियों को खत्म करना चाहा वहां पर भी जबरदस्ती बेदखली के द्वारा जमीन उन के हाथ से निकाल ली गई जो कि जमीन को जोतते और बोते थे और वह ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गई जो कि अपने हाथ से मेहनत नहीं करते।

यह लैंड की सीलिंग का सवाल बहुत अर्से से चल रहा है लेकिन उसके सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति सरकार अभी तक नहीं बना पाई है। देश की पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में हम को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि खेतीबाड़ी का काम जो लोग खुद अपने हाथ से करते हैं वही इस देश की पैदावार को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। लैंड पर सीलिंग किये जाने का सवाल बहुत अर्से से चल रहा है लेकिन अभी तक ठीक तरीके से इस सम्बन्ध में कार्य नहीं हो पाया है। इस के सम्बन्ध में ठीक नीति नहीं अपनाई जा रही है। अभी भी लोगों के हाथों में हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है फिर भी जमीन के बंटवारे का प्रश्न ठीक तरीके से नहीं चल रहा है।

उत्तर प्रदेश में ५ आदमियों के परिवार पर ४० एकड़ की सीलिंग की गई है और ८ आदमियों के परिवार पर ८० एकड़ की सीलिंग की गई है। दिल्ली में २५ या ३० एकड़ पर सीलिंग होती है। दूसरे सूबों में दूसरी तरह की बात हो रही है। यह आवश्यक है कि लैंड सीलिंग के विषय में एक स्पष्ट नीति हो। लैंड सीलिंग के सवाल को जितनी तेजी से तय करना चाहिये उतनी तेजी से सरकार तय नहीं कर पाई हैं।

इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जहां तक सरकार की दाम नीति का सवाल है वह नीति स्पष्ट नहीं है। जब तक कृषि के उत्पादित पदार्थों के दाम के सिलसिले में सरकार ठीक फैसला नहीं लेगी तब तक कृषि के उत्पादन को बढ़ाना सम्भव नहीं हो पायेगा। कुछ कृषि पदार्थों के दामों में वृद्धि होने का नतीजा यह हुआ कि लोगों को पैदावार को बढ़ाने में दिलचस्पी पैदा हुई। हमारे मित्र श्री शिब्बन लाल सक्सेना ऊख के दाम के मामले में सदन को बतलायेंगे। अब मैं आप को बतलाऊं कि हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा यह मांग करने पर कि उन को २ रुपया मन ऊख का दाम मिले और जो कि उनको आज से ७–८ वर्ष पहले मिलता भी था, बजाय वह दाम देने के, इस पर कैबिनेट में एक डिप्टी मिनिस्टर साहब के चीनी के कारखाने पर गोली चलाई गई और जिस के कि फलस्वरूप गोरखपुर में दो किसान गोली से मारे गये। मैं चाहता हूं कि इस दाम नीति के मामले में ठीक तरीके से विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि खलिहान के समय गल्ले की कीमत कम होती है और जब दो

चार महीने भर बाद वही गल्ला बाजार में आ जाता है तो उस में बहुत फर्क पड़ जाता है और उस की कीमत में करीब दूने का फर्क पड़ जाता है। सरकार को इस तरह की नीति बनानी चाहिये कि जिस से खलिहान में जो गल्ले की कीमत हो और बाजार में जो गल्ले की कीमत हो उस में एक आने सेर से ज्यादा का फर्क न पड़े। खलिहान और बाजार के गल्ले के दाम में बहुत फर्क होना किसी तरह से भी उचित नहीं है। सरकार की आज की दाम नीति का नतीजा यह हो रहा है कि किसान और उपभोक्ता दोनों उस दाम नीति के अन्दर पिसे जा रहे हैं। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि सरकार की दाम नीति बहुत ही साफ होनी चाहिये ।

इस समय जो धान बिक रहा है वह पिछले साल के मुकाबले कम दाम पर बिक रहा है। नतीजा यह होता है कि खलिहान के मौके पर किसान को गल्ले का दाम कम मिलता है लेकिन बाद में जब वही गल्ला बाजार में आता है तो उस का दाम बहुत चढ़ जाता है। सरकार को दाम नीति के सम्बन्ध में ठीक तरह से और स्पष्ट फैसला करना चाहिये।

इसी के साथ साथ कर नीति का जहां तक सम्बन्ध है किसानों पर किस तरीके से कर लगे इस सम्बन्ध में भी सरकार ठीक तरीके से फैसला करे। मैं सारे देश की बात तो नहीं कहना चाहता लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। लेकिन जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश की है वैसी ही स्थिति लगभग सारे देश की है। जो आंकड़ दिये गये हैं उन के मुताबिक ८० फीसदी किसान ऐसे हैं जिन को कि खेती पर खर्च करने के बाद तथा अपना जीवन निर्वाह करने के बाद कुछ नहीं बचता हैं। ऐसी हालत में यदि आप यह कोशिश करें कि जो किसानों के पास थोड़ा बहुत बचे उसे टैक्स द्वारा आप निकाल लें तो फिर उन के पास कुछ भी नहीं बचेगा जो कि वह खेतीबाड़ी की तरक्की करने में इनवेस्ट कर सकें। जाहिर है कि यदि खती में साधन नहीं जुटाये जायेंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ पायेगा।

इधर उत्तर प्रदेश में अभी यह बात कर रहे हैं कि सिंचाई के सिलसिले में किसानों को जो तीन आने फी रुपया रिबेट मिलता था उस रिबेट को उत्तर प्रदेश की सरकार वापिस लेना चाहती है। इसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि किसानों के पास जो थोड़ा सा पैसा बचता था और जो कि खेती की तरक्की करने के काम में आता था, उसको किसानों पर इस तरह से कर लगा कर ले लेना चाहते हैं और जिसका कि नतीजा यह निकलेगा कि वह अपनी खेती की पैदावार को नहीं बढ़ा सकेंगे।

इसी के साथ साथ हमको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि बिना अच्छे बीज के, पूरे तौर से खाद तथा बिना पानी दिये हुए हम खेती की पैदावार को नहीं बढ़ा सकते हैं। जहां तक पानी देने का सवाल है जिन जगहों पर नहरें हैं भी वहां पर भी सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई बहुत इर्रेगुलर है। उनको ठीक से पानी नहीं मिल पाता है। सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल इर्रेगुलर है। नतीजा इसका यह है कि जहां पर धान की दो या तीन फसलें उगाई जा सकती हैं वहां केवल धान की एक फसल हो पाती है। यदि राइस पैडी की नर्सरी के लिए बरसात के पहले पानी मिल जाय तो उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि एक फसल की जगह पर हम दो या तीन फसल तक आसानी से कर लेंगे। हमको इस बात को देखना है कि जहां इर्रीगेशन फैसेलेटीज मौजूद हों वहां पर ठीक समय से पानी मिले, नर्सरी के लिए ठीक समय से पानी मिले।

[श्री प्र० ना० सिंह]

इसमें कोई संशय नहीं है कि यदि इर्रीगेशन फैसेलिटीज जहां पर हों वहां पर ठीक तरह से पानी देने की व्यवस्था कर दी जाय तो खेती की पैदावार बढ़ जायगी ।

जहां तक किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करने का प्रश्न है, मंत्रालय की १९६०-६१ की रिपोर्ट में बताया गया है कि द्वितीय पांच-साला योजना के आखिर तक लगभग चार हज़ार सीड मल्टीप्लिकेशन फ़ार्म खोले जायेंगे, जब कि इस सम्बन्ध में टारगेट ४,३२८ फ़ार्म खोलने का था । चूंकि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र, चन्दौली, में भी एक सीड मल्टीप्लिकेशन फ़ार्म है, इस लिये इस विषय में जानकारी होने के कारण मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे सीड किसान अपने यहां तैयार कर लेता है, वैसे इन फ़ार्म्ज़ में तैयार नहीं हो पाते हैं । सरकार को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए । फ़ार्म्ज़ खुलें, लेकिन खुलने के बाद वहां कैसे सीड्ज़ पैदा होते हैं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए । इस बात का प्रबन्ध करना चाहिए कि फ़ार्म्ज़ में व्यवस्था ऐसी अच्छी हो कि अच्छे बीज सारे देश को दिये जा सकें ।

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि २३ लाख टन नाइट्रोजनस फ़र्टलाइज़र्ज़ की ज़रूरत है, लेकिन उसकी जगह इम्पोर्ट किये गये और इस देश में तैयार किये गये फ़र्टलाइज़र्ज़ की मात्रा केवल ९ लाख टन है, जिस का नतीजा यह है कि १३, १४ लाख टन फ़र्टलाइज़र्ज़ की कमी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसानों को अच्छे फ़र्टलाइज़र्ज़ नहीं पहुंचाये गये, तो उस का लाज़िमी नतीजा यह होगा कि खाद्य के बारे में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पायेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे दस मिनट का समय दिया है, इस लिये एक और बात कह कर मैं समाप्त करता हूं । आज हमें ऐसे कैडर्ज़ की ज़रूरत है, जो गांवों में वैज्ञानिक खोजों और टैक्निकल रिसर्च के परिणामों और फ़ैसलों को किसानों तक पहुंचा सकें । यदि हम इस रिपोर्ट में दिये गये आंकड़ों को देखते हैं, तो ज्ञात होता है कि अक्तूबर, १९६३ तक हम को ५० हज़ार ग्राम-सेवकों की ज़रूरत है, जिस में से ४२ हज़ार तैयार हो चुके हैं और ७ हज़ार ट्रेनिंग ले रहे हैं । जहां तक ग्राम-सेविकाओं का सम्बन्ध है, १० हज़ार ग्राम-सेविकाओं की ज़रूरत है, जब कि लगभग २,६०० प्रशिक्षित हो चुकी हैं और लगभग ८०० की ट्रेनिंग हो रही है । इस से उन का कोटा पूरा नहीं होगा । मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इन ग्राम-सेवकों और ग्राम-सेविकाओं को किसी भी एक्सपर्ट के सामने रख कर और उन को कोई एक फ़ील्ड दे कर इस बात की जांच की जाये कि उन को कितना ज्ञान है और व किसानों को विज्ञान और टैक्नीक की कितनी सूचना दे पाते हैं, उत्पादन बढ़ाने के विषय में उन की कितनी मदद कर पाते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन ग्राम-सेवकों और ग्राम-सेविकाओं की शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । मैं तो यह सुझाव दूंगा कि यदि आवश्यकता पड़े, तो इस समय जितने दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, उस अवधि को दुगना या तिगुना किया जा सकता है । लेकिन उन की ट्रेनिंग ऐसी हो, कि वे किसानों को विज्ञान और टैक्नीक की खोजों और फ़ैसलों के बारे में बता सकें, खेती की उन्नति करने के बारे में उन की सहायता कर सकें, क्योंकि यदि विज्ञान की खोजों और सुधरे हुए टैक्नीक का ज्ञान गांवों तक नहीं पहुंचेगा, जब तक उत्पादन बढ़ाने के नये और सुधरे हुए तरीके किसानों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक खाद्यान्न के विषय में आत्म-निर्भर होने में हमारा मुल्क सफल नहीं हो सकेगा ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३७	१५६९	श्री स० म० बनर्जी	. उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की कीमतें बढ़ाने में असफल रहना	१०० रुपये
३७	१५७०	श्री स० म० बनर्जी	. खाद्यान्नों का राज्य द्वारा व्यापार योजना में असफल रहना	१०० रुपये
३७	१५७१	श्री स० म० बनर्जी	. अन्य वस्तुओं की सापेक्ष्यता में खाद्यान्नों की कीमतें निर्धारित करने में असफल रहना	१०० रुपये
३७	२५१	श्री म० बो० ठाकुर	. भारत में कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा करना	१०० रुपये
३७	२५२	श्री म० बो० ठाकुर	. उत्पादन लागत पर कृषि पदार्थों की उचित कीमतें निश्चित करना	१०० रुपये
३७	२५३	श्री म० बो० ठाकुर	. कृषि जन्य पदार्थों की कीमतें निश्चित करने के लिये सरकार को सलाह देने के लिये एक कीमत समिति नियुक्त करना	१०० रुपये
३७	२५४	श्री म० बो० ठाकुर	. गन्ने की कीमतें पुनः २ रुपये प्रति मन निश्चित करने में असफल रहना	१०० रुपये
३७	२५५	श्री म० बो० ठाकुर	. जीरे की कीमतों को गिरने से रोकने में असफल रहना	१०० रुपये
३७	२५६	श्री म० बो० ठाकुर	. उर्वरकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाना	१०० रुपये
३७	२५७	श्री म० बो० ठाकुर	. उर्वरकों की कीमत कम करना	१०० रुपये
३७	२५८	श्री म० बो० ठाकुर	. गुजरात राज्य को भूमि का कटाव रोकने संबंधी कार्य करने के लिये अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	२५९	श्री म० बो० ठाकुर	. किसानों को समय पर सुधारे हुए बीज देने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३७	२६०	श्री म० बो० ठाकुर	. गुजरात राज्य में कच्छ मरुभूमि का विकास कर उसे कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	२६१	श्री म० बो० ठाकुर	. जहां नकद फसलें अधिक अनुपात में बोयी जाती हैं वहां खाद्यान्नों को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	२७३	श्री म० बो० ठाकुर	. कृषि उत्पादों तथा कृषि इतर उत्पादों के मूल्य में उचित अनुपात बनाये रखने में असफलता	१०० रुपये
३७	२७४	श्री म० बो० ठाकुर	. गुजरात राज्य में खाद्यान्नों को जमा करने के लिये काफी संख्या में गोदाम बनाने में असफल रहना	१०० रुपये
३७	२७५	श्री म० बो० ठाकुर	उत्तर गुजरात में अधिक नलकूप खोदने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	३००	श्री म० बो० ठाकुर	. खाद के परिरक्षण तथा उपयोग के संबंध में ग्रामीणों को विशेष अनुदेश देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	६२५	श्री खुशवक्त राय	. गन्ने की कीमतों को २ रु० प्रति मन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	६२६	श्री खुशवक्त राय	. कृषि वस्तुओं की कीमतें निश्चित करने के लिये सलाहकार समिति नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१४६४	श्री वें० प० नायर	. सरकारी क्षेत्र में चारा उत्पादन करने वाले कारखाने खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१५८०	श्री वें० प० नायर	. आई० सी० ए० आर० जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं को कृषि गवेषणा के लिये धनराशि देने की नीति	१०० रुपये
३७	१५८१	श्री वें० प० नायर	. आई० सी० ए० आर० के ऊपर आवश्यक नियंत्रण न रहना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३७	१५८२	श्री वें० प० नायर	. आई० सी० ए० आर० का कार्य	१०० रुपये
३७	१५८३	श्री वें० प० नायर	. मंत्रालय में टैक्नीकल और गैर-टैक्नीकल कर्मचारियों का अनुपात	१०० रुपये
३७	१५८४	श्री वें० प० नायर	. आई० सी० ए० आर० में उप-प्रधान तथा अन्य पदाधिकारियों का नामनिर्देशन	१०० रुपये
३७	१५८५	श्री वें० प० नायर	. आई० सी० ए० आर० को एक सरकारी संस्था बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१५८६	श्री वें० प० नायर	. मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के पदों पर अधिकारियों की अधिक संख्या	१०० रुपये
३७	१५८७	श्री वें० प० नायर	. प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अनावश्यक व्यक्तिगत कर्मचारी	१०० रुपये
३७	१५८८	श्री वें० प० नायर	. मंत्रालय में निजी सचिवों तथा निजी सहायकों की संख्या में कमी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१५८९	श्री वें० प० नायर	. देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये खाद्य उत्पादन की वृद्धि में आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	१५९०	श्री वें० प० नायर	. किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी देने में असफल रहना	१०० रुपये
३७	१५९१	श्री वें० प० नायर	. कृषि विभाग तथा सामुदायिक विकास विभाग के कार्य को समायोजन करने में असफल रहना	१०० रुपये
३७	१५९२	श्री व० प० नायर	. उद्यानों की स्थिति में सुधार करने के लिये उचित कार्यवाही करने में असफल रहना	१०० रुपये
३७	१५९३	श्री वें० प० नायर	. पत्ते वाली तरकारियों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने में असफल रहना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३७	१५९४	श्री वें० प० नायर	जनता की भोजन सम्बन्धी आदतों में सुधार करने के लिये उचित कार्यवाही करने में असफल रहना	१०० रुपये
३८	२३८	श्री मो० ब० ठाकुर	वन सम्पत्ति का परिरक्षण और उसे बनाये रखना	१०० रुपये
३८	२३९	श्री मो० ब० ठाकुर	गुजरात राज्य में पंच महल, दांता, डांग और गिर क्षेत्र में वन गवेषणा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	२४०	श्री मो० ब० ठाकुर	विभिन्न प्रकार के वृक्षों को लगा कर वनों के विकास और विस्तार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	१६१०	श्री वें० प० नायर	सरकारी इमारतों के निर्माण में सागौन के उपयोग को कम करने में असफल रहना	१०० रुपये
३८	१६११	श्री वें० प० नायर	गौण वन उत्पादों के अधिक अच्छा उपयोग के लिये कार्यक्रम बनाने में असफल रहना	१०० रुपये
३८	१६१२	श्री वें० प० नायर	वन पशुओं के निर्बाध विनाश को रोकने में असफल रहना	१०० रुपये
३८	१६१३	श्री वें० प० नायर	वन गवेषणा कार्य करने में असफल रहना	१०० रुपये
३८	१६१४	श्री वें० प० नायर	वन विभाग के लिये आवश्यक कर्मचारियों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था न होना	१०० रुपये
३८	२७६	श्री मो० ब० ठाकुर	प्रत्येक जिले में एक कृषि स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३६	२७७	श्री मो० ब० ठाकुर	किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और उपकरण से जानकारी देने के लिये उनको सूरतगढ़ तथा अन्य सरकारी फार्मों की मुफ्त यात्रायें आयोजित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१५७२	श्री भा० कृ० गायकवाड़	गांवों में सस्ती अनाज की दुकानें खोलने में असफल रहना	१०० रुपये
३६	१५७३	श्री भा० कृ० गायकवाड़	सरकारी बंजर जमीन को भूमिहीन किसानों को खेती के लिये देने में असकलता	१०० रुपये
३६	१५७४	श्री भा० कृ० गायकवाड़	देश की बंजर भूमि में खेती कर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना	१०० रुपये
३६	१५७५	श्री भा० कृ० गायकवाड़	कृषि उत्पादों के लिये बाजार ढूंढने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१५७६	श्री भा० कृ० गायकवाड़	कृषि उत्पाद एकत्र करने के लिये गोदामों की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	१५७७	श्री भा० कृ० गायकवाड़	गरीब किसानों का रियायती दरों पर खेत जोतने के लिये ट्रैक्टर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	२६२	श्री मो० ब० ठाकुर	कृषि फस्लों की बीमारियां कम करने के लिये कारणों का पता लगाने के लिये बड़ौदा में गवेषणा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१५५०	श्री स० म० बनर्जी	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के वेतनक्रमों में अनियमिततायें दूर करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४०	१५५१	श्री स० म० बनर्जी	दिल्ली के भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों में बिजली लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१५५२	श्री स० म० बनर्जी	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये और अधिक आवास क्वार्टर बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१५५३	श्री स० म० बनर्जी	जनवरी, १९५९ के पूर्व की अवधि के लिये भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, प्रतिकर (नगर) भत्ता की बकाया राशि देने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
४०	१५५४	श्री स० म० बनर्जी	आई० ए० आर० आई० में मासिक वेतन के आधार पर काम करने वाले लोगों के वेतन में दूसरे वेतन आयोग के आधार पर संशोधन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१५५५	श्री स० म० बनर्जी	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के हल चलाने वाले, ग्वालों तथा मालियों को वर्दी देने में असफल रहना	१०० रुपये
४०	१५५६	श्री स० म० बनर्जी	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के चौकीदारों को बैज देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१५५७	श्री स० म० बनर्जी	औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम १९५७ की नियम ५५ के अधीन भारतीय कृषि गवेषणा केन्द्र की कार्य समिति की नियमित बैठकें करने में असफल रहना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४०	१५५८	श्री स० म० बनर्जी	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था दिल्ली के सभी विभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सम्मिलित ज्येष्ठता कायम करना	१०० रुपये
४०	१५५९	श्री० स० म० बनर्जी	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में नियमित संस्थापना में चतुर्थ श्रेणी के पदों का निर्माण न किया जाना और उनमें मासिक वेतन पाने वाले तथा दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों को रखने में असफलता	१०० रुपये
४०	१५६०	श्री स० म० बनर्जी	दिल्ली के भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारि ों के क्वार्टरों में पृथक नल लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१५६१	श्री स० म० बनर्जी	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्तमान पदों के अधीन स्था ी बनाने में असफल रहना	१०० रुपये
४०	१५६२	श्री स० म० बनर्जी	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नांगलोई के कर्मचारियों को वेतन, मकान किराया भत्ता तथा प्रतिकर (नगर) भत्ते की बकाया राशि देने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
४०	१५६५	श्री वें० म० नायर	नारियल तथा सुपाड़ी की बीमारियों के सम्बन्ध में गहन गवेषणा करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४०	१५९६	श्री वें० प० नायर	केरल में पोरचा तथा पवोदा के सुपाड़ी गवेषणा केन्द्रों का स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१५९७	श्री वें० प० नायर	नारियल की जड़ों तथा पत्तों की बीमारियों की जांच के सम्बन्ध में विदेशी वैज्ञानिकों से सहायता लेने में असफल रहना	१०० रुपये
४०	१५९८	श्री वें० प० नायर	सुपाड़ी गवेषणा केन्द्र को पीली पत्ती रोग के सम्बन्ध में गवेषणा करने के लिये आवश्यक स्तर तक उठाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१५९९	श्री वें० प० नायर	पौधों की बड़ी बीमारियों की जांच के लिये रेडियो सक्रिय आइसोटापों की सहायता लेने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१६००	श्री वें० प० नायर	केन्द्रीय नारियल गवेषणा स्टेशन कायेनकुलम, केरल का जड़ तथा पत्तों की बीमारी के कारणों तथा नियंत्रण करने के तरीकों का पता लगाने में असफल रहना	१०० रुपये
४१	१६०१	श्री वें० प० नायर	बेकार पशुओं को रखे रहने सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
४१	१६०२	श्री वें० प० नायर	रक्षात्मक खाद्यों की वृद्धि तथा उनकी खपत सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
४१	१६०३	श्री वें० प० नायर	पशु पालन के लिये उपयुक्त राशि की व्यवस्था न करना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४१	१६०४	श्री वें० प० नायर	पशु पालन के लिये उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में असफल रहना	१०० रुपये
४१	१६०५	श्री वें० प० नायर	गोमांस और सुअर के मांस को लोक प्रिय बनाने में असफल रहना	१०० रुपये
४१	१६०६	श्री वें० प० नायर .	बेकार पशुओं पर धन राशि व्यय करने के स्थान पर उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४१	१६०७	श्री वें० प० नायर .	सुअर पालन केन्द्रों के संवर्द्धन के सम्बन्ध में नीति	१०० रुपये
४१	१६०८	श्री वें० प० नायर .	भारतीय पशुओं की नस्ल सुधारने के बारे में नीति	१०० रुपये
४१	१६१५	श्री वें० प० नायर .	मुर्गी पालन फार्मों के संवर्द्धन के लिये उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४१	१६१६	श्री वें० प० नायर .	मुर्गी पालन में अपर्याप्त गवेषणा	१०० रुपये
४१	१६१७	श्री वें० प० नायर .	मधुमक्खियों के पालन के लिये उचित कार्यक्रम का न होना	१०० रुपये
४१	१६१८	श्री वें० प० नायर .	बतख पालन को प्रोत्साहित करने के लिये उचित कार्यवाही न किया जाना	१०० रुपये
४१	१६१९	श्री वें० प० नायर .	मांस के लिये विशेष नस्लों को पैदा करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
४१	१६२०	श्री वें० प० नायर .	वैज बैंक और पैटरो बैंक के सम्बन्ध में आवश्यक आंकड़े जमा करने के लिये उचित कदम न उठा सकना	१०० रुपये
४१	१६२१	श्री वें० प० नायर .	गहरे समुद्रों से मछली पकड़ने की नीति	१०० रुपये
४१	१६२२	श्री वें० प० नायर .	मेंढक के मांस को लोकप्रिय बनाने में असफल रहना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४१	१६२३	श्री वें० प० नायर .	देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन का व्यापक कार्यक्रम बनाने में असफल रहना	१०० रुपये
४१	१६२४	श्री वें० प० नायर .	संसाधनों को देखते हुए मत्स्य पालन के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाने में असफल रहना	१०० रुपये
४१	१६२५	श्री वें० प० नायर .	मछलियों तथा जलजीव जन्तुओं के सम्बन्ध में उपयुक्त गवेषणा करने में असफल रहना	१०० रुपये
४१	१६२६	श्री वें० प० नायर .	मत्स्य उत्पादों के निर्यातों के सम्बन्ध में नीति	१०० रुपये
४१	१६२७	श्री वें० प० नायर	राज्यों को खाद्य सहायता राशि देने के सम्बन्ध में नीति	१०० रुपये
४१	१६२८	श्री वें० प० नायर	जनता की भोजन सम्बन्धी आदतों को बदलने और उसके सम्बन्ध में उनकी भावनायें बदलने में असफल रहना	१०० रुपये
४१	१६३९	श्री वें० प० नायर .	मछुओं को सहकारिताओं में संगठित करने के लिये उचित कदम उठाने में असफल रहना	१०० रुपये
१२२	२४८	श्री मो० ब० ठाकुर .	खाद्यान्नों के आयात को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२२	२४९	श्री मो० ब० ठाकुर .	अभाव वाले क्षेत्रों तथा आंध्र, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में आयातित खाद्यान्न पहुंचाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२२	१६२८	श्री वें० प० नायर .	पी० एल० ४८० समझौते के अधीन अच्छी शर्तें प्राप्त करने में असफल रहना	१०० रुपये
१२२	१६२९	श्री वें० प० नायर .	पी० एल० ४८० के समझौते के अधीन ५० प्रतिशत खाद्य परिवहन भारतीय फ्लैग जहाजों को देने में असफल	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१२२	१६३०	श्री वें० प० नायर .	पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अधीन अमेरिकी गेहूं की अत्यधिक कीमत	१०० रुपये
१२२	१६३१	श्री वें० प० नायर .	पी० एल० ४८० के समझौते के अधीन भारतीय माल का अमेरिका में निर्यात करने का उपबन्ध न रखा जाना	१०० रुपये
१२२	१६३२	श्री वें० प० नायर .	चीनी के निर्यात की नीति .	१०० रुपये
१२२	१६३३	श्री वें० प० नायर .	गेहूं की खरीद के लिये अमेरिका के अलावा अन्य देशों से बातचीत करने में असफल रहना	१०० रुपये
१२२	१६३४	श्री वें० प० नायर .	पी० एल० ४८० के समझौते के अधीन भारत के लिये उचित परित्राण रखने में असफल रहना	१०० रुपये
१२२	१६३५	श्री वें० प० नायर	खाद्यान्नों की खरीद के लिये भारत को ऋणी बना देने की नीति	१०० रुपये
१२२	१६३६	श्री वें० प० नायर .	वर्तमान शर्तों तथा नियमों के अधीन पी० एल० ४८० के अन्तर्गत ऋण लेने की नीति	१०० रुपये
१२२	१६३७	श्री वें० प० नायर	पी० एल० ४८० के समझौते के अधीन ब्याज सम्बन्धी शर्तें	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : उक्त कटौती प्रस्ताव सभा के सम्मुख हैं :

---

*पूर्वोत्तार रेलवे में खतरे की जंजीरें

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : रेलवे खतरे की जंजीर का दुरुपयोग करने से जनता को नहीं रोक सकी है। अभी हाल एक प्रसिद्ध पत्रकार डा० रामा राव के गिरने की दुखद दुर्घटना हुई। उस समय इसके विषय में कई प्रश्न पूछ गये। इस पर रेलवे मंत्रालय ने यह उत्तर दिया था कि जिन गाड़ियों में जंजीर का दुरुपयोग होता था वहां से यह जंजीरें हटा दी गयी हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रजी में

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री राजेन्द्र सिंह]

इसमें सन्देह नहीं है कि जंजीर का दुरुपयोग करने से जनता को बहुत परेशानी होती है। इस हिसाब से तो यह दलील भी दी जा सकती है कि कुछ लोग पुलिस में गलत शिकायतें लिखाते हैं, और कुछ लोग टेलीफोन द्वारा अकारण ही दमकल को बुला लेते हैं, इसलिये न तो पुलिस को शिकायतें दर्ज करनी चाहिये और न दमकल अधिकारियों को टेलीफोन द्वारा दिये गये संदेशों पर कोई कार्य-वाही करनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को कोई रचनात्मक सुझाव देना चाहिये। यदि ट्रेनों में खतरे की जंजीर को निष्प्रभावी बना देने से ज्यादा हानि होती है, तो फिर उसके लिये कोई दूसरा तरीका सुझाया जाना चाहिये। सरकार उसको लागू करने की कोशिश करेगी। इस प्रकार खाली दोषारोपण से कोई लाभ नहीं। आधे घण्टे की चर्चा इसके लिये नहीं होती।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** सरकार सुझावों की उपेक्षा करती है।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** समझदारी के सुझावों की नहीं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** सरकार चाहती है कि उसने यात्रियों की सुविधा के ख्याल से ही खतरे की जंजीर को निष्प्रभावी बनाना शुरू किया है। उसके कारण एक बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति की मृत्यु हो गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उस पर सभा में चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य अपने सुझाव रखें। खतरे की जंजीर को निष्प्रभावी बनाने के कारण होने वाली असुविधाओं और सुविधाओं में से किसका पलड़ा भारी है--हमें यह देखना पड़ेगा।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** सरकार को इस के संतुलन का मार्ग निकालना चाहिये। अराजक तत्वों--अनावश्यक तौर पर खतरे की जंजीर खींचने वाले लोगों को दण्डित करने के लिये कोई कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिये।

दूसरी चीज यह कि जनता की सामाजिक चेतना जगाई जानी चाहिये। उसे बताया जाना चाहिये कि शरारत से जंजीर खींचने से रेलवेज ही नहीं, जनता को भी हानि होती है। इस में संसद्-सदस्य भी सहयोग दे सकेंगे।

माननीय मंत्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र को काली सूची में रखा है।

†**श्री जगजीवन राम :** वह इस के लिये कुख्यात है :

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** यदि माननीय मंत्री सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और संसद्-सदस्यों पर भरोसा करें, तो उन के सहयोग से परिस्थिति काफी सुधर सकती है।

तीसरी चीज यह है कि कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के कम से कम पहले और दूसरे दर्जे के हर डिब्बे में चलने वाले कन्डक्टर गार्डों को ट्रेन रोकने का कोई साधन दिया जाना चाहिये। कोई ऐसा साधन होना चाहिये जिस के प्रयोग से वे आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन रोक सकें।

माननीय मंत्री को इन सुझावों पर विचार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** हमें देखना है कि खतरे की जंजीर के अनधिकृत प्रयोग और उसे निष्प्रभावी बनाना—इन दो बुराइयों में से कौन सी बड़ी है ?

खतरे की जंजीर के अनधिकृत प्रयोग के लिये किया जा सकने वाला जुर्माना ५० रुपये से बढ़ा कर २५० रुपये कर दिया गया है। इसे लागू करने के लिये क्या किया गया है ?

सवाल यह है कि खतरे की जंजीर के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिये जंजीर को निष्प्रभावी बना कर भले आदमियों को भी वास्तविक आवश्यकता के समय खतरे की जंजीर खींच कर ट्रेन रोकने में असमर्थ बना दिया जाता है। इस प्रकार, एक असामाजिक कृत्य को रोकने के लिये रेलवेज़ द्वारा दूसरा असामाजिक कृत्य कर रही है।

२५० रुपये का जुर्माना कर देने की सूचना अधिकांश ट्रेनों में नहीं रखी गई है। बोर्डों पर वही ५० रुप े के जुर्माने की बात लिखी हुई है। जुर्माना बढ़ाने की व्यवस्था का प्रचार किया जाना चाहिये। खतरे की जंजीर रहनी चाहिये, और दुरुपयोग करने वालों को समुचित दण्ड दिया जाना चाहिये।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बों में टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिये ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : खतरे की जंजीर का अनधिकृत प्रयोग करने वालों के सम्बन्ध में सूचना न देने वालों को भी दण्डित करने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : खतरे की जंजीर के अनधिकृत प्रयोग के लिये कम से कम तीन महीने की सजा की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : खतरे की जंजीर को निष्प्रभावी बनाने के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)** : आप ने इस प्रश्न को बिल्कुल सही ढंग से पेश कर दिया है कि सुविधाओं और असुविधाओं—दोनों में से किस का पलड़ा ज्यादा भारी है।

माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं जुर्माना बढ़ा दिया जाये, सजा देने की व्यवस्था की जाये, और यह भी कि कुछ अधिक दण्ड दिया जाये। लेकिन यह तो तभी होगा जब खतरे की जंजीर खींचने वाला शरारत करने वाला, अपराधी पकड़ लिया जाये। लेकिन अपराधी तो पकड़ा ही नहीं जाता। डिब्बे का पता चलता है, पर जब गार्डस् उस डिब्बे के यात्रियों से पूछता है तो कोई बताता ही नहीं कि जंजीर किस ने खींची थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या कभी भी ऐसा कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया ?

†**श्री सें०वें० रामस्वामी :** हम ने मैजिस्ट्रेटों को अनुदेश जारी कर दिये हैं कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा े ।

†**अध्यक्ष महोदय:** लेकिन कभी किसी मैजिस्ट्रेट ने कड़ी कार्यवाही की भी है, या ऐसे अपराधियों पर वे दो तीन रुपये जुर्माना कर के ही रह गये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम ने उन को सलाह दी है भयोत्पादक दण्ड देने की। इस का ब्यौरा मुझे पता लगाना पड़ेगा। अभी इस समय मालूम नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह भी तो देखना चाहिये कि उस सलाह पर अमल हो रहा है, या नहीं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** खतरे की जंजीर को निष्प्रभावी बनाने का निर्णय करते समय प्रसन्नता नहीं हुई। इस से पहले हम सभी उपाय और साधन अपना कर देख चुके थे।

माननीय सदस्य का यह सुझाव व्यावहारिक नहीं कि हर सवारी डिब्बे में एक रेलवे कर्मचारी रखा जाये।

एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव भी रखा है कि उस डिब्बे के सभी यात्रियों पर जुर्माना किया जाये, जो खतरे की जंजीर के साथ शरारत करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं देते।

यह सुझाव भी अव्यावहारिक है। जब हम और सारे उपाय कर के थक गये, तभी हमें पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसी शरारतें रोकने के लिये खतरे की जंजीर को निष्प्रभावी बनाने का फैसला करना पड़ा है। इसलिये कि इसी रेलवे में ऐसी घटनायें सब से ज्यादा होती हैं।

मैं इस सम्बन्ध में आप के सामने कुछ तथ्य रखता हूं। मैं आप को बताता हूं कि हमारा निर्णय क्यों उचित है।

अकेले पूर्वोत्तर रेलवे में ही, १९५७ में खतरे की जंजीर के प्रयोग की ५,२२७ घटनायें हुई थीं, जिन में से ९५.५ प्रतिशत अनुचित थीं। १९५८ में ऐसी घटनायें ७८९९ हुई, जिन में से ९६.१ प्रतिशत अनुचित प्रयोग की थीं। १९५९ में उन की संख्या ११,३८२ तक पहुंच गई, जिन में से ९७.१ प्रतिशत अनुचित प्रयोग की थीं। १९६० में, यह संख्या १३,९६७ हो गई, जिन में से ८४.९ प्रतिशत अनुचित थीं। इस प्रकार चार वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं में सौ प्रतिशत वृद्धि हुई है। उन की संख्या ५,२०० से बढ़ कर १३,००० से कुछ ऊपर कतक पहुंच गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** दण्ड कितनों को दिया गया? सरकार ने इस संख्या को घटाने के लिये क्या किया है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम ने सामान्य तौर पर इन के विरुद्ध यह कार्यवाही की है।

हम ने इस बुराई के खिलाफ समाचारपत्रों और पोस्टरों के जरिये प्रचार आन्दोलन किया है। बड़े बड़े स्टेशनों पर इस के लिये माइक्रोफोन भी लगाये गये हैं।

तीसरा तरीका यह अपनाया गया है कि हम विद्यार्थियों को रेलवे अधिकारियों के साथ उस स्थल पर ले जा कर दिखाते हैं कि जंजीर के अनधिकृत प्रयोग से कितनी हानि होती है।

फिर, हम ने ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाले मैजिस्ट्रेटों को भी ब्यौरेवार ढंग से बताया है कि ऐसी शरारतों से रेलवेज और यात्रियों को कितनी असुविधा हो जाती है, इसलिये ऐसे अपराधियों को भयोत्पादक दण्ड दिया जाना चाहिये। अधिनियम में इस के लिये पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है।

†**श्री शि० ला० सक्सेना :** लेकिन दण्डित कितने हुए?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह भयोत्पादक दण्ड है क्या? माननीय मंत्री इस से संबंधित आंकड़े बतायें?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस से सम्बन्धित आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** जंजीर को निष्प्रभावी बनाने का यह नतीजा भी होता है कि वास्तव में आवश्यकता पड़ने पर भी यात्री, सदाशय से भी ट्रेन नहीं खड़ी कर पाते। उस से यात्रियों के जीवन को खतरा पैदा हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले ऐसी घटना हो भी चुकी है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यात्रियों के जीवन के खतरे को कुछ बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी कुछ ही दिन पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी। मेरे पहले दर्जे के डिब्बे के दरवाजे पर, चलती गाड़ी में, एक २०--२५ वर्ष की अवस्था का एक नवयुवक चढ़ आया। मुझे डर था कि कहीं वह गिर न जाये, लेकिन दूसरी ओर यह भी खतरा था कि यदि मैं उसे डिब्बे में अन्दर आ जाने दूं तो मेरी जान पर भी बन आ सकती थी। मेरे जंजीर खींचते ही, वह भाग गया। अब अगर खतरे की जंजीर निष्प्रभावी होती, तो क्या होता ? इसलिये मेरा सुझाव है कि लम्बी यात्राओं के लिये जंजीर को निष्प्रभावी नहीं बनाया जाना चाहिये।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उस से तो खतरा और बढ़ जायेगा। कोई भी गुण्डा या डाकू बीच में ट्रेन रोक कर गड़बड़ी कर सकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** लेकिन अगर गुण्डे और डाकू बीच में, चलती गाड़ी में चढ़ आयें और उस समय जंजीर निष्प्रभावी हो, तो ?

†**अध्यक्ष महोदय :** महिलाओं के डिब्बों में सशस्त्र महिला-पुलिस होनी चाहिये।

हम सभी को इस में दिलचस्पी है। मंत्रियों की आलोचना भर करने से कोई लाभ नहीं। वे भरसक चेष्टा कर रहे हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम ने तो यह भी घोषणा कर दी है कि अपराधी को पकड़ने में सहायता देने वाले व्यक्ति को ५० रुपये का इनाम दिया जायेगा। आप चाहें तो हम इसे और बढ़ा सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय:** मेरा तो सुझाव यही है कि रात के समय जंजीर को निष्भावी नहीं बनाया जाना चाहिये।

†**श्री जगजीवन राम :** हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन इस में ध्यान रखने की बात यह है कि ट्रेन के पूरे सफ़र के लिये जंजीर को निष्प्रभावी नहीं बनाया जाता। ऐसा केवल सफर के एक हिस्से के लिये किया जाता है। वहां जहां यह बुराई सब से ज्यादा जोरों पर होती है। कलकत्ता से दिल्ली तक के सफर में जंजीर निष्प्रभावी नहीं बनाई जाती।

†**श्री शि० ला० सक्सेना :** इस बुराई को दूर करने का तरीका सिर्फ यही है कि अपराधी को दण्डित किया जाये।

†**श्री जगजीवन राम :** निश्चय ही। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। लेकिन इसके लिये जनता का सहयोग आवश्यक है। यात्रियों के सहयोग के बिना अपराधियों का पता लगाना मुश्किल होगा।

†**श्री शि० ला० सक्सेना :** अपराधियों का पता लगाने की तो कोशिश ही नहीं की जाती।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या जंजीर खींचने पर ट्रेन अपने अपने आप रुक जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : जी, हां। गाड़ी अपने आप रुक जाती है। जिस डिब्बे में जंजीर खींची जाती है, वहां से एक सिगनल आ जाता है। उससे पता चल जाता है कि किस डिब्बे की जंजीर खींची गई है। गार्ड उस डिब्बे में जाता है। लेकिन यात्रियों के सहयोग के बिना जंजीर खींचने वाले का पता लगाना असम्भव है। जुर्माना बढ़ाने से तो तभी लाभ होगा, जब अन्य यात्री सहयोग करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : गार्ड को रुपये दिये जायें, और वह यात्रियों से कहें कि अपराधी का पता देने वाले को नकद इनाम दिया जायेगा।

†**श्री जगजीवन राम** : हम इस सुझाव पर भी अमल करेंगे।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : एक बात है कि गार्ड को कुछ मदद की जरूरत है। अगर कोई बदमाश चेन खींचता है और गार्ड कम्पार्टमेंट में जाता है तो कोई मुसाफिर डर के मारे नाम नहीं लेता और गार्ड अकेला पड़ जाता है। इसलिये गार्ड को मदद देने का कोई इन्तजाम जरूर होना चाहिये। गार्ड अकेला कुछ नहीं कर सकता।

†**श्री जगजीवन राम** : रात के समय तो सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों के साथ सशस्त्र पुलिस चलती है। हर डिब्बे में सशस्त्र पुलिस नहीं रखी जा सकती, क्योंकि किसी भी सशस्त्र व्यक्ति को अकेले यात्रा नहीं करने देनी चाहिये। अकेले पुलिसमैन पर गुण्डे और डाकू हमला कर सकते हैं। इसलिये वे जत्थों में रहते हैं।

माननीय सदस्यों ने कुछ ठोस सुझाव दिये हैं। उनके लिये मैं उनका आभारी हूं। मैं उनकी परीक्षा कराऊंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : जंजीर को निष्प्रभावी बनाना ही अधिक उचित जंचता है।

†**श्री जगजीवन राम** : जंजीर के अनधिकृत प्रयोग से ट्रेनों का समय ही नहीं गड़बड़ाता, यात्रियों की जान माल को खतरा भी पैदा हो जाता है। जंजीर खींचने का प्रयोजन रेलवे को असुविधा पैदा करना नहीं, वरन कोई अपराधी वृत्ति ही होती है। कई बार गुण्डे चलती ट्रेनों में चढ़ कर यात्रियों को आतंकित करते हैं और यात्रियों को मार तक डालते हैं। खतरे की जंजीर का फायदा अपराध करने वाले उठाते हैं। वे स्टेशन के करीब उससे थोड़ा पहले गाड़ी खड़ी करके भाग जाते हैं।

उपमन्त्री ने बताया है कि इसके दोनों पहलू हैं। खतरे की जंजीर को निष्प्रभावी बनाने का निर्णय हमने विवश होकर ही किया है। अनधिकृत प्रयोग की घटनायें इतनी बढ़ गई थीं कि हमने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दें। उन क्षेत्रों के मैजिस्ट्रेटों से भी कहा गया है कि ऐसे अपराधियों पर अधिक से अधिक जुर्माना किया जाये।

इस प्रकार हम ये कदम उठा रहे हैं। इस सम्बन्ध में यदि कोई अन्य सुझाव सहायक हो तो उसका स्वागत किया जायेगा। यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहते हों तो मेरे पास लिख कर भेज दें। मैं स्वयं अपने यान्त्रिक इंजीनियरों से यह मालूम करूंगा कि क्या हम कोई अन्य युक्ति निकाल सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन १३००० मामलों में से कितने चोरियों और डकैतियों से सम्बन्धित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने मामलों में गाड़ियां सिर्फ बाधा डालने के लिये रोकी गईं और कितनों में अनुचित लाभ उठाने के लिये? क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** जी हां, हमारे पास आंकड़े हैं। हमने रेलवे से मालूम किया कि क्या उन क्षेत्रों में चेन खत्म कर देने से अपराधों में वृद्धि हुई है तथा हमें बताया गया है कि ऐसा नहीं हुआ है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : चेन न होने पर यदि डिब्बे में आग लग जाए तथा कोई व्यक्ति जल कर मर जाए तो क्या उसके परिवार को प्रतिकर दिया जाएगा ?

†**श्री स० मो० बनर्जी**: इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। मेरा विचार है कि चेन को कायम रखना चाहिये क्योंकि उससे सुविधा ही अधिक होती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : चेन कब से खत्म की गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : १९५६ से।

†**श्री जगजीवन राम** : ऐसा ही नहीं है कि वह निरन्तर बन्द रही है वरन् बीच बीच में कुछ समय के लिये निकाल दी जाती है और फिर चालू कर दी जाती है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : रेलवे मन्त्रालय को आवश्यक क्षेत्रों में प्रत्येक डिब्बे में साधारणवस्त्र-धारी जासूस रखने चाहियें ताकि उपद्रवियों का पता लग सके और उन्हें पकड़ा जा सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, इसके लिये टिकट कलक्टरों या अन्य कर्मचारियों को साधारण वस्त्रों में नियुक्त किया जा सकता है। इसका परीक्षण किया जाना चाहिये। परन्तु चेन खत्म नहीं की जानी चाहिये क्योंकि वह यात्रियों की सुरक्षा के लिये है।

†**श्री जगजीवन राम** : हम इन उपायों का परीक्षण कर चुके हैं और कर रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को मेरा सुझाव यह है कि ट्रबल्ड एरियाज में रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस के लोग प्लेन ड्रैस में तैनात न करें बल्कि वह पुलिस की वर्दी में रहें और वे फुल्ली आर्म्ड हों।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** : चेन खींचने के लिये कितने लोगों को दण्डित किया गया है तथा वह दण्ड किस प्रकार है

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मन्त्री के पास दण्डित किये गये लोगों के आंकडे हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : नहीं, श्रीमन्।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं ब्यौरा पेश करूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री रामराव की दुर्घटना के समय से हम बहुत चिन्तित हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम सूचना प्रदान करेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१/२७ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१

२७ चैत्र, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३०१–०२

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई :—

(एक) दिनांक ४ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७२ में प्रकाशित राजस्थान चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९६१ ।

(दो) निम्नलिखित को रद्द करने वाली दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०३—

(क) बम्बई गेहूं (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९५६;

(ख) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९५७;

(ग) गेहूं (दक्षिण क्षेत्र निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८;

(घ) पश्चिम बंगाल गेहूं (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८;

(ङ) दिल्ली (गेहूं के आटे के आयात पर प्रतिबन्ध) आदेश १९५९; और

(च) दिल्ली गेहूं और गेहूं की चीजें (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ ।

(तीन) दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०४ में प्रकाशित मनीपुर खाद्यान्न (लाना ले जाना नियंत्रण संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(चार) दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०५ में प्रकाशित बिहार खाद्यान्न (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(पांच) दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०६ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६१ ।

विषय पृष्ठ

(छः) दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०७ में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(सात) दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०८ में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(आठ) असम गेहूं तथा गेहूं की चीजें (निर्यात) नियंत्रण आदेश, १९५८ को रद्द करने वाली दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०९ ।

(नौ) पश्चिम बंगाल गेहूं अथवा गेहूं की चीजें रेलवे बुकिंग पर (प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ को रद्द करने वाली दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१० ।

(दस) दिनांक ६ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५११ में प्रकाशित मध्य प्रदेश रोलर आटे की मिलें (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) आदेश, १९६१ ।

(ग्यारह) दिनांक १० अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१२ में प्रकाशित बिहार खाद्यान्न (लाने ले जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

अनुदानों की मांगें . . . . ५३०३—६३

(१) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेत्तर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

(२) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . ५३६३—६९

श्री राजेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर रेलवे में खतरे की जंजीरों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२८९ के ४ अप्रैल, १९६१ को दिये गये उत्तर के सम्बन्ध होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी ।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१/२७ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान ।

———

GMGIPND—LSIII—497(Ai)LSD—15-6-61—125

PLS 41 LIV 45 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।